VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

मई - 2016

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और प्रशासन 8

1.1. आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा 8

1.2 आरटीई के तहत 'नो डिटेनशन' (अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने) की नीति की समीक्षा 9

1.3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए), 1988 में संशोधन 9

1.4 चुनावी परिदृश्य और मुफ्त उपहार 10

1.5 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की निगरानी हेतु सुप्रीम कोर्ट का पैनल 11

1.6 धन विधेयक के प्रमाणीकरण का मुद्दा 12

1.7 बंधुआ मजदूर की पुनर्वास योजना को केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जायेगा 12

1.8 सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिये उन्नत ज्योति (UJALA) योजना 13

1.9. भारतीय खेलों से संबद्ध मुद्दे 13

1.10. जनगणना नगर वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में परिवर्तित 14

1.11 खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2016 14

1.12 भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 15

1.13 सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दे 15

1.14 कॉल ड्रॉप नियम को समाप्त कर दिया गया 16

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व 17

2.1 भारत और ईरान 17

2.2 भारत और न्यूजीलैंड 17

2.3 भारत और इटली 18

2.4 भारत और फिलीपींस 18

2.5 इराक में राजनीतिक संकट 19

2.6 एशिया में संपर्क और विश्वास बहाली के उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए) 19

2.7 सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P) 20

2.8 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) 20

3. अर्थव्यवस्था 21

3.1. बैंकों का समेकन 21

3.2. मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन 21

VISION IAS

3.3. सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई) 22
3.4. जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) तकनीक लाइसेंस को लेकर अधिसूचना रद्द....23
3.5. भुगतान बैंक (पेमेंट बैंक) से जुड़े मुद्दे....23
3.6. दिवालियापन संहिता में कमियाँ 23
3.7. कर सुधार 24
3.8 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 24
3.9. भारत में एप्पल कम्पनी की रिटेल बिक्री 25
3.10 थोक मूल्य सूचकांक में सकारात्मक रूख....25
3.11 नयी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 26
3.12. भारत में सीमित कराधार 26
3.13 ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस 27
3.14. भारत के बंदरगाहों का विकास....27
3.15 कोर सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि....28
3.16. पाम तेल उद्योग निवेशकों को आकर्षित नहीं कर रहा है: रिपोर्ट....28
3.17. स्टील फर्मों को NIIF फंडिंग का समर्थन मिलने की सम्भावना 29
3.18. गैर निष्पादक संपत्तियों से निपटने के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति....29
3.19. पंचवर्षीय योजना की जगह 15 वर्ष का विजन दस्तावेज....29
3.20. नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु सीपीआई एकमात्र पैमाना 30
3.21. हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल ने अधिक नीलामीकर्ताओं को आकर्षित किया....31
3.22. समतुल्यीकरण लेवी / गूगल कर....32
4. सामाजिक मुद्दे....33
4.1. राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा 33
4.2. घरेलू हिंसा....33
4.3. व्यवसायगत स्वास्थ्य जोखिम....34
4.4. स्कूल च्वाइस 34
4.5. ट्रांसजेंडरों के अधिकार 35
4.6. भारत में मौत की सजा पर रिपोर्ट....35
4.7. स्वास्थ्य सुरक्षा योजना....35
4.8. चिकित्सा शिक्षा में सुधार....36
4.9. परंपरागत चिकित्सा पर भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता....37

VISION IAS

4.10. बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने की दक्षिण एशिया पहल (SAIEVAC) की बैठक 37
4.11. शिक्षा में असमानता 37
4.12. मानव तस्करी विधेयक का मसौदा 38
4.13. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत ड्राफ्ट मॉडल नियम 38
4.14. बाल विवाह पर जनगणना रिपोर्ट 38
4.15. शिक्षा का व्यवसायीकरण 39
4.16. भारत में वेतन में लैंगिक अंतर 39
4.17. बलात्कार पीड़ितों पर राष्ट्रीय नीति 40
4.18. मातृ एवं नवजात टिटनेस में कमी 40
4.19. भारत में अफ्रीकी नागरिकों पर हमले 40
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 41
5.1. मानव रहित वायुयानों पर दिशा-निर्देशों का मसविदा 41
5.2.भारत ने सफलतापूर्वक अवरोधक मिसाइल का परीक्षण किया 42
5.3.पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान -प्रौद्योगिकी प्रदर्शक 42
5.4. हीलियम सूक्ष्मदर्शी 43
5.5.अमेरिका में सुपरबग 44
5.6. एंटीबायोटिक्स पर भारत का रेड लाइन अभियान 44
5.7. जीन डेटाबेस परियोजना 44
5.8. क्वेरसेटिन 45
5.9. केप्लर-62F 45
5.10. फिले- रोसेटा (Philae-Rosetta) 45
5.11. मुखौटा 46
5.12. विज्ञापनों में भू-लक्ष्यन 46
5.13. लोहाफेक्स परियोजना 46
5.14. जैव ग्लास 46
6. आन्तरिक सुरक्षा / कानून-व्यवस्था 48
6.1.रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) 48
6.2. पूर्वोत्तर विद्रोह में चीन की भूमिका 48
6.3. पृथ्वी-मिसाइल 48
6.4. भू-स्थानिक जानकारी नियमन विधेयक, 2016 का मसौदा 48

VISION IAS

6.5. आईएनएस कलवारी 50

6.6. विशाखापत्तनम में पानी के नीचे निगरानी प्रणाली 50

7. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 51

7.1. प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक 2015 51

7. 2. रोआनू चक्रवात 52

7.3. एशियाई जलपक्षी गणना के आंकड़े 53

7.4. संगाई ब्रो–ऐन्ट्लर्ड डियर 53

7.5. नदियों की इंटरलिंकिंग: प्रमुख आंकड़े 54

7.6. केन-बेतवा संपर्क का बाघ जनसंख्या पर प्रभाव 55

7.7. तटीय प्रबंधन पर रिपोर्ट 55

7.8. हिमालयी भूरा भालू कारगिल में देखा गया 56

7.9. गेहूँ ब्लास्ट 56

7.10 दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं है 56

7.11. भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 56

7.12. भारतीय जंगली संतरे 57

7.13. अंटार्कटिका के आसपास बढ़ते समुद्री जल आवरण के कारण 57

7.14. भारत ई-अपशिष्ट का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक 58

7.15. भारत में प्रवाल पर ऊष्णता तनाव(थर्मल स्ट्रेस) का प्रभाव 58

7.16. मिशन इनोवेशन 58

7.17. पैकेज्ड ब्रेड में कैंसर पैदा करने वाले रसायन 58

7.18 यमुना को साफ करने के लिए सीचेवाल मॉडल 58

7.19. हंगुल विलुप्त हो सकता है 59

7.20. ताजमहल का रंग हरा हो रहा है 59

8. संस्कृति 60

8.1. 'पंक महल' का जीर्णोद्धार 60

8.2. महाबोधि मंदिर 60

8.3. भारतवाणी पोर्टल का शुभारंभ 60

8.4. 'का बोम' ड्रम 61

8.5. नारिकुरावा जनजाति 61

8.6. शुल्वसूत्र 61

VISION IAS

8.7. पहला राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट 62
8.8. सिन्धु घाटी सभ्यता 63
8.9. कश्मीरी एवं नस्तालिक़ लिपि 63
8.10. श्री रामानुज की 1000वीं जन्म शताब्दी 63
8.11. हुमायूँ का मकबरा 64
8.12. स्क्येस-पिकॉट समझौता 64
8.13. मोगाओ गुफाएँ 65
9. सुर्ख़ियों में 66
9.1. वैश्विक दासता सूचकांक: 66
9.2. स्मार्ट सिटी मिशन: अद्यतन 66
9.3. ट्विटर सेवा 66
9.4. पेरिस शांति शिखर सम्मेलन 66
9.5. विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन 67
9.6. अमेरिकी राष्ट्रपति की हिरोशिमा यात्रा 67
9.7. रेड फ्लैग 67
9.8. डेजर्ट ईगल-2 67
9.9. पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक नीति 67
9.10. कारों का प्रयोग समाप्त करने (scrapping) की नीति 67
9.11.पेटेंट परीक्षण में तेजी लाने के लिए तत्काल प्रणाली 68
9.12. सेबी (SEBI) ने काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए मानदंडों को कड़ा किया 68
9.13. न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 68
9.14. राजनीतिक दलों को विदेशी संस्थाओं द्वारा निधीयन (Funding) 69
9.15. नेट शून्य ऊर्जा भवनों (NZEB) के लिए पोर्टल 69
9.16. केन्द्र आर्द्रभूमि से संबंधित (वेटलैंड) सुरक्षा नियमों को कमजोर करने की तैयारी में 69
9.17. स्मार्ट पेपर 70
9.18. दुनिया का पहला होलोग्राफिक (त्रिविमीय चित्र आधारित) लचीला स्मार्टफोन 70
9.19. सौर अध्ययन के लिए आदित्य-एल 1 उपग्रह 71
9.20. हैकिंग के भय से स्मार्टफोन संबंधी नियम 71
9.21. सी हैरियर 71
9.22. भारत वेनेजुएला की भुगतान समस्या का समाधान कर सकता है 71

VISION IAS

9.23. समुद्र में जल के सोपान/सीढियाँ(staircase) 72
9.24. ई-गवर्नेंस की जागरूकता के बारे में डिजिटल वैन 72

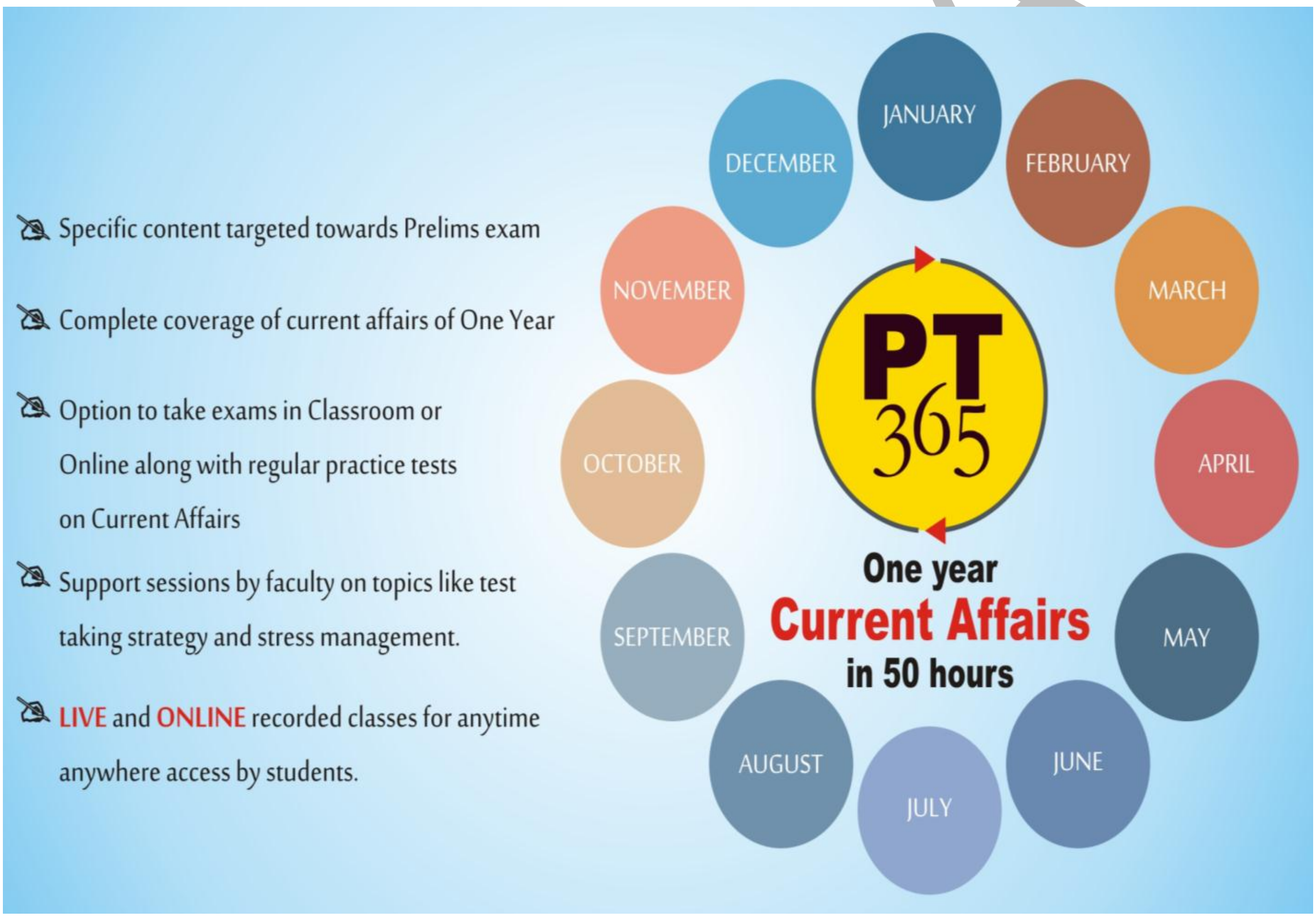

1. राजव्यवस्था और प्रशासन

POLITY AND GOVERNANCE

1.1. आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा

(SC Upholds Law on Criminal Defamation)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कानून की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
- अदालत ने मानहानि हेतु कारावास संबंधी प्रावधान पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार राष्ट्र के लिए सर्वाधिक मूल्यवान और वांछित मूल्यों में से एक है किन्तु कारावास मानहानि से संबंधित वक्तव्यों के लिए आनुपातिक रूप से उचित दंड है।

इसे क्यों कायम रखा जाना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार:

- संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही महत्वपूर्ण अधिकार है।
- मानहानि के कृत्य को आपराधिक कृत्य मानना व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक **"युक्तियुक्त निर्बन्धन"** है।
- संपादकों को उनके द्वारा प्रकाशित समस्त सामग्री की जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि इसका व्यक्ति और देश के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
- किसी व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त अभिव्यक्ति को वक्ता और उसके द्वारा बोले गए स्थान दोनों ही परिप्रेक्ष्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

अन्य तर्क

- यह 70 से अधिक वर्षों से विधिक कानूनों का हिस्सा रहा है। इस धारा ने न तो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया है न ही हमारे जीवंत लोकतंत्र को कोई क्षति पहुचाई है।
- सार्वजनिक हित के सवाल पर "वैध आलोचना" के लिए संरक्षण निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत उपलब्ध है
- मानहानि से संबंधित नागरिक कानून
- आईपीसी की धारा 499 के तहत अपवाद खंड
- न्यायालय का मानना था कि केवल कानून का दुरुपयोग किसी कानून को अवैध ठहराने का आधार नहीं हो सकता अपितु अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा इन प्रावधानों के दुरुपयोग के संबंध में संवेदनशीलता दिखायी जानी चाहिए।
- नागरिक मानहानि कानूनों के अंतर्गत मौद्रिक मुआवजा, प्रतिष्ठा को हुई क्षति के सन्दर्भ में आनुपातिक रूप से पर्याप्त नहीं है।

इसे क्यों समाप्त कर दिया जाना चाहिए ?

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक जीवंत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है तथा किसी भी अभिव्यक्ति के लिए अपराधी ठहराए जाने का भय ही सत्य का गला घोटने के लिए पर्याप्त है।
- अपुष्ट तथ्यों के आधार पर की गई किसी भी आलोचना को, प्रतिष्ठा को क्षति पहुचाने वाला ठहराया जा सकता है ।
- व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान किये गये प्रतिष्ठा के अधिकार को सरकार जैसी सामूहिक स्वरुप की संस्थाओं को प्रदान नहीं किया जा सकता ।
- इस संबंध में यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐसी संस्थाओं के पास अपनी प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित करने हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं।
- प्रत्येक तारीख पर एक वकील के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने जैसी आपराधिक मामलों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया आरोप लगाये गए व्यक्तियों के लिए एक सजा के समान ही है।
- यह देखते हुए कि मानहानि के लिए एक नागरिक संहिता में पहले से ही प्रावधान मौजूद है, व्यक्ति को उत्पीड़ित, परेशान और भयभीत करने के अतिरिक्त इस प्रावधान को बनाए रखने का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है।
- इन धाराओं को कायम रखना मानहानि को अपराध न माने जाने के वैश्विक रुख के विपरीत है।
- श्रीलंका सहित कई पड़ोसी देशों ने मानहानि को अपराध की कोटि से बाहर रखा है।
- वर्ष 2011 में यह देखते हुए कि आपराधिक मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधान के कारण लोग व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों की आलोचना करने अथवा उन्हें उदघाटित करने में भय एवं संकोच का अनुभव करते हैं , नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय से संबंधित मानव अधिकार समिति ने, आपराधिक मानहानि को समाप्त करने के लिए राज्यों से आह्वान किया।

अन्य मामले

सीआरपीसी की धारा 199

- न्यायालय को इस खंड को संकीर्ण अर्थ में न लेकर इसकी विस्तृत अर्थों में व्याख्या करनी चाहिए जिसमें लोक अभियोजकों को कथित तौर पर बदनाम लोक सेवकों के मुकदमें लड़ने की अनुमति प्रदान की गई है ।

VISION IAS

- यह निश्चय ही अनुचित है कि राज्य को अपनी आलोचना को दबाने के लिए स्वयं की विधिक कानूनी मशीनरी का उपयोग करने की अनुमति दी जाय तथा लोक सेवकों को अदालत में गवाही देने से उन्मुक्ति प्रदान की जाती हो।

संवैधानिक पीठ

- यह एक बड़ा मुद्दा है अत: साधारण पीठ द्वारा इसको संवैधानिक पीठ को निर्णय के लिए प्रेषित किया जा सकता था।
- संवैधानिक पीठ भारत के सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ को कहा जाता है जिसमें किसी मामले का निर्णय करने के लिए कम से कम पांच न्यायाधीश मिलकर विचार करें तथा जिसमें भारतीय संविधान या विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित हो।

गैर दुर्भावनायुक्त भूल

- न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि धारा 499 के प्रावधानों के अंतर्गत 'गैर दुर्भावनायुक्त भूल' को अपनी रक्षा के रूप में प्रयोग करने की स्वीकृति नहीं है।
- इसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 वर्ष पहले, मानहानि से संबंधित नागरिक कानून को असंवैधानिक ठहराया गया था तथा इस संबंध में किये गए प्रावधानों को आनुपातिक रूप से अधिक माना गया था क्योंकि यह 'गैर दुर्भावनायुक्त भूल' करने की अनुमति नहीं देता था।

1.2 आरटीई के तहत 'नो डिटेनशन' (अनुत्तीर्ण नहीं किये जाने) की नीति की समीक्षा

(Review of No Detention Policy Under RTE)

सुर्खियों में क्यों?

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में कम से कम 18 राज्य सरकारों ने इस धारा को निरस्त करने की मांग की।
- हाल ही में, शिक्षा नीति पर सुझाव देने के लिए नियुक्त टी. एस. आर. सुब्रमण्यम पैनल ने भी सरकार को छठी कक्षा से पास-फेल प्रणाली वापस लाने की सिफारिश की थी।
- राजस्थान और दिल्ली के द्वारा 'नो डिटेनशन' नीति को समाप्त करने संबंधी विधेयक पहले ही पारित कर दिया है। ये राज्य राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

नो डिटेनशन नीति क्या है?

- आरटीई अधिनियम की धारा 16 के तहत, आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्वत: ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है भले ही वे अगली कक्षा में प्रवेश करने हेतु आवश्यक अंक प्राप्त कर पाए अथवा नहीं।
- यह प्रावधान आरटीई अधिनियम के तहत बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) की प्रक्रिया के तहत किया गया था ।

पृष्ठभूमि

- डिटेनशन प्रणाली से छात्रों में बीच में पढाई छोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला विशेष रूप से और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों में जो महंगी निजी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते थे ।
- स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए नो डिटेनशन प्रणाली को लाया गया था ताकि जहां बच्चे भय, चिंता और तनाव से मुक्त वातावरण में विकास करें वहीं उनके द्वारा स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी लायी जा सके।
- कई सरकारी स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह प्रणाली बच्चों में शिक्षा के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए भी एक चुनौती बन गयी है।
- इस प्रावधान के कारण छात्रों में अध्ययन के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण विकसित हो गया है वहीं माता-पिता इस तथ्य से अवगत होने के कारण की उनके बच्चों को असफल नहीं किया जायेगा बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते।
- **एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) 2014** इस तथ्य को प्रकट करती है कि ग्रामीण भारत में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला हर दूसरा छात्र कक्षा तीन के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकता है।

आगे की राह

- आरटीई अधिनियम में इस प्रावधान के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का उन्नयन, सीसीई के माध्यम से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और नियमित मूल्यांकन जैसे विस्तृत प्रावधान भी शामिल थे। नो-डिटेनशन नीति के साथ ही इन सभी प्रावधानों को भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- स्कूलों के द्वारा सीखने के परिणामों का निम्न स्तर बहुत से कारकों जैसे छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षकों के प्रशिक्षण का अभाव, कमजोर निगरानी व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का अभाव, स्कूल और घर का माहौल आदि के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम है।
- सरकार केवल नों- डिटेनशन प्रणाली को ही अक्षरश: लागू नहीं कर सकती उसे अन्य मानकों का भी पालन करना चाहिए।
- अन्य क्षेत्रों में बिना उचित सुधारों के पुरानी पास-फेल प्रणाली को वापस लाना समतामूलक समाज के विकास के, आरटीई के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ी चुनौती बन जायेगा।
- साथ ही सभी हितधारकों के लिए नीति को समझने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए नो- डिटेनशन नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि सभी हितधारक इस नीति की शून्य मूल्यांकन के रूप में व्याख्या की बजाय इसमें निहित अवधारणा को समझ सके।

1.3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए), 1988 में संशोधन

(Amendment to Prevention of Corruption Act [PCA], 1988)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा में लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) विधेयक,2013 से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्णय के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 में संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

VISION IAS

प्रस्तावित संशोधन

प्रस्तावित संशोधन घरेलू भ्रष्टाचार निवारण कानून में कथित विसंगतियों को दूर करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) के अनुरूप देश के दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करते हैं।

- रिश्वत देने और लेने वालों को अधिक सख्त सजा दी जाएगी।
- सजा के प्रावधान न्यूनतम 6 महीने से बढ़ाकर 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष (रिश्वत के मामले में 7 वर्ष की सजा घोर अपराध की श्रेणी में आती है) किये गये।
- भ्रष्टाचार से मिलने वाले लाभ पर रोक के लिए कुर्कियों का अधिकार जिला न्यायालय के बजाय निचली अदालत (विशेष न्यायाधीश) को दिये जाने का प्रस्ताव।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यक्तियों से लेकर वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रावधान के दायरे का लाया जा रहा है।
- वाणिज्यिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारी को घूस देने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के प्रावधान।
- पिछले 4 वर्ष में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की औसत सुनवाई के अवधि 8 वर्ष से अधिक है। 2 वर्ष के भीतर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा धन संवर्धन आपराधिक दुराचार और आय से अधिक संपत्ति को सबूत के रूप में लिया जाएगा।
- गैर-मौद्रिक पारितोषण शब्द संतुष्टि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- धारा 7(2) में सरकारी कर्मचारी के दायित्व को इस तरह से वर्णित किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी संवैधानिक कर्तव्य या नियमों, सरकारी नीतियों, कार्यकारी निर्देशों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता।

पृष्ठभूमि

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, वर्ष 1988 में अधिनियमित किया गया था।
- भारत के द्वारा UNCAC की पुष्टि, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार आदि की रोकथाम के संबंध में अंतरराष्ट्रीय परम्पराओं का पालन करने के प्रति संकल्प की प्रष्ठभूमि में अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा जरूरी हो गयी थी।

आलोचना

- प्रस्तावित संशोधन पीसीए के तहत सभी वास्तविक और संभावित रिश्वत देने वालों को अपराधी घोषित करता है।
- यह एक वास्तविकता है कि हमारे देश में लोग राशन, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तरह अपने बुनियादी हकों को पाने के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर हैं।
- लोक सेवक पर अभियोग लगाने से पहले सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनता की राय होने के बावजूद, यह संशोधन सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को भी इस प्रावधान के तहत कवर करने के द्वारा इसे और सशक्त करने का प्रावधान करता है।

आगे की राह

- सरकार को कम से कम तीन प्रकार के रिश्वत देने वालों को उन्मुक्ति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए:
- जो लोग अपने कानूनी हकों को प्राप्त करने के लिए रिश्वत का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं।
- जो लोग स्वेच्छा से और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत और गवाही देने के लिए तैयार होते हैं।
- जो लोग गवाह (अप्रूवर) बनने के लिए तैयार हैं।
- अगर सरकार एक प्रभावी शिकायत निपटान प्रणाली की स्थापना करे तो उत्पीड़क भ्रष्टाचार का मुकाबला अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
- पीसीए के द्वारा अभियोग लगाने वाली एजेंसियों को सरकारी प्रभाव से बचाना चाहिए।
- लोकपाल कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने की शक्ति को लोकपाल में निहित किया गया है। प्रस्तावित संशोधन को इसे प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- जहाँ भी अभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति को लोकपाल या लोकायुक्त कानून में परिभाषित किया गया है, वहां इसे ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए।
- अन्य मामलों में जहां कोई लोकपाल या लोकायुक्त गठन नहीं किया गया है एक स्वतंत्र समिति को मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपा जाना चाहिए।

1.4 चुनावी परिदृश्य और मुफ्त उपहार

(Freebies in Election)

- हाल के समय में, विभिन्न दलों के द्वारा अपने चुनावी घोषणा-पत्र मे मुफ्त लैपटॉप, शिक्षा-ऋण माफी, मुफ्त पानी की आपूर्ति आदि सुविधाएं मुफ्त प्रदान करने का वादा किया जा रहा है।
- यह पैटर्न दक्षिणी राज्यों में अधिक उभर रहा है और दिन-ब-दिन चुनावों में यह प्रवत्ति बढ़ती जा रही है।
- इस प्रवत्ति के लगातार बढ़ते जाने ने सुप्रीम कोर्ट को वर्ष 2013 में हस्तक्षेप करने के लिए विवश कर दिया। न्यायालय के द्वारा राजनीतिक दलों के द्वारा अपने घोषणा-पत्र में शामिल किये जाने वाले वादो के संबंध में चुनाव आयोग को दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में धारा 8 को जोड़ा गया है जिसके अनुसार :

- चुनाव घोषणा-पत्र में संविधान के आदर्शों के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए और घोषणा-पत्र को आदर्श आचार संहिता की भावना के अनुरूप होना चाहिए।
- पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के साथ ही यह अपेक्षा भी की जाती है घोषणा-पत्र का स्वरुप तार्किक हो अर्थात् इसमें किये गए वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय साधनों और स्रोतों का भी जिक्र किया गया हो।
- मतदाताओं का भरोसा केवल उन वादों के माध्यम से जीता जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो।

VISION IAS

इस व्यवस्था में निहित समस्या:

- आदर्श आचार संहिता कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
- घोषणा-पत्र की सामग्री को सीधे नियंत्रित करने के लिए कोई अधिनियमन नहीं है।
- जन प्रतिनिधि कानून की धारा 123 रिश्वत को एक अपराध घोषित करता है लेकिन किसी पार्टी विशेष के द्वारा मतदान की किसी भी शर्त के बिना प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त वस्तुएं देने के वादे को रिश्वत के रूप में नहीं माना जा सकता।

मुफ्त देने का प्रभाव:

लोकतंत्र पर

- यह चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है और पार्टी विशेष के पक्ष में मतदाताओं को लुभा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त प्रदान करने के वादे ने बहुत हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है इसने समान प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित किया है।
- लेकिन एक राय यह है कि:
- मतदाता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है और इन मुफ्त वस्तुओं के माध्यम से मतदाताओं को आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता| एक बार मतदाता के इन मुफ्त वादों के वित्तीय निहितार्थ को समझ लेने पर बहुत कम सम्भावना है कि तर्कहीन वादों के आधार पर वे किसी पार्टी को वोट देंगे।
- मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करती है कि उपहार,मतदाताओं के निर्णयन को प्रभावित नहीं करें। वास्तव में, मुफ्त वस्तुएं प्रदान करने का वादा करने वाला राजनीतिक दल दुविधा की स्थिति में होता है क्योंकि यह समझ पाना मुश्किल है कि मतदाताओं के द्वारा किसके लिए मतदान किया गया है।
- कुछ प्रयोगों से भी स्पष्ट होता है कि मुफ्त वस्तुएं प्रदान करने के वादे और किसी पार्टी के लिए वोट करने के बीच कोई संबंध नहीं है।

अर्थव्यवस्था पर

- यह सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालता है पार्टी के द्वारा सत्ता में आने पर राजकोष से भारी व्यय किया जाता है।
- राज्यों पर कर्ज का बोझ कई गुना बढ़ जाता है और दृष्टव्य है कि कुछ राज्यों में राजस्व घाटे का आकार काफी बड़ा है।
- यह आवश्यक सेवाओं और विकास कार्यक्रमों से संशाधनों को डायवर्ट करता है।

लोगों के कल्याण पर

- स्कूल की लडकियों के लिए साइकिल वितरण योजना से स्कूल छोड़ने की दर कम हुई है और लैपटॉप देने से छात्रों के लिए अवसर बढ़े हैं।
- इन मुफ्त वस्तुओं के वितरण में वास्तव में जमीनी स्तर पर बहुत कम भ्रष्टाचार व्याप्त है सरकार द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं में इसे देखा जा सकता है।
- लेकिन यह सरकार के समाज कल्याण के दायित्व को मुफ्त वस्तुएं प्रदान करने तक सीमित कर देता है जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपेक्षित हो जाती हैं।

प्रशासन पर

- यह कुछ मामलों में निर्णय लेने के कार्य को सहज बनाता है जिसके परिणाम स्वरुप जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायता मिलती है।
- लेकिन यह हमारी राजनीति के लोकतांत्रिक प्रकृति के खिलाफ है।

आगे की राह

- यदि पार्टी के द्वारा कुछ वादा किया गया है तो इसे कार्यान्वित करने की योजना और आवश्यक धन के स्रोत का भी स्पष्ट संकेत किया जाना चाहिए।
- चुनाव घोषणा-पत्रों से सम्बंधित प्रावधानों को समाहित करने वाला एक कानून लाया जा सकता है।

1.5 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की निगरानी हेतु सुप्रीम कोर्ट का पैनल

(SC Panel to Monitor Medical Council of India [MCI])

सुर्खियों में क्यों ?

- संसदीय स्थायी समिति की मार्च 2016 की रिपोर्ट से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशिष्ट और असाधारण शक्तियों के इस्तेमाल के द्वारा एक, तीन सदस्यीय समिति गठित की ।
- समिति का गठन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में किया जाएगा। यह समिति कम से कम एक वर्ष तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के कामकाज की निगरानी करेगी।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 का अध्ययन करने के लिए जुलाई 2014 में डॉ रंजीत रॉय चौधरी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
- समिति ने पिछले वर्ष सितंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इसके द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
- इस वर्ष मार्च में, संसद की स्थायी समिति ने भी एमसीआई पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 :

- यह सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है।
- सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का, उपलब्ध कानूनों में उचित न्याय की प्राप्ति हेतु पर्याप्त प्रावधान न होने की स्थिति में प्रयोग कर सकता है।
- यद्यपि अनुच्छेद इस शक्ति के प्रयोग के कारणों और परिस्थितियों संबंधी कोई सीमा निर्धारित नहीं करता।
- इस शक्ति के प्रयोग करने के निर्णय का अधिकार पूर्णरूपेण सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है।

VISION IAS

नए पैनल की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के लिए निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये:

- इसे एमसीआई अधिनियम के तहत सभी वैधानिक कार्यों की निगरानी करने का अधिकार होगा।
- एमसीआई के सभी नीतिगत फैसलों को, निगरानी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- समिति उपयुक्त उपचारात्मक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी।
- समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि केंद्र सरकार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर पर्याप्त विचार के बाद किसी अन्य उपयुक्त तंत्र की स्थापना नहीं करती है।

नोट: एमसीआई पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए विजन आईएएस मार्च 2016 करंट अफेयर्स पढ़ें ।

1.6 धन विधेयक के प्रमाणीकरण का मुद्दा

(Money Bill Certification Issue)

सुर्खियों में क्यों? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आधार विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के निर्णय को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। जिस पर जुलाई के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाएगी ।

मामला क्या है ?

- हाल ही में, आधार विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक के रूप में पारित किए गए।
- इसका अर्थ था कि राज्यसभा की इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान केवल परामर्शकारी भूमिका थी।
- कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये विधेयक, धन विधेयक होने के संविधान द्वारा निर्धारित सख्त मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं।

अतीत में इसी तरह के मामले

- वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक, धन विधेयक के रूप में पारित कर दिया था तथा इसे विधान परिषद को नहीं भेजा था।
- अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी (मो. सईद सिद्दीकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि प्रस्तुत मामले में विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में विधान सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है। इस निर्णय और विधानसभा की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 212 के अनुसार किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती।

आगे की राह

- हमारा संविधान ब्रिटिश परम्पराओं पर आधारित है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय चुने गए सदन के अध्यक्ष का होता है।
- हालांकि, ब्रिटिश प्रक्रिया और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंतर है। ब्रिटिश व्यवस्था में अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को प्रमाणित करने से पूर्व हाउस ऑफ कॉमन्स के नियुक्त किये गए दो वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श किया जाता है जबकि भारत में अध्यक्ष स्वयं यह निर्णय करता है।
- इस समस्या के समाधान के लिए अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में विधेयक प्रमाणित करने से पूर्व परामर्श हेतु एक परामर्शी तंत्र विकसित किया जा सकता है।

नोट: आधार विधेयक तथा धन विधेयक के मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए, विजन आईएएस मार्च 2016 का करंट अफेयर्स पढ़ें ।

प्रश्न : यदि राज्य सभा द्वारा धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा? (UPSC 2013)

(क) लोकसभा, राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है।

(ख) लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती।

(ग) लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है।

(घ) राष्ट्रपति विधेयक पारित करने के लिए एक संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है।

प्रश्न : भारतीय संसद के संदर्भ में, निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? (UPSC 2004)

(क) विनियोग विधेयक को कानून के रूप में अधिनियमित होने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

(ख) विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए विनियोग को छोड़कर भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।

(ग) नए करों के प्रस्ताव के लिए वित्त विधेयक आवश्यक है, लेकिन पहले से आरोपित करों की दर में परिवर्तन करने के लिए कोई विधेयक या अधिनियम आवश्यक नही है।

(घ) किसी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नही किया जा सकता।

1.7 बंधुआ मजदूर की पुनर्वास योजना को केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जायेगा

(Rehabilitation of Bonded Laborer Scheme to Be Made CSS)

सुर्खियों में क्यों

- केंद्र के द्वारा बंधुआ मजदूर योजना को केन्द्रीय क्षेत्र में प्रतिस्थापित करने हेतु इस योजना में संशोधन किया जा रहा है।

प्रस्तावित परिवर्तन

- योजना के अंतर्गत खर्च की जाने वाली कुल बजटीय राशि प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये से बढाकर 47 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

- संशोधन के पश्चात् विकलांग, मानव-तस्करी के व्यापार से बचाए गए महिला और बच्चे, यौन-शोषण का शिकार और ट्रांसजेंडर जैसे सबसे वंचित वर्गों को 3 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे। महिलाओं और नाबालिगों की विशेष श्रेणी को अब 2 लाख रुपये और एक सामान्य वयस्क पुरुष बंधुआ मजदूर को 1 लाख रुपये मिलेंगे।
- इस नए पैकेज के तहत पैसा डी.एम द्वारा नियंत्रित एक एन्युइटी खाते में रहेगा और इस धन से प्राप्त मासिक कमाई लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगी।खाते की मुख्य धनराशि जिलाधिकारी के निर्णय के बिना खर्च नहीं की जाएगी।
- नई योजना का विशेष उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला, विकलांग तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का भीख मांगने के संगठित समूहों के द्वारा, जबरन वेश्यावृत्ति और बाल श्रम जैसे बंधुआ मजदूरी के नए रूपों में शोषण न किया जा सके।
- कम से कम 10 लाख रुपये का एक स्थायी और नवीकरणीय जिला स्तरीय पुनर्वास कोष जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका सरकार द्वारा डीबीटी प्रणाली के माध्यम से प्रतिपूर्ति (Reimbursement) से पहले कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
- कलेक्टर राज्य के कार्यक्रम के माध्यम से भूमि, घर, राशन और व्यावसायिक समर्थन के रूप में कई गैर-नकद लाभ प्रदान कर सकता है।
- जिलाधिकारी उन परिस्थितयों में भी सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है जबकि बंधुआ मजदूरी का मामला प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध न हो पाया हो किन्तु प्रभावित व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो ।
- नाबालिग बच्चे और महिलाओं की निरंतर देखभाल राज्य के द्वारा की जाएगी और उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षित तथा कौशलयुक्त बनाया जायेगा। अनाथ लड़कियों की शादी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

1.8 सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिये उन्नत ज्योति (UJALA) योजना

(Unnat Jyoti by Affordable Leds for All [UJALA] Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और विद्युत , कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिये उन्नत ज्योति (UJALA) योजना को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया।

लक्ष्य:

योजना का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना, उर्जा-सक्षम उपकरणों का उपयोग कर, विद्युत के बिल को कम करना और पर्यावरण की रक्षा के सन्दर्भ में जागरूकता बढ़ाना है।

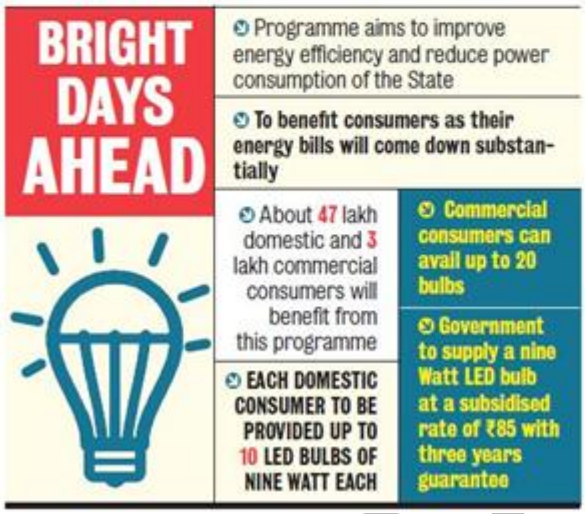

इस योजना का लक्ष्य

- 200 मिलियन तापदीप्त बल्बों (Incandescent Bulbs) को प्रतिस्थापित किया जाना।
- 10.5 बिलियन kWh समग्र वार्षिक ऊर्जा बचत की उम्मीद।
- 5000 मेगावाट के बराबर लोड में कमी की उम्मीद।
- उपभोक्ता बिलों में 40,000 करोड़ रुपये की वार्षिक कमी की उम्मीद।
- अनुमान के अनुसार वार्षिक रूप से 79 लाख टन CO2 जोकि एक ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में कटौती होगी।

खास बातें:

- उजाला योजना एलईडी आधारित कुशल लाइटिंग कार्यक्रम है।
- योजना पर एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड (www.delp.in) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से नजर रखी जा रही है।
- अब तक, ईईएसएल उजाला कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किये गए हैं।
- राज्य सरकारें स्वेच्छा से इस योजना को अपना रही हैं तथा यह पहले से ही 13 से अधिक राज्यों में चल रही है।
- बल्ब शहर में निर्दिष्ट स्थानों पर स्थापित किये गये विशेष काउंटर के माध्यम से वितरित किये जायेंगे।
- भारत सरकार के संयुक्त उद्यम इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और पावर एफिसिएनसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है।

1.9. भारतीय खेलों से संबद्ध मुद्दे

(Issues in Indian Sports)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल के दिनों में भारतीय खेलों में प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित कई घटनाएं हुई।
- कुछ मामलों को हल करने के लिए भारतीय न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस सन्दर्भ में लोढ़ा समिति का गठन और हाल ही में ओलंपिक के लिए कुश्ती खिलाड़ियों के चयन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्देश विचारणीय बिंदु हैं।

VISION IAS

समस्याएँ

भारत, 1.2 अरब लोगों का देश होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कई खेलों में अब तक अपेक्षित प्रदर्शन करने में सफल नहीं हो पाया है। भारतीय खेलों में व्याप्त समस्याओं में से कुछ निम्न हैं:

- **खेल का निम्नस्तरीय बुनियादी ढांचा:** स्कूल और कॉलेज स्तर पर बुनियादी ढांचे का अभाव है । भारत में पर्याप्त विश्व स्तरीय स्टेडियम नहीं हैं। खिलाड़ियों को अक्सर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्वयं अन्य देशों में जाना पड़ता है।
- **प्रशिक्षण और कोचिंग स्टाफ की कमी:** भारत में कोचिंग स्टाफ की कमी है। कुछ खेल अधिकारी विदेशी कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए दबाव डालते हैं जो पहले से ही बोझिल खेल निकायों पर अत्यधिक वित्तीय दबाव डालता है।
- **चयन प्रक्रिया:** विभिन्न एथलीटों के चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएँ पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर पहचान के अभाव का सामना कर रहीं हैं।
- **वित्तीय सहायता का अभाव:** सरकार के द्वारा सभी खेलों को समान रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य अत्यंत धीमी गति से संपन्न किया जा रहा है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** लगभग सभी खेलों में खेल निकायों में चाहे क्रिकेट हो, हॉकी या यहां तक कि कुश्ती आदि के प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप है।
- **जनता के समर्थन का अभाव:** भारत में, एथलीटों को जनता के समर्थन के मामले में चरम उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता।

आगे की राह

- **बेहतर प्रशासन:** प्रबंधन और खेल स्टाफ अलग-अलग होना चाहिए।
- **वित्तीयन:** वित्त के मुद्दे को हल करने के लिए, कॉर्पोरेट प्रायोजकों के माध्यम से निवेश प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
- राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय या राज्य खेल निकायों के प्रमुख के पद पर राजनीतिज्ञों की नियुक्ति को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ।
- अधिकाधिक छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, स्कूलों और कॉलेजों के साथ खेल अकादमियों का एकीकरण किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को कम उम्र में ही खेलों में कैरियर के बारे में जागरूक बनाया जा सके।
- **पारदर्शिता:** सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यक्त विचारों के अनुसार खेल महासंघों को सार्वजनिक निकायों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें आरटीआई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
- **सख्त दंडात्मक कार्रवाई:** जो लोग भ्रष्टाचार की गतिविधियों में पकड़े जाये उन्हें कड़ी सजा दी जाये।

1.10. जनगणना नगर वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में परिवर्तित

(Converting Census Towns to Statutory ULBs)

सुर्खियों में क्यों?

शहरी विकास मंत्रालय ने सभी 28 राज्यों को 3784 जनगणना नगरों को वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में परिवर्तित करने के लिए निर्देश दिया है।

जनगणना नगर क्या है ?

एक जनगणना नगर शहरी विशेषताओं से युक्त एक क्षेत्र है यथा:

- न्यूनतम 5000 की जनसंख्या होना चाहिए।
- गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए पुरुष मुख्य कार्य बल का कम से कम 75% हिस्सा हो।
- 400 प्रतिवर्ग कि.मी. का जनसंख्या घनत्व होना चाहिए।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना शहरों की कुल संख्या 3,784 थी जबकि 2001 में यह 1,362 थी।

वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) क्या हैं ?

एक वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) एक नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित शहरी क्षेत्र हो सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे शहरों की संख्या 4041 है जबकि 2001 में यह संख्या 3799 थी।

परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है?

- योजना बद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए।
- इसके माध्यम से इन क्षेत्रों के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के समग्र विकास के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
- 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय केंद्रीय सहायता पाने के हकदार हो जाते हैं।
- अमृत मिशन के तहत, वैधानिक शहरी स्थानीय निकायों की संख्या के आधार पर राज्यों के बीच 50% राशि आवंटित की जाएगी।

1.11 खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2016

सुर्खियों में क्यों ?

(Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill of 2016)

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
- गैर-कोयला खानों की नीलामी की व्यवस्था वर्ष 2015 में संशोधन के पश्चात् नए कानून में की गयी। वर्ष 2015 से पूर्व भारत में सभी खानों का प्रबंधन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता था किन्तु संशोधन के पश्चात् अस्तित्व में आये नए कानूनी

VISION IAS

प्रावधानों के तहत राज्य अब केवल नीलामी के पश्चात् पात्र घोषित व्यक्ति को ही खानों को हस्तांतरित कर सकेंगे।

EASY ACCESS

- **Now:** MMDR Act allows transfer of leases where the mine has been acquired through auction
- **After amendment:** Transfer of leases also allowed for those mines that have been allocated

Who will benefit: Mergers and acquisitions of companies will be easier

- Banks and financial institutions can liquidate stressed assets where a captive lease is mortgaged

किये गए प्रमुख संशोधन

- विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है जो भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है और खनन कार्यों के लिए लीज प्राप्त करने और प्रदान करने संबंधी नियमों को निर्धारित करता है।
- **खनन लीजों का स्थानांतरण** - इसमें नीलामी के अलावा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से दी गई कैप्टिव खानों के हस्तांतरण की अनुमति संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- **लीज क्षेत्र निर्धारित** - गैर खनिज क्षेत्र में कुछ परिभाषित गतिविधियों सहित लीज क्षेत्र को निर्धारित करता है।

लाभ

- यह बिना नीलामी के हासिल कैप्टिव लीजों के साथ खनन कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान करेगा।
- अधिग्रहण करने वाली कंपनियों के लिए विलय की गयी कंपनी के माध्यम से हासिल लीजों के माध्यम से कच्चे मॉल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
- **बैंकों को लाभ:** यह विधेयक जहां एक फर्म या उसकी कैप्टिव खानों के गिरवी (mortgage) की दशा में उसकी परिसंपत्तियों के मूल्यमान में वृद्धि करेगा। यह बैंकों को किसी सशक्त खरीदार को लाइसेंस हस्तांतरण में समर्थ बनाएगा।

1.12 भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

(SC Order on Land Acquisition)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सरकार को किसानों से अनिवार्य भूमि अधिग्रहण करने की अपनी शक्तियों का उपयोग करने से मना किया है।

फैसले की पृष्ठभूमि

- अदालत के द्वारा 2003 और 2005 के बीच रोहतक में हरियाणा सरकार द्वारा 800 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मुद्दे पर विचार के दौरान यह निर्णय सुनाया गया।द्रष्टव्य है कि यह भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) द्वारा अधिगृहीत की गयी थी जिसे हरयाणा सरकार के द्वारा भूमि के आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के रूप विकसित किये जाने के लिए निजी डेवलेपर को प्रदान किया गया था हालाकि बाद में जमीन का एक बड़े हिस्से पर रियल एस्टेट डेवलपर के द्वारा एक कॉलोनी विकसित करने के लिए न्यायालय के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य विशेषताएं

लाभ बनाम किसानों की आजीविका और अस्तित्व का मुद्दा

- सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि देश में भूमि एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो केवल अत्यंत अनिवार्य परिस्थितयों में गरीबों से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत किया जाना चाहिए।
- जिस परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है यदि किन्ही कारणों से वह प्रारंभ नहीं हो पाती तो भूमि को इसके वास्तविक स्वामी को लौटा देना चाहिए।
- **समानता ,संपत्ति तथा जीवन के अधिकार का** राज्य सरकार और निजी बिल्डर के बीच गठजोड़ के माध्यम से उल्लंघन किया जा रहा है।
- खंडपीठ ने अंतिम रूप से यह निर्णय दिया कि भूमि हरयाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वापस कर दिया जाय।

1.13 सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित मुद्दे

(Issues Related to RTI Act)

सुर्खियों में क्यों ?

राज्यसभा के कई सांसदों ने हाल ही में अधिनियम में संशोधन की मांग की है।

उठाये गए मुद्दे

- अधिनियम का प्रयोग सार्वजनिक पदाधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।इन परिस्थितियों में वे कोई भी निर्णय वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रूप से लेने में असमर्थ होते हैं।
- बड़ी संख्या में निरर्थक आरटीआई आवेदनों के दाखिल किये जाने से शासन की क्षमता को प्रभावित किया है।
- अधिनियम एक रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। अधिनियम के अंतर्गत, कोई व्यक्ति बिना अपना ठिकाना बताए ही मिसाइल कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल पूछ सकता है।

संबंधित अध्ययन और तथ्य

आरटीआई अस्सेसमेंट एंड नेशनल एडवोकेसी ग्रुप (RAAG) तथा नेशनल कैम्पेन आफ पीपल्स राइट्स टू इनफार्मेशन (NCPRI) द्वारा किये गए सयुंक्त अध्ययन में उद्घाटित तथ्य उपर्युक्त उठाये गए मुद्दों से विपरीत वस्तुस्थिति बयान कर रहे थे ।

VISION IAS

- RTI के तहत पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रतिशत से भी कम निरर्थक प्रश्न हैं।
- अधिकांश आवेदकों के द्वारा सरकार की कार्रवाई, सार्वजनिक प्राधिकारियों की कार्य प्रणाली तथा सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में जानकारी जैसी बुनियादी जानकारी मांगी गई।
- केवल 1 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र के द्वारा विशाल जानकारी मांगी गयी जिससे समय के दुरूपयोग की परिस्थितियां निर्मित हुई।
- मांगी गई जानकारी में से 70 फीसदी तक को स्वयं ही सार्वजनिक किया गया।
- अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अपवाद प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख है।

1.14 कॉल ड्रॉप नियम को समाप्त कर दिया गया

(Call Drop Rules Quashed)

सुर्खियों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के विवादास्पद कॉल ड्रॉप नियमों को खारिज कर दिया है।
- न्यायालय का मानना था की ये नियम "त्रुटिपूर्ण, असंवैधानिक, मनमाना" होने के साथ ही "अयुक्तियुक्त" हैं इनकी वास्तविक मंशा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना न होकर सेवा प्रदाताओं को दंडित करना है।
- सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि दूरसंचार कंपनियों पर जिन कारणों के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं सख्त दंड आरोपित करना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- न्यायालय ने भी अमेरिका प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम की तर्ज पर एक कानून का निर्माण करने के लिए संसद को सलाह दी।

पृष्ठभूमि

- ट्राई ने इस नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रति कॉल ड्रॉप 1 रुपये (एक दिन में अधिकतम 3 रुपये) की सीमा के साथ, प्रदान करने के लिए आदेश दिया था।
- लाइसेंस की शर्तों के अनुसार 2% तक कॉलड्राप स्वीकृत है। लेकिन ट्राई के निर्देश के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को सभी कॉलड्राप के लिए उपभोक्ताओं को भुगतान करना होता। यह लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था।
- इसके अलावा एक सर्वेक्षण के अनुसार कॉलड्राप के मामलों का लगभग 67% सिग्नल की विफलता के कारण थे| जिसके लिए नेटवर्क प्रदाता जिम्मेदार नहीं थे।
- बल्कि, कॉलड्राप की समस्या की जड़ कई कारकों का संयोग है जिनमें फोन और टावर के बीच कई ऊंची इमारतों का होना, उच्च सुरक्षा के क्षेत्रो और परिसर में जैमर, वीवीआईपी, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिबंध और व्यस्त नेटवर्क जैसे कारण शामिल हैं।

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

INTERNATIONAL/INDIA AND WORLD

2.1 भारत और ईरान

(India and Iran)

प्रधानमंत्री के द्वारा ईरान की पहली आधिकारिक यात्रा की गयी। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापारिक, बंदरगाह विकास, संस्कृति, विज्ञान, और शैक्षणिक सहयोग जैसे 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

चाबहार बंदरगाह समझौता

भारत और ईरान के द्वारा ऐतिहासिक चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। यह समझौता भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य-एशिया और यूरोप के संदर्भ में प्रवेश द्वार के समान है।

- समझौते के अंतर्गत दो टर्मिनलों और पांच बर्थ के विकास और संचालन के लिए 10 वर्षों का एक अनुबंध किया गया।
- 500 मिलियन डालर की क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाने के साथ ही इस्पात रेल और बंदरगाह के कार्यान्वियन हेतु 3,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे ।
- चाबहार-जेदान (Zahedan) रेलवे लाइन के विकास के लिए 1.6 अरब डालर का वित्तीयन उपलब्ध कराने के साथ ही भारतीय रेल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में एम. ओ. यू. करार संपन्न किया गया। द्रष्टव्य है कि चाबहार-जेदान (Zahedan) रेलवे लाइन भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच पारगमन और व्यापार गलियारे से संबंधित त्रिपक्षीय समझौते का भी हिस्सा है।
- भारत चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में यूरिया संयंत्रों से लेकर एल्यूमीनियम उद्योग जैसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में निवेश करेगा।

नई दिल्ली और तेहरान 2003 में ईरान-पाकिस्तान सीमा के पास, बंदरगाह विकसित करने के लिए सहमत हुए थे लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण तथा कुछ हद तक भारतीय पक्ष की निष्क्रियता के कारण परियोजना प्रारंभ नहीं हो पाई।

बंदरगाह का आर्थिक महत्व

- एक बार चाबहार बंदरगाह विकसित हो जाने के पश्चात् भारतीय जहाजों की ईरानी तट तक सीधी पहुँच हो जाएगी; अफगान सीमावर्ती शहर जरांज तक एक रेल लाइन भारत को पाकिस्तान के चारों ओर मार्ग प्रदान करेगी।
- वर्ष 2009 में भारत के द्वारा विकसित की गयी जरांज-डेलाराम सड़क के माध्यम से भारत गारलैंड हाईवे से संबद्ध हो सकता है। गारलैंड हाईवे से भारत की संबद्धता भारत को अफगानिस्तान के 4 प्रमुख शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ तक पहुँच प्रदान करेगी।
- यह ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा।
- इस परियोजना के माध्यम से, भारत से अफगानिस्तान तक केवल माल भेजना ही सुगम नहीं होगा अपितु मध्य-एशिया के लिए भविष्य में विकसित किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) के साथ संबद्धता भी संभव हो पायेगी ।

सामरिक महत्व

- चाबहार 46 अरब डालर की राशि से चीन द्वारा विकसित किये जाने वाले आर्थिक गलियारे के मुख्य केंद्र ग्वादर बंदरगाह से महज 100 किमी दूर है।
- चीन-पाकिस्तान आर्क को पूरी तरह दर-किनार करते हुए यह मध्य-एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के समान कार्य करेगा।
- चाबहार में भारत की उपस्थिति पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के जरिये चीनी उपस्थिति के प्रभावों को कम करेगा।

त्रिपक्षीय व्यापार संधि

- भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने इस बंदरगाह के विकास के लिए त्रिपक्षीय व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए।
- यह त्रिपक्षीय परिवहन गलियारा परियोजना दक्षिण और मध्य-एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि इस समझौते को 'गेम चेंजर' के रूप में परिभाषित किया जा रहा है।

2.2 भारत और न्यूजीलैंड

(India and New Zealand)

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा की गयी। भारत के किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा यह यह न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

यात्रा के परिणाम

- राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और कौशल विकास के साथ-साथ उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के बारे में बात की।
- इस यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने पर्यटन और व्यापार के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी

VISION IAS

उड़ानों को संभव बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

न्यूजीलैंड का महत्व

- **व्यापार**: भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2015 में 885 मिलियन डालर था, जिनमें से भारत का निर्यात वर्ष 2015 में 429 मिलियन डालर था। अतः स्वाभाविक रूप से दोनों देशों के मध्य व्यापार में वृद्धि की अपार सम्भावना है। दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।
- **भारतीय डायस्पोरा:** न्यूजीलैंड भारतीय मूल के 170,000 से अधिक लोगों का घर है।
- न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम कुशल प्रवासियों के लिए यह समझौता एक बड़ा अवसर है।
- **उच्चतर शिक्षा:** भारतीय छात्रों की संख्या न्यूजीलैंड में उपस्थित कुल विदेशी छात्रों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है ।
- न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
- न्यूजीलैंड को कोल्ड स्टोरेज आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रौद्योगिकी में महारथ हासिल है, दोनों ही तकनीकियाँ भारतीय हितों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- एक शांतिपूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दोनों ही राष्ट्रों के साझे हित निहित हैं अतः ये इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में भागीदार के रूप में काम कर सकते हैं।
- न्यूजीलैंड भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए महत्वपूर्ण देश है।
- न्यूजीलैंड का प्रशांत द्वीपीय देशों पर अत्यधिक प्रभाव है

2.3 भारत और इटली

(India and Italy)

इतालवी मरीन मामला

संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है, जब तक इसके द्वारा वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या की कोशिश के मामले पर न्यायिक प्रक्रिया के भारत में चलाये जाने संबंधी अधिकार क्षेत्र के बारे में निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक इतालवी मरीन इटली लौट सकते हैं।

- न्यायाधिकरण के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब तक एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण भारत और इटली के बीच क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर फैसला करता है गिरोने (इतालवी मरीन) इटली लौट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्री गिरोने को रिहा करने के लिए निम्नलिखित शर्ते रखीं।
- उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में बना रहेगा और इन्हें महीने में एक बार इटली में स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के साथ ही भारतीय दूतावास को अपने बारे में निरंतर सूचित करते रहना होगा ।
- दूत की जिम्मेदारी: इतालवी राजदूत को भारत में मुकदमे के पक्ष में न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने पर एक महीने के भीतर उनकी वापसी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

दो इतालवी मरीन मासीमिलियानो लातोरी और गिरोने वर्ष 2012 में केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप का सामना कर रहे हैं।

इटली का दृष्टिकोण

- इटली का मानना है कि कोच्चि से 20.5 नॉटिकल मील की दूरी एक व्यापारी टैंकर, एनरिका लेक्सी, पर तैनात दो मरीन के द्वारा समुद्री डाकू हमला समझ कर इसे विफल करने के लिए गोली चलायी गयी ।
- इस मामले में और अधिक तर्क देते हुए इटली ने कहा कि मछुआरों की मौत उनके परिचालन कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई है इसलिए उन्हें इस कृत्य के लिए सैन्य सेवा करने वाले व्यक्तियों के समान उन्मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- इटली का तर्क है कि इस मामले को भारत में नहीं सुना जाना चाहिए, क्योंकि घटना अंतरराष्ट्रीय जल-सीमा में हुई।

भारत का दृष्टिकोण

भारत के द्वारा लगातार इतालवी तर्क को खारिज किया गया है और भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए अपने संप्रभु अधिकार लागू करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

समुद्र कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS)

जून 2015 इटली ने हैम्बर्ग में समुद्री कानून (ITLOS) के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

- न्यायाधिकरण के द्वारा ,यह मामला भारत या इटली किसके अधिकार क्षेत्र में आता है जैसे सीमित विषय पर ही विचार किया जा रहा है।
- अगस्त 2015 में ITLOS ने निर्णय दिया कि: "इटली और भारत में चल रही सभी अदालती कार्यवाहियों को रोक दिया जाय और कोई नई कार्यवाही प्रारंभ न की जाय ,क्योंकि संभव है कि इन कार्यवाहियों से विवाद और बढ़ सकता है या विवाद ,अनुबंध VII के अंतर्गत सुनवाई कर रहे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय में बाधा पंहुचा सकता है। इन परिस्थितियों में निर्णय के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
- ITLOS फैसले के बाद, दोनों दलों में सहमति हुई कि विवाद UNCLOS न्यायाधिकरण के तहत सुलझा लिया जाएगा।
- 2 मई 2016:संयुक्त राष्ट्र की एक मध्यस्थता अदालत ने भारत को इतालवी मरीन सल्वातोरे गिरोने को रिहा करने का आदेश दिया ।

2.4 भारत और फिलीपींस

(India and Philippines)

कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यार्ड (GRSE) फिलीपींस नौसेना को दो युद्धपोतों की आपूर्ति के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला उपक्रम बना है।

VISION IAS

जीआरएसई ने कमोर्ता (Kamorta) वर्ग के एंटी सबमैरीन वारफेयर (ASW) जहाजों की फिलिपीन्स को पेशकश की है।

- भारत ने पहली बार दिसंबर 2014 में एक अपतटीय गश्ती पोत के रूप में मॉरीशस को अपने पहले युद्धपोत का निर्यात किया।
- भारत द्वारा वर्ष 2014 में किये 100 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट प्रदान करने के समझौते के तहत वियतनाम के लिए 4 गश्ती जहाजों की आपूर्ति की जाएगी ।

'एक्ट ईस्ट' नीति

- भारत सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में अपने संबंधों को अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत सशक्त करेगा जिसमें समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग की केंद्रीय भूमिका है |

2.5 इराक में राजनीतिक संकट

(Political Crisis in Iraq)

धार्मिक नेता मुक्तदा अल-सद्र के प्रति वफादार प्रदर्शनकारियों ने बगदाद की सरकार के प्रमुख केंद्र पर धावा बोलने के साथ ही इराकी संसद पर कब्जा कर लिया और साथ ही एक वरिष्ठ कानून निर्माता पर हमला किया।

प्रदर्शनकारियों की मांगें-

- एक गैर-सांप्रदायिक टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट के गठन सहित अन्य राजनीतिक सुधारों की मांग की गयी ।
- वर्ष 2003 के बाद से इराक की सरकार के गठन का मुख्य आधार रहे सांप्रदायिक कोटा व्यवस्था का परित्याग।

नवीनतम संकट के कारण

- तेल की कम कीमतों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाया है जिससे इराकी सरकार की अपने नागरिकों को मूलभूत सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता कमजोर हुई है|
- स्थानिक सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त हुआ है।
- संसद पिछले कुछ महीनों में निष्क्रिय रही है।
- सरकार उग्रवादी हिंसा से अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है।
- वस्तुस्थिति यह है कि इराकी क्षेत्र के लगभग एक-चौथाई क्षेत्र इस्लामिक स्टेट संगठन द्वारा नियंत्रित किये जा रहे है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता निर्मित करने के प्रयासों में सफल नहीं हो पाए हैं तथा वे सुन्नियों और कुर्दों का विश्वास जीतने में भी असमर्थ रहे हैं।

मौजूदा संकट का प्रभाव

- इराक की राजनीतिक स्थिरता गंभीर रूप से अमेरिका की आईएसआईएस का सामना करने की क्षमता पर निर्भर है। यह क्षमता न केवल आईएसआईएस को हराने की है अपितु इसके पुनर्गठन को रोकने की भी है।
- इराक में राजनीतिक व्यवस्था की विफलता, सुन्नी आबादी के एक बड़े हिस्से को व्यवस्था से अलग- थलग कर देगी।

2.6 एशिया में संपर्क और विश्वास बहाली के उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए)

(Conference On Interaction and Confidence Building Measures in Asia [CICA])

यह एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अंतर-सरकारी मंच है।

- भारत सहित 26 सदस्यों वाले सीआईसीए की स्थापना 1992 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव द्वारा एक प्रस्ताव के आधार पर अंतर-सरकारी विचार-विमर्श करने के लिए की गई थी।
- इस मंच के विदेश मंत्रियों की पांचवी बैठक चीन के बीजिंग शहर में आयोजित की गयी थी।
- इस बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका के 'धुरी' (Pivot) सिद्धांत का मुकाबला करने के लिए एक नए सुरक्षा सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया।
- चीन ने, अमेरिका द्वारा उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करने के लिए एशियाई देशों को "एशियाई विशेषताओं" के साथ एक सुरक्षा शासन मॉडल तैयार करने के आमंत्रित किया।
- राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने "आम सहमति बनाने के लिए और संवाद को बढ़ाने के लिए" **एशियाई विशेषताओं के साथ सुरक्षा शासन मॉडल** को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभागियों से आग्रह किया ।

समुद्री विवाद

- अमेरिकन पिवोट सिद्धांत का जवाब देने हेतु दक्षिण चीन सागर में चीन की ताजा सक्रियता के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है।
- वाशिंगटन के द्वारा इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को "नौवहन की स्वतंत्रता" के लिए एक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से दक्षिण चीन सागर से गुजरने वाले 5.3 ट्रिलियन डालर के व्यापार में बाधा आ सकती है।
- चीन ने एशियाई देशों के बीच मतभेदों को हल करने के लिए बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप अथवा मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर आपत्ति जताई है,
- चीनी पक्ष के द्वारा बार-बार, बीजिंग के साथ अपनी समुद्री दावों को निपटाने के लिए हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता न्यायालय में याचिका दायर करने के मनीला के फैसले की आलोचना की गयी है ।

VISION IAS

2.7 सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P)

(Responsibility to Protect [R2P])

R2P या RtoP, वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध, नस्लीय हिंसा (ethnic cleansing) और मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए व्यक्त की गयी वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है।

R2P के प्रमुख आधार

वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में तैयार किये गए दस्तावेज में निर्धारित किये गए और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की 2009 की रिपोर्ट में व्यक्त किये R2P के तीन प्रमुख आधार है :

- नरसंहार, युद्ध-अपराध, नस्लीय हिंसा (ethnic cleansing) और मानवता के खिलाफ अपराध करने अथवा उन्हें करने के लिए भड़काने से रोकना तथा नागरिकों की रक्षा करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य का है ;
- राज्यों को प्रोत्साहित करने और इस जिम्मेदारी को पूरा करने में इनकी सहायता करने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की है;
- इसके अतिरिक्त राजनयिक मानवीय और अन्य साधनों के उपयोग के द्वारा इन अपराधों से नागरिकों की रक्षा करना भी एक प्रमुख जिम्मेदारी है।
- इसके अतिरिक्त यदि राज्य घोषित रूप से अपने नागरिकों की रक्षा करने में असफल रहता है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, सामूहिक कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

R2P सिद्धांत की आलोचना

दृष्टव्य है कि R2P सिद्धांत का मानवीय कारणों की अपेक्षा कुछ चुनिंदा सत्ता परिवर्तनों में इस्तेमाल किया गया है। इस सन्दर्भ में आलोचकों की प्रमुख चिंता है कि पश्चिमी हस्तक्षेप मूल कारणों को नजरअंदाज कर स्थितियों को और भयावह बनाएगा ।

- लीबिया: फरवरी 2011 में लीबिया सरकार के खिलाफ हुए एक विद्रोह ने R2P का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के द्वारा नाटो को नागरिकों और नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों की रक्षा के लिए अधिकृत किया गया किन्तु नाटो ने इस प्रस्ताव का प्रयोग सत्ता परिवर्तन की अनुमति के रूप में किया।
- नाटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकार का अतिक्रमण किया गया।
- वाशिंगटन ने हस्तक्षेप का समर्थन किया जिसका आधार लीबिया न होकर मानवीय आधार पर किया गया हस्तक्षेप था ।
- **इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष:** इजरायल के ओपरेशन कास्ट लीड (2008-09), के दौरान गाजा पर बमबारी के दौरान R2P के प्रयोग नहीं किया गया जबकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया इस ऑपरेशन को युद्ध अपराधों की कोटि का पाया गया था।

सीरिया:

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के द्वारा लीबिया के मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकार का अतिक्रमण करने के कारण सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप के बारे में कोई आम सहमति नहीं है। परिणामस्वरुप, ब्रिक्स देश अब सीरिया के बारे में किसी भी प्रस्ताव को संदेहात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सीरिया संकट से पता चलता है कि "सुरक्षा की जिम्मेदारी (R2P)" की अवधारणा संकट में क्यों है।

2.8 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)

(Nuclear Suppliers Group [NSG])

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (**NSG**) एक बहुराष्ट्रीय निकाय है। यह परमाणु हथियारों के विकास के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले पदार्थों के निर्यात और पुनः हस्तांतरण को नियंत्रित करने के माध्यम से परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह मौजूदा सामग्री पर निगरानी और सुरक्षा सम्बन्धी मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रयास करता है।

- एनएसजी मई 1974 में भारतीय परमाणु परीक्षण की परिस्थितियों में स्थापित किया गया था तथा इसकी प्रथम बैठक नवंबर 1975 में हुई ।
- वर्ष 2014 तक एनएसजी में 48 सदस्य थे ।
- चीन के द्वारा यह घोषणा की गयी कि जब तक भारत के द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते वह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता का विरोध करता रहेगा ।
- बीजिंग एनएसजी में भारत की सदस्यता को पकिस्तान की सदस्यता के साथ सम्बद्ध करता है।
- अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार के बाद भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद वर्ष 2008 में परमाणु आयात के लिए एनएसजी से छूट मिल गयी है,
- 48 सदस्यीय एनएसजी आम सहमति के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है न कि बहुमत के आधार पर अतः भारत सभी देशो को सहमत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत के द्वारा की जा रही यह कोशिश संयुक्त राष्ट्र महासभा को संयुक्त राष्ट्र में किये जाने वाले सुधारों के सम्बन्ध में कदम उठाने हेतु सहमत करने के समान है ।
- भारत, इजरायल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान; इन चार देशों ने अभी तक NPT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

ECONOMY

3.1. बैंकों का समेकन

(Bank Consolidation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक ने उसके 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के स्वयं में विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1991 के बाद से, नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के साथ बड़े बैंक बनाने की मांग उठी है। ज्ञान संगम (वार्षिक बैंकर सम्मेलन) के दूसरे संस्करण में भी बैंकों के समेकन की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
- इस समय, गैर निष्पादनकारी संपत्तियों की अधिकता (High NPAs) की वजह से समेकन की माँग ज्यादा उठ रही है, क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता कम कर रहे हैं और सरकार पर उनके पूंजीकरण का दबाव है।

सहयोगी बैंकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के विलय के लाभ

- भारतीय स्टेट बैंक दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो जायेगा; इससे विश्वास एवं निवेश बढ़ेगा और अधिक ऋण उपलब्ध होगा।
- भारतीय स्टेट बैंक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सौर ऊर्जा, सागरमाला जैसी बड़ी आधारभूत परियोजनाओं के वित्त-पोषण को सहारा देने का कार्य करेगा।
- इससे पूरे भारत में भारतीय स्टेट बैंक की नेटवर्किंग में वृद्धि होगी, जिससे सहयोगी बैंकों की तुलना में भारतीय स्टेट बैंक की बेहतर सेवाएं दूर-दराज के स्थानों तक पहुँच पाएंगी।
- इससे दोहराव कम हो जाएगा क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक समान उत्पादों के साथ समान ग्राहकों को लक्षित करते हैं।
- यह संसाधनों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा; संचालन, मानव संसाधन और तकनीकी समाधान पर लागत को कम करेगा, बैंक शाखाओं की ओवरलैपिंग कम होगी तथा अंतर-बैंक लेन-देन लागत भी कम हो जाएगी।

विलय से नुकसान

- वर्तमान में इन सभी बैंकों के पास उच्च गैर निष्पादनकारी संपत्ति है, इसलिए पर्याप्त पूंजी डालने के बाद ही इस प्रकार के विलय की योजना बनाई जानी चाहिए।
- इससे बैंकिंग प्रतिद्वंदिता प्रभावित होगी क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से पांच गुना बड़ा हो जायेगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को **घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक** घोषित किया है और इसकी असफलता वित्तीय प्रणाली के अन्य भागों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।
- जापान, अमरीका, आदि में वित्तीय संकट के साथ बड़े बैंकों की विफलता के कई उदाहरण हैं
- अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा इसके विरोध में हड़ताल की धमकी दी गयी है
- भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति ख़राब है, इसलिए विभिन्न प्रकार के बैंकों और विभेदित सेवाओं की जरूरत है।

आगे की राह

समेकन एक सही कदम है, लेकिन भविष्य के जोखिम से बचने के लिए उचित योजना और सख्त उपायों के साथ निर्देशित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता है।

3.2. मॉरीशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन

(Amendment of DTAA with Mauritius)

मॉरीशस के साथ 30 वर्ष पुराने **दोहरे कराधान से बचाव** समझौते में संशोधन के प्रोटोकॉल पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं।

दोहरे कराधान से बचाव समझौता क्या है?

- कर 2 प्रकार के होते हैं - स्रोत आधारित और निवासी आधारित।
- ज्यादातर पश्चिमी देश निवासी आधारित कराधान पर भरोसा करते हैं (क्योंकि उनकी वैश्विक आय अधिक है), जबकि भारत जैसे विकासशील देश निवेश के अवसरों के कारण स्रोत आधारित कराधान के पक्ष में हैं।
- जब स्रोत देश और निवासी देश कराधान के अपने अधिकारों का प्रयोग एक साथ करते हैं, तो दोहरे कराधान की समस्या पैदा होती है; इससे बचने के लिए ही यह समझौता किया जाता है।

संशोधन की जरूरत क्यों थी?

- 1983 की संधि के अनुसार, केवल मॉरिशस को ही पूंजीगत लाभ पर कराधान की अनुमति थी। लेकिन मॉरीशस ने इसे लागू नहीं किया। इसलिए कंपनियां पूरी तरह से कर-मुक्त हो गयीं।
- इस वजह से कर बचाने के लिए मॉरीशस से बड़े पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आमद हुई (भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 34%)।

संशोधन की मुख्य विशेषताएं

- भारत अब मॉरीशस में स्थित कंपनी पर भी पूंजीगत लाभ पर कर लगा सकता है।
- 2019 तक दो वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि के लिए कर की सीमा भारतीय दरों की 50% रहेगी – यह लाभ एक कंपनी को तभी मिलेगा अगर वह मुख्य उद्देश्य और वैध व्यापार (main purpose and legitimate business) की जरुरी आवश्कता पूरी करे। यदि मॉरीशस में परिचालित हो रही किसी कम्पनी का पिछले 12 महीनों में कुल व्यय 27 लाख रुपये से कम होगा तो उसे दिखावटी कंपनी माना जायेगा।
- यह सिंगापुर संधि के लिए भी लागू होगा।

VISION IAS

लाभ

- यह धन के राउंड ट्रिपिंग के लिए संधि के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, निवेश को व्यवस्थित करेगा, दोहरे गैर कराधान को रोकेगा और कर अनिश्चितता को कम करेगा।
- इससे कर चोरी के लिए मॉरीशस में दिखावटी कंपनी बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
- यह बीईपीएस (Base erosion and profit shifting) से निपटने के लिए ओईसीडी और जी-20 के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- समान बर्ताव का प्रावधान लंबे समय में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।

समस्याएँ

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट आएगी; मॉरीशस और सिंगापुर से भारत में 50% विदेशी निवेश आता है।
- साइप्रस और नीदरलैंड जैसी अन्य जगहों के माध्यम से पैसा भारत में भेजा जा सकता है।
- पी-नोट्स की तरह ऋण और शेयर साधनों में निवेश के अपारदर्शी तरीकों की उपस्थिति।

- आधार का कमजोर होना एवं मुनाफे का हस्तांतरण (बीईपीएस) का मतलब वे कर योजना रणनीतियां हैं जो कर नियमों में कमियों को भुना कर, लाभ को कम आर्थिक गतिविधि वाले देश में ले जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है।
- बीईपीएस का विकासशील देशों के लिए प्रमुख महत्व है, क्योंकि वे कॉर्पोरेट आयकर पर अधिक निर्भर हैं।

3.3. सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई)

(Social Progress Index [SPI])

सामाजिक प्रगति सूचकांक क्या है?

यह सामाजिक और पर्यावरण संकेतकों का एक समग्र सूचकांक है जो सामाजिक प्रगति के 3 आयामों पर आधारित है: बुनियादी मानवीय जरूरतें, भलाई की आधारशिला (Foundations of Wellbeing) और अवसर। यह किसी देश द्वारा किए गए प्रयास के बजाय सफलता के परिणामों का उपयोग कर सामाजिक प्रगति को मापता है।

अन्य सूचकांकों की सीमितता

1. **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):** सकल घरेलू उत्पाद एक राष्ट्र की आर्थिक प्रगति मापता है, पर इसमें गैर बाजार गतिविधियाँ जैसे घर की बागवानी, माँ द्वारा बच्चे का ख्याल रखना आदि शामिल नहीं है। इसमें पर्यावरण, खुशी, समानता, न्याय तक पहुँच जैसे कारक भी शामिल नहीं हैं।
2. **गिनी गुणांक**: यह नागरिकों के बीच आय असमानताओं को मापता है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक लाभ की तरह अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है
3. **सकल खुशी सूचकांक**: यह मूल रूप से भूटान द्वारा विकसित किया गया है। यह खुशी के स्तर को मापता है लेकिन लिंग समानता, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा जैसे तत्वों पर ध्यान नहीं देता। इसके अलावा खुशी के अर्थ में व्यक्तिपरकता के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
4. **मानव विकास सूचकांक**: इसमे जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और जीवन स्तर शामिल है, लेकिन यह धन के असमान वितरण, पर्यावरण और ढांचागत विकास में कमी को नहीं मापता।

एसपीआई के उपयोग के लाभ

1. यह खर्च किये हुए पैसे या प्रयासों के बजाय परिणाम पर आधारित है।
2. यह अन्य संकेतकों की तुलना में अधिक व्यापक है।
3. यह सभी देशों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह सामाजिक प्रगति का एक समग्र मापदंड प्रदान करता है। इसलिए, यह अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए उपयुक्त हो सकता है।
4. यह उचित नीति बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह जमीनी स्तर में सुधार मापता है।
5. यह सतत विकास लक्ष्यों के साथ ताल-मेल बनाता है और उन्हें हासिल करने में मदद करता है
6. यह 3 मौलिक स्तंभों पर आधारित है: अस्तित्व के लिए बुनियादी जरूरतें; जीवनशैली में सुधार करने हेतु बिल्डिंग ब्लॉक्स तक पहुँच, और लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अवसर का उपयोग करना।

देशों की रैंकिंग

1. शीर्ष 3 देश हैं: नॉर्वे (88.36), स्वीडन (88.06) और स्विट्जरलैंड (87.97)।
2. 53.06 के स्कोर के साथ भारत 133 देशों की सूची में 101 वें स्थान पर है।

निष्कर्ष

यह सूचकांक एक देश की सामाजिक प्रगति को मापने का अब तक का सबसे व्यापक तरीका है और यह आर्थिक संकेतकों से भी स्वतंत्र है। इसलिए यह सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को मापने का अवसर भी देता है। इस प्रकार इसे सकल घरेलू उत्पाद के एक पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

VISION IAS

3.4. जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) तकनीक लाइसेंस को लेकर अधिसूचना रद्द

(WithdrawaL of Notification: GM Technology Licensing)

अधिसूचना में क्या था ?

- कृषि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार जीनान्तरित (जेनेटिकली मोडिफाइड) तकनीक का अन्वेषक किसी भी आवेदक को उस तकनीक का लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकता था।
- इसके द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज की नई तकनीक की लाइसेंस फीस पर भी सीमा लगा दी गयी थी और इसमें बीज प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारियों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को विनियमित करने की मांग की गयी थी।
- इससे जीएम फसल तकनीक पर भी अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान लागू हो जाता।

इस अधिसूचना को क्यों वापस ले लिया गया ?

जीएम तकनीक कंपनियों द्वारा निम्न वजहों से असंतोष व्यक्त करने के बाद इसे वापस ले लिया गया:

- पेटेंट तकनीक के कारोबार का नुकसान।
- इस अधिसूचना का मतलब था लाइसेंस राज की वापसी।
- यह विश्व व्यापार संगठन के अनिवार्य लाइसेंस के नियमों के विरुद्ध थी।
- यह अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश को हतोत्साहित करती है और अंतत: किसानों को नुकसान हो सकता था।

वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार ने अब इस अधिसूचना को जनता की राय लेने के लिए जनता के समक्ष रखा है। इस बीच उसके प्रवर्तन को निरस्त कर दिया गया है।

3.5. भुगतान बैंक (पेमेंट बैंक) से जुड़े मुद्दे

(Payment Banks issues)

मामला क्या है?

भुगतान बैंकों के लिए आवेदन करने में शुरुआती उत्साह के बाद, टेक महिंद्रा, संघवी और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने अब इसमें निवेश न करने का इरादा बना लिया है।

भुगतान बैंक क्या हैं?

- ये विशेष प्रकार के बैंक हैं जो केवल 1 लाख रुपये तक की जमा राशि किसी ग्राहक से ले सकते हैं, परन्तु उन्हें ऋण देने की अनुमति नहीं है। ये एटीएम या डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, परन्तु क्रेडिट कार्ड नहीं।
- भुगतान बैंकों का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को और ज्यादा बढ़ाना है।
- प्रारंभिक जांच के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 11 कंपनियों को भुगतान बैंकों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी थी।

लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इन 3 कंपनियों ने भुगतान बैंक चालू न करने का फैसला क्यों किया?

- भुगतान बैंकों को ऋण देने की अनुमति नहीं है। यह उनकी कमाई की क्षमता को सीमित कर देगा।
- मुनाफा कमाना एक चुनौती होगी क्योंकि गुंजाईश बहुत कम है।
- आय चैनल सीमित होने की वजह से, भुगतान बैंकों पर मात्रा उत्पन्न करने का दबाव रहेगा।
- पेटीएम (PAYTM) और एकीकृत भुगतान प्रणाली जैसे पैसे के डिजिटल हस्तांतरण तकनीक की बढती लोकप्रियता की वजह से, भुगतान बैंकों की व्यवहार्यता पर सवाल उठे हैं।
- डाकघरों को भी भुगतान बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई है; उन्हें अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इस वजह से इस क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता रहेगी।
- किसान विकास पत्र, गोल्ड बांड आदि जैसे अन्य बचत उपकरणों ने भुगतान बैंकों की तुलना में बेहतर मुनाफा दिया है
- जन धन योजना के अनुभव से पता चला है कि कई तरह के नो-फ्रिल खाते (जीरो बैलेंस अकाउंट) निष्क्रिय बने हुए हैं; इस वजह से बैंकों की व्यवहार्यता प्रभावित हुई है।

आगे की राह

वित्तीय समावेशन के एजेंडे में भुगतान बैंकों के महत्व को देखते हुए यह जरुरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक इन 3 कंपनियों से चर्चा करके मतभेदों को सुलझाये। इसके अलावा, एक बार लाइसेंस प्रदान किये जाने के बाद, कंपनियों द्वारा भुगतान बैंक न खोलने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक कुछ आवेदन फीस का प्रावधान भी ला सकता है।

3.6. दिवालियापन संहिता में कमियाँ

(Flaws in Bankruptcy Code)

पृष्ठभूमि

- सरकार असफल फर्मों के बंद करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दिवालियापन कानून (ऋणशोधन क्षमता और दिवालियापन संहिता, 2015) लायी थी। दिवालियेपन के लिए

VISION IAS

अनुरोध परिचालन लेनदार (जैसे व्यापारियों), फाइनेंसर लेनदारों (बैंकों, बांड धारकों) अथवा स्वयं कंपनी द्वारा दायर किया जा सकता है।

- वर्तमान में भारत में ऋणशोधन क्षमता से निपटने के लिए बहुत से कानून और संस्थायें हैं, जैसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रुग्ण उद्योग अधिनियम, सरफेसी अधिनियम आदि।

वर्तमान दिवालियापन कानून से जुड़े मुद्दे

- दिवालियापन के अनुरोध पर न्यायिक प्राधिकारी द्वारा रोक लगाई जा सकती है या इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की जा सकती है। ऐसे में संभव है कि परिचालन लेन-दार के पास दिवालिया कंपनी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन न हो।
- मौजूदा कानूनों को निरस्त करे बिना, दिवालियापन कानून, इस प्रक्रिया को और जटिल कर सकता है।
- अगर दिवाला प्रस्ताव पेशेवर (Insolvency Resolution Professional) द्वारा 270 दिनों के भीतर दिवाला प्रस्ताव योजना प्रस्तुत नहीं की जाती या प्रस्ताव को न्यायिक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो परिसमापन (Liquidation) ही एकमात्र विकल्प होता है। हालांकि परिसमापन से पहले कम्पनी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा या नहीं, इस सम्बन्ध में यह कानून मौन है।
- परिसमापन का विकल्प, रुग्ण कंपनी के सुधार हेतु पर्याप्त प्रयास न किये जाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।

आगे की राह

गैर निष्पादित संपत्तियों को कम करने और भारत में "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" में सुधार के लिए दिवालियापन कानून एक बहुत आवश्यक कदम है। फिर भी दिवालियापन और ऋण बाजार के अनुभव वाले विदेशी विशेषज्ञों की राय लेकर इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।

3.7. कर सुधार

(Tax Reforms)

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में कर आय बढ़ाने और खर्च में कटौती करने का व्यापक विवरण पेश किया गया है। इनमें शामिल हैं: **कराधार बढ़ाना, करों में छूट को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना, संपत्ति कर को अधिक प्रगतिशील बनाना, कर संग्रह में भ्रष्टाचार को कम करना और पारदर्शिता में सुधार लाना।**

उपरोक्त के अलावा, कर प्रशासन में ये अन्य सुधार हो सकते हैं:-

1. कर अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित करना: इसके द्वारा विभिन्न कर प्रावधानों के दुरुपयोग द्वारा करदाताओं को परेशान किये जाने की घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी साथ ही इससे नागरिक अपनी आय बताने और करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

2. कर कानूनों को कम व्यक्तिपरक बनाना: ग्लोबल एनर्जी बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि व्यक्तिपरक (subjective) कानून पारदर्शिता को कम करते हैं। कराधान में यह ईमानदार करदाताओं के उत्पीड़न का कारण बनता है। इस प्रकार कराधार कम होता है और कर से जुड़े मुकदमों में भी वृद्धि होती है।

कराधान मुद्दों का समाधान करने के लिए बजट में प्रावधान:

- आयकर मामलों के संबंध में 10 लाख रूपए तक के विवादित कर देयता के मामलों में कोई जुर्माना नहीं लगेगा और 10 लाख रूपए से अधिक के मामलों में विवाद समाधान योजना (dispute resolution scheme) के तहत न्यूनतम 25 प्रतिशत जुर्माना लगेगा।
- नई विवाद समाधान योजना से मुकदमेबाजी और इससे कारण होने वाले खर्चों में कमी आएगी।
- टैक्स चोरी के मामलों में टैक्स अधिकारी की 100% से 300% तक जुर्माना लगाने की कार्य-स्वतंत्रता खत्म कर दी गयी है; इसकी जगह अब आय कम बताने पर 50% जुर्माना और गलत तथ्य पेश करने पर 200 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है।
- ब्याज और दंड की माफी की याचिका पर एक वर्ष के भीतर निर्णय लेना होगा।

3.8 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक

(Global Competitive Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्विट्जरलैंड स्थित (International Institute for Management and Development) IMD World Competitive Centre द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 3 स्थान (Rank) का सुधार हुआ है।

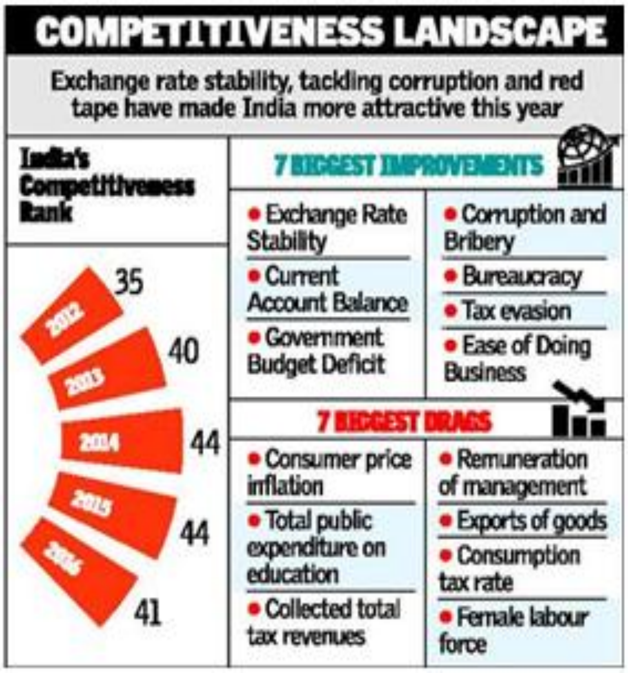

अवलोकन

- भारत 2015-16 में 44वें स्थान की तुलना में 41वें स्थान पर रहा जबकि चीन 2016 में 22 से 25 वें पर फिसल गया।

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत 11 वीं सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है।
- विनिमय दर स्थिरता, वित्तीय घाटा प्रबंधन और भ्रष्टाचार तथा लाल-फीताशाही से निपटने के प्रयासों में सुधार देखा गया।
- पिछले 2 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश की उपेक्षा के कारण बढ़ती सामाजिक असमानताओं ने भारत के विकास को अवरूध्द किया हुआ था।
- रैंकिंग द्वारा आर्थिक विकास को बनाये रखना, शोध और विकास को बढ़ावा देना तथा वस्तु एवं सेवा कर के शीघ्र क्रियान्वयन को प्रमुख चुनौतियों के रूप में पहचाना गया।
- इसमें हांगकांग चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जबकि अमेरिका को तीसरा।

3.9. भारत में एप्पल कम्पनी की रिटेल बिक्री

(Apple Retail in India)

मामला क्या है?

- एप्पल कम्पनी ने प्रस्ताव दिया था कि वह भारत में खुद के रिटेल स्टोर स्थापित करना चाहती है; विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, लेकिन इस शर्त पर कि कुल विक्रय राशि के 30% मूल्य की स्थानीय खरीद होनी चाहिए। यह एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों के अनुरूप है।
- हालांकि एप्पल ने तर्क दिया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति "अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी" के लिए स्थानीय खरीद में छूट की अनुमति देती है; लेकिन विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने कहा कि ऐसा करने से कई चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं को भी यह रियायत देनी पड़ेगी और भारत विनिर्माण केंद्र की बजाय व्यापार केंद्र बन जायेगा।

आलोचनात्मक विश्लेषण

- विशेषज्ञों का तर्क है कि एकल ब्रांड रिटेल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंधों की समीक्षा की जानी चाहिये।
- स्थानीय खरीद का प्रावधान और "अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी" से संबंधित उसकी छूट व्यक्तिनिष्ठ और नौकरशाही के विवेकाधिकार पर निर्भर है।
- यह तर्क दिया जाता है स्थानीय खरीद से सरकार और घरेलू कंपनियों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है लेकिन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी ने उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है।
- भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने का निर्णय सरकार द्वारा थोपने के बजाय कंपनियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार को अवसंरचना निर्माण और नीतियां तैयार करने पर ध्यान देना चाहिये, ताकि भारत विनिर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन जाए।

आगे की राह

- एकल ब्रांड खुदरा प्रस्तावों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विवेकाधिकार को कम करने के लिए स्थानीय खरीद प्रावधान को धीरे-धीरे ख़त्म करना ही एक समाधान है। सरकार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को बंद करके निवेश संबंधित निर्णय नियामकों पर छोड़ सकती है।

3.10 थोक मूल्य सूचकांक में सकारात्मक रूख

(WPI in Positive Zone)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अप्रैल माह में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर 0.34 प्रतिशत पर आ गयी।
- पिछले 17 महीने से यह नकारात्मक जोन में था। अप्रैल 2015 में WPI -2.43 प्रतिशत (minus 2.43%) था।

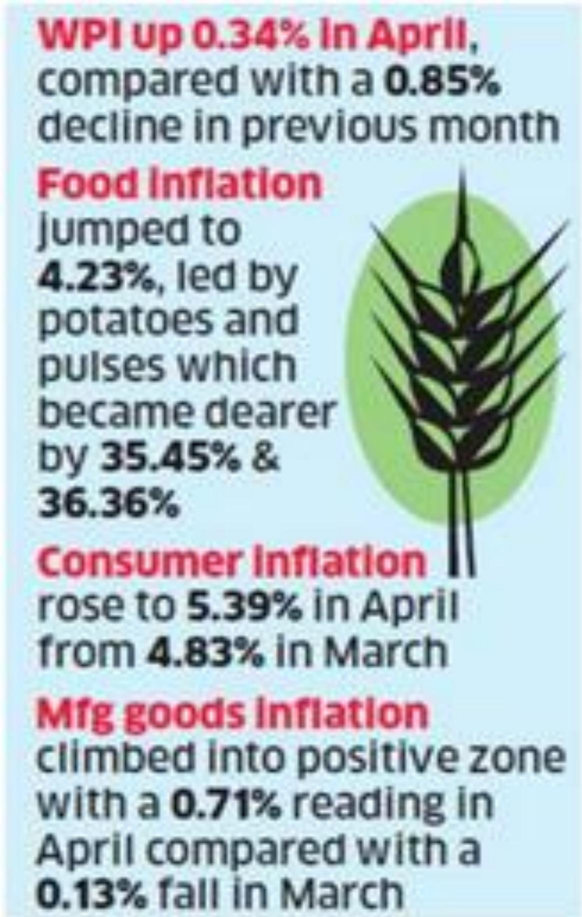

WPI के बढ़ने का कारण

- खाद्य पदार्थों जैसे कि आलू, दालें और चीनी के मूल्य में वृद्धि।
- आपूर्ति पक्ष में कमी और खाद्य अर्थव्यवस्था में कुप्रबंधन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति।
- लगातार दो वर्ष से पड़ रहे सूखे से आपूर्ति की स्थिति और बदतर हो गयी है।
- सरकार द्वारा मनमाने ढंग से और असमय हस्तक्षेप। उदाहरण के लिए चीनी के कम उत्पादन के बावजूद निर्यात की अनुमति देना।

WPI में वृद्धि का प्रभाव

- यह अर्थव्यवस्था में कीमत में सख्ती की ओर संकेत करता है।
- WPI में वृद्धि, CPI में वृद्धि लाएगा। यह RBI को कठोर मौद्रिक उपायों को अपनाने पर मजबूर कर सकता है जिससे कि हैडलाइन मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखा जा सके।

VISION

3.11 नयी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति

(New IPR Policy)

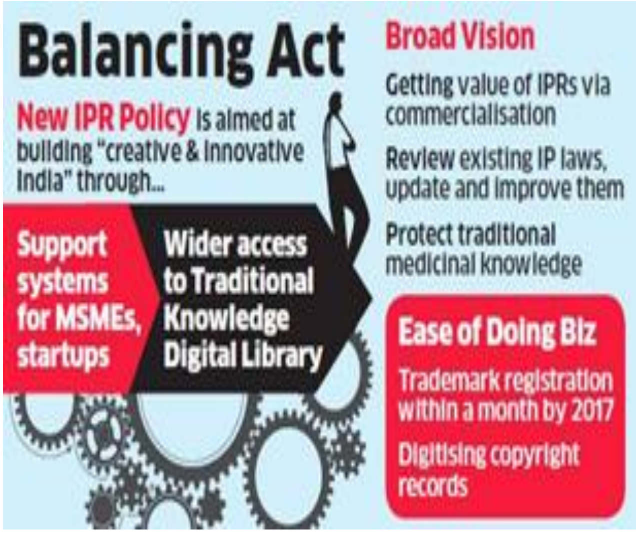

सुर्ख़ियों में क्यों

- सरकार ने नयी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति की घोषणा की है।
- यह नीति ट्रिप्स (TRIPS) के अनुरूप है।
- इस नीति का लक्ष्य-

✓ बिक्री योग्य वित्तीय आस्तियों के रूप में IPR

✓ नवाचार को प्रोत्साहन

✓ सस्ती कीमतों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर जनहित की रक्षा

नयी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति के उद्देश्य

- IPR कानून को क़ानूनी और विधायी रुपरेखा देना जिससे इसके धारक के हित और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- कानूनों के प्रवर्तन और बौद्धिक संपदा अधिकार विवाद के अधिनिर्णय को सुदृढ़ बनाना।
- IPR के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और व्यवसायीकरण के माध्यम से IPR का मूल्य सृजित करना।
- IPR प्रशासन को सेवा उन्मुख बनाना।
- IPR प्रशिक्षण और अनुसन्धान के लिए मानव संसाधन और सं स्थाओं का निर्माण।
- IPR और इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- न्यून अधिकार प्राप्त समूह जैसे कारीगरों, बुनकरों आदि के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अनुकूल ऋण।
- विसंगतियों को दूर करना जैसे भारतीय सिनेमेटोग्राफी एक्ट में संशोधन।
- IPR के परीक्षण और स्वीकरण में तेजी लाना।
- उद्योगों को बौद्धिक संपदा के विकास का समर्थन करने के लिए CSR फंड का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।

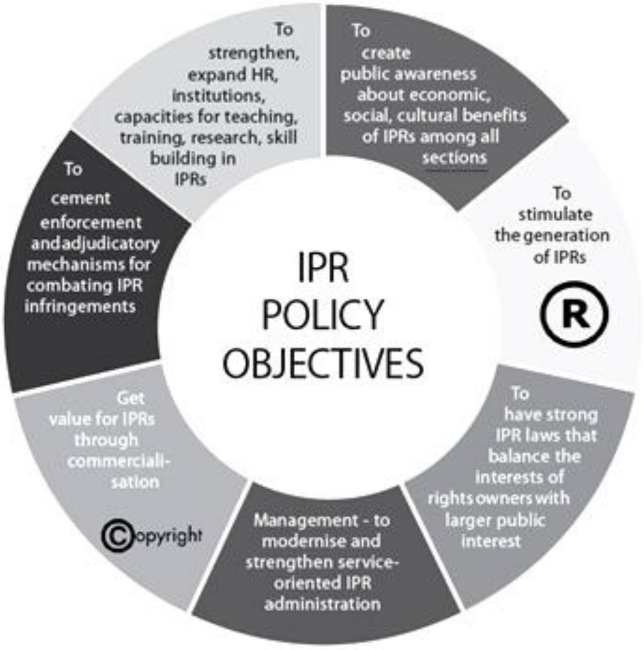

एक नयी IPR नीति अब क्यों?

- USTR और भारतीय जेनेरिक दवाओं पर कई प्रतिबंध से लगातार दबाव।
- TPP जैसे मेगा क्षेत्रीय व्यापार समझौते से उत्पन्न चुनौतियां।
- भारत में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाओं को समर्थन देने के लिए।

3.12. भारत में सीमित कराधार

(Narrow Tax base of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2012-13 के आंकडें जारी किये हैं

तथ्य

- वर्ष 2012-13 के आकलनों के अनुसार केवल 2.9 करोड़ भारतीयों ने व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल किया।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत में वयस्क आबादी का केवल 4% है।
- जिन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है उनमें से आधे लोगों ने करों में छूट के विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर कोई कर का भुगतान नहीं किया
- प्रत्यक्ष कर कॉर्पोरेट टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है।
- पिछले कुछ वर्षों में कर प्राप्ति की वृद्धि दर में गिरावट आई है।

✓ कंपनियों के कम मुनाफे के कारण कॉर्पोरेट टैक्स की वृद्धि दर कम हुई है।

✓ आयकर की वृद्धि दर मोटे तौर पर स्थिर है।

आयकर आंकड़ों से निम्न मुद्दे प्रकाश में आये हैं-

- आय असमानता - आय बताने वाले लोगों में से 1% व्यक्तियों के पास 20% कर-योग्य आय है
- धन का संकेन्द्रण - कॉरपोरेट जगत के 5% के पास 94% कर योग्य आय है।
- विकास में क्षेत्रीय असंतुलन - अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कर संग्रह में तेज विकास दर देखने को मिली है
- कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष कर का बढ़ता हिस्सा - अप्रत्यक्ष कर सबसे अधिक गरीब लोगों को प्रभावित करता है।
- टैक्स चोरी - 7% से अधिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बावजूद इस तरह का सीमित आधार कर चोरी बताता है|

3.13 ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस

(On-Tap Banking Licenses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑन-टैप बैंकिंग लाइसेंस के लिए नयी मसौदा नीति (ड्राफ्ट पॉलिसी) जारी की है।
- पिछले 2 वर्षों में रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया की गति को बढ़ा दिया है।
- यूनिवर्सल बैंक, भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों जैसी 23 संस्थाओं को विभिन्न वर्गों के तहत बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है।

मसौदा नीति में लाइसेंस देने के लिए मानदंड

- 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी,
- 10 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड,
- व्यक्तिगत आवेदकों के लिए बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में 10 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता है,
- तीन वर्ष के लिए न्यूनतम 13 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात,
- 5000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वाले फर्मों के लिए, समूह की गैर-वित्तीय कारोबार की कुल संपत्ति या सकल आय का 40% से अधिक योगदान नहीं चाहिए,
- प्रमोटरों की हिस्सेदारी 10 वर्षों में कम करके 30 फीसदी तक और 12 वर्षों में कम करके 15 प्रतिशत तक करना होगा।
- बैंक को छह वर्ष के भीतर शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

नीति के लाभ

- रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद आवेदन की भली प्रकार से जाँच करने के लिए स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (Standing External Advisory Committee) का गठन किया जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमति देगा-

✓ बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों का व्यापक एवं समग्र परीक्षण।

✓ भारत में बैंकिंग लाइसेंस की एक पारदर्शी प्रक्रिया का निर्माण।

✓ यह नए बैंकों की स्थापना में तेजी लाएगा क्योंकि इसमें पूर्व के स्टॉप एंड गो दृष्टिकोण के बजाय लगातार लाइसेंस जारी किया जाएगा।

नीति से जुड़ी समस्याएँ

- लाइसेंस देने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। पिछली बार लाइसेंस देने की प्रक्रिया काफी लंबी (लगभग 5 वर्ष) चली थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग लाइसेंस अस्वीकृत करने पर इसका कारण बताना चाहिए।
- मसौदा नीति के अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि सभी संस्थाएं जो संतोषजनक मापदंड का पालन करती हैं, को लाइसेंस प्रदान किया जाए। लाइसेंस देने की प्रक्रिया नियम आधारित होनी चाहिए न की विवेक के आधार पर।
- यह मानदंड केवल वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा।

3.14. भारत के बंदरगाहों का विकास

(Development of Indian Ports)

भारतीय बंदरगाह

- पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 187 अधिसूचित छोटे बंदरगाह और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं।
- प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्रालय के हाथ में है, जबकि अन्य बंदरगाहों का प्रबंधन राज्य सरकार के सम्बंधित विभाग करते हैं।

भारत के लिए बंदरगाह विकास के महत्व

- कुल भारतीय व्यापार की 95% मात्रा और मूल्य से लगभग 70% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, इसलिए बंदरगाह विकास भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- बंदरगाह विकास वैश्विक एकीकरण में भारत की भूमिका को पूरा करने और अपने व्यापार भागीदारों के साथ ताल-मेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- बंदरगाहों का विकास रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर सकता है, इस प्रकार इसका सामाजिक योगदान भी है।

भारतीय बंदरगाहों के साथ समस्या

- **भारी अवसादन और अपर्याप्त निकर्षण (Dredging)** बंदरगाहों की क्षमता प्रभावित करती है, जैसा हल्दिया बंदरगाह में देखा गया।
- ख़राब **मशीनीकरण और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का मशीनों के बजाय हाथों से परिचालन**। जैसे पारादीप बंदरगाह में
- बंदरगाह को जोड़ने वाली **सड़कों पर भीड़-भाड़** से देरी होती है, जैसे जवाहरलाल नेहरु बंदरगाह में देखा गया।

VISION IAS

- **नीति और विनियामक मुद्दे:** वर्तमान में बंदरगाह "ट्रस्ट मॉडल" से परिचालित होते हैं, जिसमें सरकार बंदरगाह की मालिक और परिचालक होती है।
- बंदरगाहों के भौतिक बुनियादी ढांचे का क्षमता से कम उपयोग, उदाहरण के लिए कोचीन बंदरगाह।
- असमान टैरिफ संरचना जो कुछ बंदरगाहों को गैर-प्रतिस्पर्धी बनाती है।
- बोझिल प्रलेखन और निकासी की वजह से **उच्च प्रतिवर्तन समय** (High Turnaround Time)। भारत में बंदरगाहों में प्रतिवर्तन काल 3 से 4 दिन है, जबकि अन्य देशों के विकसित बंदरगाहों पर यह सिर्फ 6-7 घंटे है।

उपाय

- वांछित क्षमता के लिए अवसंरचना का निर्माण।
- नई सुविधाओं के निर्माण, मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और नए उपकरणों और प्रक्रियाओं के माध्यम से बंदरगाहों का मशीनीकरण सुनिश्चित करना।
- "मकान मालिक-किरायेदार" मॉडल अपनाना (जिसमें सरकार मालिक और नियामक होती है और परिचालन निजी हाथों में होता है)।
- प्रतिवर्तन काल कम करने के लिए कागज़ रहित निकासी सुनिश्चित करने के लिए व्यापार सुविधा समझौतों में तेजी लाना।
- बंदरगाह विकास में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना, यानि मल्टी मॉडल बंदरगाह विकास।

बंदरगाहों में क्षमता वृद्धि लक्ष्य

- केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 तक सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों में 12 करोड़ टन अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपनाया है।
- इन बंदरगाहों ने वर्ष 2015-16 में 9.4 करोड़ टन की क्षमता हासिल की थी जो अभी तक सर्वाधिक है।
- परिचालन मार्जिन का लक्ष्य 44% तय किया गया है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है।

निष्कर्ष

अगर इन उपायों को सही से लागू किया जाता है, तो ये बंदरगाहों को नया जीवन देने के अलावा समुद्री व्यापार को मजबूत करने के अवसर भी प्रदान करेंगे। बंदरगाह विकास की महत्ता को समझते हुए सरकार ने इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग माना है।

3.15 कोर सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि

(Growth in Core Sector Output)

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का संयुक्त उत्पादन; रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और विद्युत के संयुक्त उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि के कारण, मार्च में 6.4% की वृद्धि के साथ 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- इस वर्ष के लिए संचयी वृद्धि 2.7% है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष तुलना में 4.5% कम है।
- रिफाइनरी और सीमेंट जैसे वृद्धि वाले क्षेत्र से पता चलता है कि इस क्षेत्र के उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है।

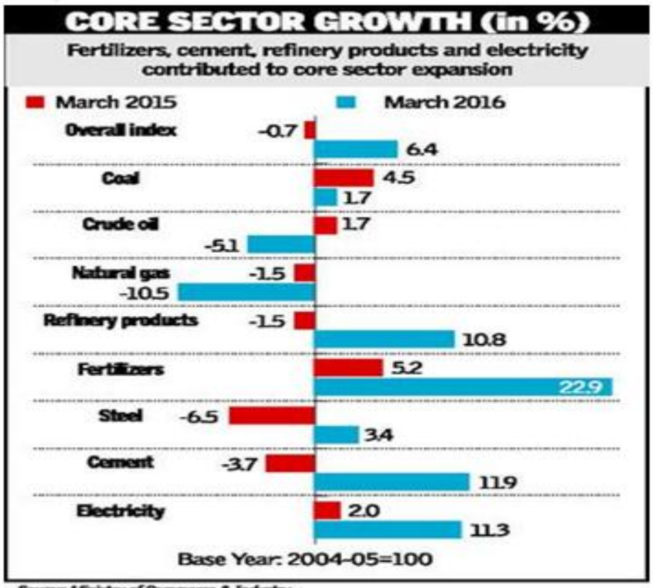

Source: Ministry of Commerce & Industry

कोर उद्योगों के बारे में: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत 8 कोर उद्योगों में रखा जाता हैं। वे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 38% का गठन करते हैं। IIP में विद्युत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।

3.16. पाम तेल उद्योग निवेशकों को आकर्षित नहीं कर रहा है: रिपोर्ट

(Palm Oil Industry not Attracting Investors: Report)

पाम तेल क्षेत्र में निवेश की स्थिति

- ऑयल पाम डेवलपर्स और प्रोसेसर एसोसिएशन (OPDPA) की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र में न कोई निवेश हुआ है और न ही निवेश के लिए कोई पूछताछ की गयी है।
- 20 लाख हेक्टेयर की अनुमानित क्षमता वाले इस क्षेत्रक में पिछले 2 दशकों में महज़ 2 लाख हेक्टेयर भूमि पाम आयल की खेती में जोड़ी गयी है।

पृष्ठभूमि

- 2015 में सरकार द्वारा आयल पाम खेती में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गयी।
- ऐसा इस क्षेत्र में पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए किया गया था।
- इससे खाद्य तेल आयात बिल में कमी की उम्मीद भी थी।
- इससे पहले सरकार पाम ऑयल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP) लायी थी। इसका उद्देश्य राज्यों में क्षेत्र विस्तार दृष्टिकोण के माध्यम से 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि पाम तेल खेती के अंतर्गत लाना है।

कारण

- वर्तमान में आयल पाम को बागान फसल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है और यह भूमि सीमा अधिनियम के दायरे में आती है। इस वजह से बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश नहीं कर पाती।
- वर्तमान आयात शुल्क घरेलू उत्पादकों के लिए लाभकारी नहीं हैं।
- उद्योग और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई समर्पित संस्था नहीं है।

आगे की राह

- आयल पाम के विकास के लिए भूमि सीमा मानदंडों में छूट देना और अनुबंधित खेती के साथ बड़े पैमाने पर खेती की अनुमति देना।
- किसानों और उद्योग को ध्यान में रखते हुए, एक अलग पाम तेल आयात नीति बनाना।
- उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अलग ऑयल पाम विकास बोर्ड स्थापित करना।
- किसानों के लिए सरकार से बजटीय मदद।

भारत के ऑयल पाम उद्योग के बारे में तथ्य

- यह उच्चतम पैदावार वाली तिलहन फसल है और अन्य तिलहनों के मुकाबले कम क्षेत्र में ही अच्छी पैदावार देती है।
- पाम तेल के वैश्विक व्यापार का 41% हिस्सा चीन, इंडोनेशिया और भारत के पास है। खाद्य तेल का आयात बिल 2016-17 में 15 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।
- इस क्षेत्र में 2,00,000 नए रोजगार पैदा करने की क्षमता है।

3.17. स्टील फर्मों को NIIF फंडिंग का समर्थन मिलने की सम्भावना

(Steel Firms May Get Niif Funding Support)

- सरकार भारत के पहले संप्रभु धन कोष के रूप में **NIIF** कोष स्थापित करने पर विचार कर रही है जो घरेलू स्टील कंपनियों की पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
- इस कदम से स्टील उद्योग की पूँजीगत लागत में कमी आने की सम्भावना है। उच्च पूँजीगत लागत ने भारतीय स्टील उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता को कम किया है |
- वर्तमान में भारत की स्टील उत्पादन क्षमता लगभग 110 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) है जिसे 2025-2026 तक बढ़ाकर 190 MTPA अतिरिक्त उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य है | 1 MTPA अतिरिक्त क्षमता विकसित करने हेतु लगभग 1 बिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता होती है |

NIIF के बारे में: राष्ट्रीय निवेश एवं अधिसरंचना फण्ड (NIIF) सरकार द्वारा 40,000 करोड़ धन से निर्मित एक संप्रभु कोष है | यह वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और रुकी हुई परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा| हालांकि सरकार एन आई आई एफ में 20,000 करोड़ की राशि निवेश करेगी जबकि बाकी धन निजी निवेशकों से आएगा |

3.18. गैर निष्पादक संपत्तियों से निपटने के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति

(Indemnity for Bankers to Tackle NPAs)

क्षतिपूर्ति क्या है?

यह किसी व्यक्ति की उसकी किसी क्रिया/कार्य की वजह से होने वाली कानूनी जिम्मेदारी से उसे मिलने वाली सुरक्षा या छूट दर्शाता है।

सरकार द्वारा प्रस्ताव

- वित्त मंत्रालय गैर निष्पादक संपत्तियों के एक साथ निपटान के लिए काम कर रहे बैंकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की संभावना पर विचार कर रहा है।
- वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों, बाहरी विशेषज्ञों और न्यायाधीशों वाली एक समिति ऋण निपटान प्रस्तावों की जांच करेगी।
- इससे बैंकों को ऋण समझौता और वास्तविक व्यावसायिक निर्णय लेने में एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने की उम्मीद है। यह बैंकिंग प्रणाली पर अशोध्य ऋण(Bad Loans) के दबाव को कम करेगा।

3.19. पंचवर्षीय योजना की जगह 15 वर्ष का विजन दस्तावेज

(5-Year Plan to Be Replaced By 15 Year Vision Document)

15 वर्ष का विजन दस्तावेज क्या है?

- मौजूदा 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2016-17 में समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद 2017-18 से 15 वर्ष का विजन दस्तावेज शुरू होगा।
- सप्तवर्षीय **राष्ट्रीय विकास एजेंडा** इसका पूरक होगा, जिसमें दीर्घकालिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनायें, कार्यक्रम और रणनीतियाँ होंगी।
- राष्ट्रीय विकास एजेंडा आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और विदेश से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित करेगा।
- हर तीन वर्ष के अंतराल के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाएगी कि राष्ट्रीय विकास एजेंडा अपनी वित्तीय जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- पहले विकास एजेंडे की समीक्षा वर्ष 2019-20 में की जाएगी। यह 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल का भी अंतिम वर्ष होगा।
- नीति आयोग सरकारी कार्यक्रमों और मंत्रालयों की वार्षिक आधार पर परिणाम आधारित निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करेगा।

पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्ष के विजन दस्तावेज की आवश्यकता

- योजना आयोग को समाप्त किये जाने के उपरांत पंचवर्षीय योजना भी अनावश्यक हो गयी थी, क्योंकि अब हर विभाग

VISION IAS

अपने बजट को अंतिम रूप देता है और वित्त मंत्रालय अंतिम फैसला लेता है।

- 15 वर्ष का विजन दस्तावेज 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने के 15 वर्ष के एजेंडे के साथ ताल-मेल में रहेगा। विज़न दस्तावेज में इसके लिए कार्य योजना भी है।
- रक्षा, सुरक्षा मुद्दों और विदेशी संबंधों को शामिल करना विजन दस्तावेज को पंचवर्षीय योजना की तुलना में और अधिक व्यापक और वर्तमान समय के लिए उपयुक्त बनाता है।
- वर्ष 2017-18 के बाद से योजनागत और योजना-इतर व्यय के बीच अंतर ख़त्म करने के बाद, 15 वर्ष का विजन दस्तावेज देश के विकास के लिए उपयुक्त मध्यम अवधि के ढांचे और छोटी अवधि के मूल्यांकन के साथ लंबी अवधि के एजेंडे का एक व्यापक सेट प्रदान करेगा।

THE 15-YEAR REPLACEMENT

2017-18 to 2032-33:	Vision Document
2017-18 to 2024-25:	National Development Agenda
2017-18 to 2019-20:	Review of Development Agenda (to be repeated after every three years)

Plan-wise GDP growth rates

	Plan	Actual growth*
1951-56	First Five-Year Plan	3.6
1956-61	Second Five-Year Plan	4.2
1961-66	Third Five-Year Plan	2.8
1969-74	Fourth Five-Year Plan	3.3
1974-79	Fifth Five-Year Plan	4.7
1980-85	Sixth Five-Year Plan	5.7
1985-90	Seventh Five-Year Plan	5.8
1992-97	Eight Five-Year Plan	6.5
1997-02	Ninth Five-Year Plan	5.5
2002-07	10th Five-Year Plan	7.8
2007-12	11th Five-Year Plan	7.9
2012-2017	12th Five-Year Plan	Scenario1 – 8 (Strong growth) Scenario2 – 6 (Partial reform) Scenario3 – 5 (Policy logjam)

3.20. नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु सीपीआई एकमात्र पैमाना

(CPI to Be Sole Parameter for Setting Policy Rates)

चर्चा में क्यों ?

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में कई वस्तुओं एवं सेवाओं के आधार वर्ष एवं भार को अपडेट किया है| अब जबकि RBI और वित्त मंत्रालय दोनों इस बिंदु पर सहमत हो चुके हैं कि सीपीआई ही नीतिगत दर निर्धारण एवं मुद्रास्फीति अनुमान का एकमात्र पैमाना है, इसलिए इन संशोधनों के व्यापक प्रभाव होंगे|

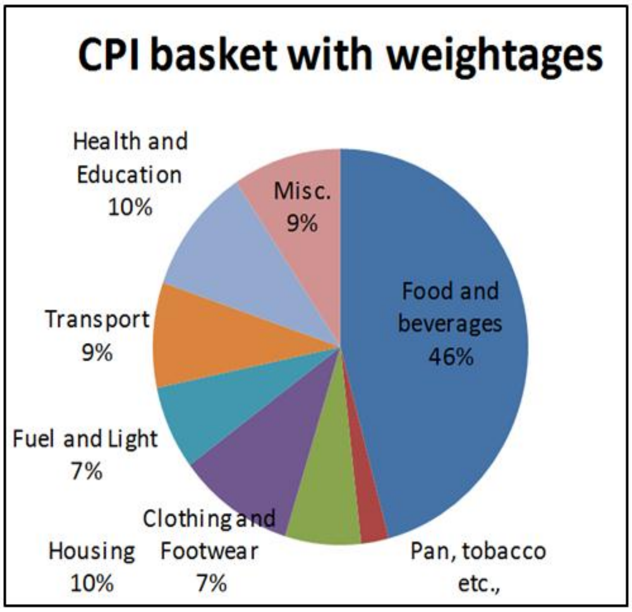

संशोधनों के नुकसान

- विकृतियाँ: यदि कोष की पूरी लागत के निर्धारण हेतु खाद्य एवं ईंधन (पान,तम्बाकू एवं मादक द्रव्य) से युक्त उच्च भारांश 65.6% वाली अपेक्षाकृत छोटी उपभोग बास्केट का प्रयोग किया जाए तो उसमें विकृति उत्पन्न हो सकती है।
- सीपीआई बास्केट में अस्थिर क्षेत्र जैसे ईंधन की उपस्थिति: अधिक मूल्य परिवर्तन वाले अस्थिर क्षेत्रों को मुद्रास्फीति निर्धारण से अलग ही रखना चाहिए और जहाँ उतार-चढाव ट्रेंड या "कोर" मुद्रास्फीति को प्रभावित न करते हों।
- आपूर्ति श्रृंखला के अवरोध:नीतिगत दरों के साधनों से इन्हें दूर नही किया जा सकता।
- मांग प्रव्रत्तियों में परिवर्तन सही रूप से सीपीआई में परिलक्षित नही होते हैं: बढती आय और हस्तांतरण भुगतान के कारण तथाकथित बेहतर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है।

संशोधनों के लाभ

- सीपीआई में संशोधन आशाजनक है। जैसे- खाद्य पदार्थों का भारांश 47.6% से घटाकर 45.9% कर दिया गया है तथा आवास और कपड़ो के लिए भारांश बढ़ा दिया गया है। यह परिवर्तन बदलते उपभोग प्रतिरूप को दर्शाते हैं।
- सीपीआई अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष एवं बाजार गतिशीलता को दर्शाता है।
- सीपीआई मुद्रास्फीति सेवा क्षेत्र को भी लक्षित करता है: नीतिगत दरों के निर्धारण में सीपीआई, WPI से बेहतर है क्योकि सीपीआई अप्रत्यक्ष रूप से सेवा क्षेत्र को भी समाहित करता है जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, एवं संचार आदि पर खर्च।

- केन्द्रीय बैंक को वास्तविक ब्याज दर को भी बनाये रखना पड़ता है और इसके लिए वह सीपीआई का सहारा लेता है क्योंकि रिटेल उपभोक्ता, उनकी वस्तु उपभोग एवं खरीद क्षमता, उनके निवेश एवं बचत निर्णय इससे प्रभावित होते हैं |

प्रभाव

- कोर समूह के भारांश में वृद्धि जबकि खाद्य एवं ईंधन समूह के भारांश में हुई कमी RBI की मुद्रास्फीति रणनीति को बेहतर बनाती है।इससे मुद्रास्फीति में भी कमी आती है।
- ईंधन के भारांश में कमी: 9.49% से 6.84% | यह हाल ही में घटी पेट्रोलियम कीमतों के अपस्फितिक प्रभाव को कम करेगा अर्थात समग्र सीपीआई पुराने सूचकांक से ज्यादा देखेगी |
- वर्तमान सीपीआई फ़ूड बास्केट दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, सब्जियों, तैयार खाद्य पदार्थ, मांस, मछली, चीनी, आदि को दालों से अधिक भारांश देता है। अतः दालों के मूल्य में वृद्धि सीपीआई में परिलक्षित नही हुई |

सकारात्मक प्रभाव: सीपीआई आधारित नीतिगत दरों का प्रयोग करना (मुद्रास्फीति लक्ष्य)

- विश्वसनीयता: प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। स्थिरता विश्वास को बढ़ावा देती है और निर्णय निर्माण में सहायता करती है |
- मुद्रास्फीति की लागतों में कमी: मुद्रास्फीति में वृद्धि कई आर्थिक लागतों को बढावा देती है जैसे अनिश्चितता जिससे निम्न निवेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नुकसान और बचत के मूल्य में कमी।
- अतिवृद्धि एवं शिथिलता चक्र को रोकना: उच्च मुद्रास्फीति वाली संवृद्धि आर्थिक मंदी की दशा उत्पन्न कर सकती है और स्थिर एवं सतत आर्थिक वृद्धि भी प्रदान करती है |

नकारात्मक प्रभाव

- केन्द्रीय बैंक अन्य अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं की अनदेखी कर सकता है |
- वित्तीय संकटों या अज्ञात घटनाओं के विरुद्ध केन्द्रीय बैंक की क्षमताओं को प्रतिबंधित करता है |
- रोजगार में अत्यंत खराब परिणाम
- आपूर्ति पक्ष में बड़े अवरोधों के कारण व्यापक अस्थिरता (जैसे- सूखे के समय)

निष्कर्ष: यह संशोधन एक बेहतर पहल है चूँकि मौद्रिक नीति का उद्देश्य 'केंद्र सरकार के संवृद्धि लक्ष्य के साथ संतुलन बनाते हुए मूल्य स्थिरता को बनाये रखना है।

3.21. हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल ने अधिक नीलामीकर्ताओं को आकर्षित किया

(HYBRID ANNUITY MODEL DRAWS MORE BIDDER)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- CCEA ने पिछले वर्ष हाईवे परियोजनाओं को पुनः शुरू करने एवं सभी भागीदारों यथा डेवलेपर्स, ऋणदाताओं एवं रियायत प्राप्तकर्ताओं में पुनः रूचि पैदा करने हेतु HAM को स्वीकृति प्रदान की किन्तु इसके परिणाम उतने अच्छे नही रहे |
- NHAI द्वारा इसके व्यापक प्रचार अभियान से अब सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
- अब प्रोजेक्ट के लिए औसत बोली लगाने वालो की संख्या 3 गुना बढ़ गयी है।

हाइब्रिड एन्यूटी है क्या ?

- हाइब्रिड **एन्यूटी** मॉडल (HAM) एक नये प्रकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है।
- इसके अंतर्गत सरकार कार्य आरम्भ करने के लिए विकासकर्ता को परियोजना लागत का 40% उपलब्ध कराएगी। शेष निवेश ठेकेदार को करना होगा। एन.एच.ए.आई. चुंगी का संग्रहण कर 15-20 वर्षों की अवधि में कुल राशि किश्तों में वापस करेगा।

हाईवे क्षेत्र में हाइब्रिड मॉडल की अन्य मॉडल से क्या अलग खूबियां हैं ? (What are the advantages of Hybrid Annuity over other models in highway sector?)

- भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरण स्वीकृतियाँ: कई परियोजनाओं के अटकने एवं देरी में यह एक मुख्य वजह है | HAM मॉडल में सरकार निजी भागीदारों को 80% तक स्वीकृतियाँ दे देती है।
- परियोजनाओ में स्फूर्ति: समय में देरी की वजह से होने वाले नुकसानों को रोका जा सकेगा
- संवेदनशील जोखिम एवं लाभ बँटवारा
- निवेश भार का बँटवारा: निजी भागीदार पूरा निवेश नहीं कर सकते क्योंकि बैंको की वित्तीय स्थिति कमजोर है अतः सरकार 40% राशि निवेश करेगी।
- उच्च राजस्व निश्चितता एवं डेवलेपर को निम्न जोखिम: BOT मॉडल में निजी भागीदार निर्माण एवं रख रखाव की लागतों को वहन करते हैं| जबकि इसमें सरकार टोल टैक्स संगृहित करेगी अतः वह जोखिम भी उठाएगी।
- निगरानी प्रक्रिया: सरकार सड़क प्रोजेक्ट के लक्षित कार्य के पूरे होने के अनुसार ही पांच किश्तों में धन निवेश करेगी।
- लागत में वृद्धि : मुद्रास्फीति समायोजित लागत के प्रावधान से इसे नियंत्रित किया गया है।

चुनौतियाँ

- HAM अभी भी एक नया मॉडल है अतः इसके फैलने से पहले सरकार को इसका परीक्षण एवं सुधार करना चाहिए | (HAM के तहत 36,000 करोड़ रु की 28 परियोजनाए चल रही हैं।)
- एक सकारात्मक फीडबैक लूप प्रारम्भ करने के लिए भागीदारी बढ़ानी चाहिए ताकि पुराने ठेकेदार वापस लौट सकें। इससे अधिक भागीदारी एवं प्रतिस्पर्धा विश्वास में वृद्धि होगी।
- HAM में फंडिंग समस्या(40%) को जोखिम रहित कर दिया गया है

VISION IAS

- बैंकिंग क्षेत्र- फंडिंग का बड़ा भाग NPA समस्या से ग्रसित है।
- कॉर्पोरेट क्षेत्र का अतिऋणी होना एवं अनिश्चित ग्लोबल दशाएँ इनकी भागीदारी के आसारों को कम करती हैं।
- इन दीर्घकालीन प्रोजेक्ट्स को दीर्घकालीन बचत स्रोतों की आवश्यकता होती है जैसे पेंशन एवं जीवन बीमा फण्ड। इस क्षेत्र में भी सुधारों की आवश्यकता है।

सामान्यतः विविध प्रकार के PPP मॉडल प्रयोग में लाए जाते है -

1. जिनमें सरकार मुख्य निवेशक है: ईपीसी, सेवा अनुबंध, प्रबंधन अनुबंध और लीज अनुबंध।
2. जिनमें निजी भागीदार मुख्य निवेशक हैं: BOT, BOOT, DBO, DBFO आदि।
3. संयुक्त उपक्रम: इंफ्रा सह-स्वामित्व में है। उदहारण: स्पेशल परपज वेहिकल (स्मार्ट शहरों के तहत एसपीवी)
4. हाइब्रिड वार्षिकी
5. स्विस मॉडल

हाईवे क्षेत्र में प्रयुक्त विविध PPP मॉडल

1. BOT-टोल
2. इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी)– सरकार लागत वहन करती है। निजी क्षेत्र की निम्न भागीदारी के कारण सरकार ने बड़े स्तर पर वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में इसका सहारा लिया।
3. BOT- वार्षिकी(अप्रैल 2014 से)– परियोजना लागत का कुछ निश्चित प्रतिशत ही निजी निवेशकों द्वारा वित्त-पोषित होता है और यह निवेश वार्षिकी भुगतान द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है।

अब HAM, EPC एवं BOT के एक मिश्रित रूप में प्रारंभ किया गया है | यह जोखिम के संवेदनशील बंटवारे, फंडिंग संबंधी समस्याओं को हल करने एवं निजी क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु एक लचीला एवं संवेदनशील उपाय है |

3.22. समतुल्यीकरण लेवी / गूगल कर

(Equalisation Levy/ GoogleTax)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- बजट 2016-2017 में देश में अनिवासी इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6 प्रतिशत समतुल्यीकरण कर लगाने का प्रावधान। यह 1 जून से लागू किया गया तथा इसका उद्देश्य व्यवसाय-से-व्यवसाय(B2B) ई-कॉमर्स भुगतानों को कर के दायरे में लाना है।

यह नया समतुल्यीकरण कर है क्या ?

- इंटरनेट कंपनियों द्वारा जिस देश में लाभ कमाया जाता है उस देश में पर्याप्त कर न देने एवं उसे टैक्स हैवन में भेजने का मुद्दा दुनिया भर में बहस का विषय बना हुआ है। OECD ने प्रोजेक्ट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत इस चुनौती का समाधान करने के लिए पिछले वर्ष एक एक्शन प्लान जारी किया था।
- OECD द्वारा इस दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही योजना को लागू करने वाला भारत पहला देश बन गया है |
- सम्तुल्यीकरण लेवी जैसा कि बजट में प्रस्तावित है 6% की दर से "विशेष सेवा" के लिए दिए जाने वाले धन पर लागू होगा | जिसमें ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन स्थान का प्रावधान या ऑनलाइन विज्ञापन के लिए अन्य कोई सुविधा या सेवा सम्मिलित है |
- केवल वो इकाई जो एक वर्ष में कुल एक लाख से अधिक का भुगतान करती हैं उन्हें इसका पालन करना होगा।
- लेवी कटौती की जिम्मेदारी भारतीय भुगतानकर्ता की होगी, उसे बराबर का भुगतान सरकार को करना होगा।

क्या चिंताएँ हैं ?

- यह भारत में स्टार्टअप को प्रभावित करेगा क्योकि वे अपनी सेवाओं के प्रचार के लिए ऑनलाइन जगत पर निर्भर है। अब यदि अनिवासी सेवा प्रदाता ऐसी लागतों को स्वीकार नही करेंगे तो यह अंतिम उपयोगकर्ता की लागत में जुड़ जायेगा।
- ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाली ग्लोबल फर्म दोहरे कराधान वंचन समझौते के तहत कर छूट के लिए दावा नही कर पाएंगी क्योंकि यह कर आय कर अधिनियम के तहत नही लगाया गया है बल्कि अलग कानून के तहत लगाया गया है |

VISIONIAS

4. सामाजिक मुद्दे

(Social Issues)

4.1. राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा

(Draft National Women Policy 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला नीति 2016 के लिए मसौदा जारी किया है।

नई नीति की आवश्यकता

- 2001 के बाद से महिलाओं का खुद के प्रति रवैया और जीवन से उनकी उम्मीदों में परिवर्तन हुआ है।
- पिछले 15 वर्षों के विकास ने महिलाओं के लिए अद्वितीय अवसर और चुनौतियाँ पैदा की हैं।
- समाज में महिलाओं की भूमिका में बदलाव हो रहा है, अब वे कल्याण लाभों के प्राप्तकर्ताओं के स्थान पर देश के विकास की दिशा में बराबर योगदान करने वाली बन रही हैं।

नई नीति के मुख्य बिंदु

- यह हक़ के बजाय अधिकार और सशक्तिकरण के बजाय एक अनुकूल माहौल बनाने की तरफ ध्यान केन्द्रित करती है।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण सहित स्वास्थ्य: बुढ़ापे, किशोर उम्र, प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की तरफ ध्यान।
- शिक्षा: शिक्षा के सभी स्तरों तक बेहतर पहुँच और शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक अंतर को कम करना।
- अर्थव्यवस्था: रोजगार के समान अवसर, कौशल विकास और महिलाओं को प्रशिक्षण।
- प्रशासन और निर्णय: राजनीति, प्रशासन, लोक सेवा और कॉर्पोरेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा: महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून की समीक्षा की जाएगी। महिला तस्करी और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम।
- सुगम माहौल: सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के कारण संकटकाल में पलायन और विस्थापन के दौरान लैंगिक चिंता पर ध्यान देना।

सरकार द्वारा पहले उठाए गए कुछ कदम

- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना– विभिन्न पहलों जैसे वन स्टॉप केंद्र (One Stop Centre), महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्वयंसेवी, मोबाइल फोन आदि में पैनिक बटन के माध्यम से त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र बनाने आदि के द्वारा, इस दिशा में प्रयास किये गए हैं।
- महिला ई-हाट, महिला उद्यमिता परिषद आदि के माध्यम से महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना।
- जेंडर चैम्पियन पहल (Gender Champion initiative), सीमावर्ती कार्यकर्ताओं, महिला सरपंचों और महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियों और वितरण प्रणाली के साथ काम कर रहे सभी अधिकारियों के माध्यम से युवाओं सहित सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
- कार्यस्थल में महिलाओं को सुविधा प्रदान करना- लिंग अनुकूल कार्यस्थल, स्थिति अनुरूप कार्य समय, ज्यादा मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर बच्चे की देखभाल/ शिशु गृह का प्रावधान, जीवन चक्र स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं के अनुकूल सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।

4.2. घरेलू हिंसा

(Domestic Violence)

संसद ने पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं।

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- 1983 में भारतीय दंड संहिता में अनुच्छेद 498-ए जोड़ा गया
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

मुद्दा

- इन्हें मूक पीड़ितों को आवाज़ देने वाला ऐतिहासिक कानून माना गया है।
- लेकिन साथ ही इनका दुरुपयोग भी बड़ी संख्या में होता है। ज्यादातर मामलों में पति के रिश्तेदारों को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है और उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली की कठोरता से गुजरना पड़ता है।
- इसलिए इन कानूनों में संशोधन की माँग उठती रहती है। हाल ही में यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया था।

संशोधन के पक्ष में तर्क

- सजा की कम दर – राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पंजीकृत 426 मामलों में से केवल 13 मामलों में किसी को दोषी करार दिया गया था।

संशोधन के विपक्ष में तर्क

- इन कानूनों का व्यापक सामाजिक उद्देश्य है। उनके दुरुपयोग या दुरुपयोग की संभावनाओं को ज्यादा महत्व देकर भी उनके उद्देश्य को कमतर नहीं किया जा सकता।

दुरुपयोग के कारणों का विश्लेषण

- जरूरी नहीं है कि सजा की कम दर कानून के दुरुपयोग की वजह से ही हो; समझौता या सबूत आदि की कमी भी सजा न होने में एक भूमिका निभाते हैं।
- अपनी 243वीं रिपोर्ट में विधि आयोग द्वारा दुरुपयोग के ये असली कारण बताये गए थे:

VISION IAS

- पुलिस द्वारा गिरफ़्तारी के अधिकार का लापरवाह उपयोग: गिरफ्तारी इसलिए की जाती है ताकि आरोपी पीड़ित को और नुकसान न पहुँचा पाए। लेकिन इसे कम ही उपयोग में लाया जाना चाहिए क्योंकि यह आरोपी की प्रतिष्ठा को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है जिससे बाद में सुलह की संभावना बहुत कम हो जाती है।
- वैवाहिक विवाद समाधान के प्रति दृष्टिकोण: दोनों पक्षों के बीच सुलह की संभावना के साथ ही सुलह की आवश्यकता के कारण यह अन्य आपराधिक मामलों से अलग होते हैं।

विधि आयोग के अनुसार सुझाव

- डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का पुलिस द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
- जरुरी होने पर ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए।
- अगर तथ्य आरोपी की क्रूरता न दर्शाएं तो गिरफ्तारी करने से पहले सुलह और मध्यस्थता जैसे विवाद निपटान तंत्र का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।
- दोनों पक्षों को राजीनामे का विकल्प देना चाहिए।
- वैवाहिक मुकदमों में पुलिस, वकीलों और न्यायपालिका के बीच संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

4.3. व्यवसायगत स्वास्थ्य जोखिम

(Occupational Health Hazards)

- हाल ही में व्यवसायगत स्वास्थ्य जोखिम के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को सिलिकोसिस की वजह से मारे गए 238 लोगों के परिजनों को प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
- साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को इस बीमारी से पीड़ित और काम करने में असमर्थ 304 श्रमिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

- इस मामले में मारे गए श्रमिक मध्यप्रदेश के गरीब आदिवासी थे जो क्वाट्र्ज और पत्थर काटने के उद्योगों में काम करने के लिए गुजरात चले गए थे।
- मध्यप्रदेश वापस जाने के बाद, 238 श्रमिकों की सिलिकोसिस और टीबी से मृत्यु हो गई और 304 श्रमिक अभी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं।
- खनन, निर्माण, पत्थर काटने, हीरा तराशने और इस तरह के अन्य उद्योगों की महीन सिलिका धूल से सिलिकोसिस रोग होता है जिससे फेफड़ों पर गंभीर असर होता है और लोगों को क्षय रोग (टीबी) जैसी बीमारियां हो जाती हैं।
- सिलिकोसिस के शुरुआती लक्षणों और टीबी के कारण मृत्यु के बीच संबंध स्थापित करना मुश्किल है।
- ये मजदूर पहले से ही गरीब और कुपोषित हैं और बिना किसी सुरक्षात्मक उपायों के काम कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का महत्व

- सिलिकोसिस को भारत में एक व्यवसायगत रोग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन श्रमिक यह बहुत कम साबित कर पाते हैं कि बीमारी या मृत्यु का कारण सिलिका धूल है।
- इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कदम न उठाना उनकी उदासीनता दर्शाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ने व्यवसायगत खतरों के कारण गरीबों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को पहचानने के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है।

4.4. स्कूल च्वाइस

(School Choice)

- 'स्कूल च्वाइस' उन नीतियों और योजनाओं को बताता है जो बच्चे की स्कूली शिक्षा का निर्धारण करने में माता-पिता की इच्छा को पर्याप्त प्राथमिकता दें।
- यह मिल्टन फ्रीडमैन की अवधारणा पर आधारित है कि प्रशासन और स्कूलों का वित्तपोषण सरकार के अलग-अलग कार्य हैं।
- उन्होंने प्रस्ताव किया कि सरकार स्कूली शिक्षा के न्यूनतम स्तर को स्थापित करे और इसके वित्तपोषिण के लिए "माता-पिता को प्रति वर्ष प्रति बच्चा एक निर्धारित राशि का वाउचर प्रदान करे जो 'स्वीकृत' शैक्षिक सेवाओं पर खर्च किये जाने पर प्रतिदेय होगा।"
- माता-पिता इस वाउचर का उपयोग अपने खाते से किसी भी अतिरिक्त राशि के साथ "अपनी पसंद की किसी अनुमोदित संस्था से शैक्षिक सेवाओं की खरीद के लिए" कर सकते हैं।"
- सेवा प्रदाता कोई भी निजी स्कूल हो सकता है, फिर भले ही वह लाभ कमाने के लिए ही क्यों न हो।
- सरकार, अपने समन्वयकारी प्रकार्यों के तहत, बुनियादी ढांचे के मानदंड, शिक्षक योग्यता और पाठ्यक्रम के लिए प्रावधान बना सकती है।

महत्व

- ज्यादातर सरकारी स्कूल अक्षम और गैर-कामकाजी साबित हुए हैं। 2014 की 'शिक्षा के वार्षिक स्तर पर रिपोर्ट' में बताया गया है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर है।
- इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।
- स्कूल च्वाइस इन बच्चों को उन स्कूलों तक पहुँचायेगी, जहाँ तक पहुँच पहले संभव नहीं थी। स्कूल से संतुष्ट न होने पर, यह माता-पिता को स्कूल बदलने का विकल्प भी प्रदान करता है।
- स्कूलों के बीच की प्रतिस्पर्धा स्कूलों को अपना स्तर बनाये रखने पर विवश करेगी।

- स्कूल च्वाइस को शिक्षा के अधिकार के उस प्रावधान के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसके तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

4.5. ट्रांसजेंडरों के अधिकार

(Transgender Rights)

सुर्खियों में क्यों?

- दिल्ली सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के फॉर्म में "ट्रांसजेंडर श्रेणी" भी जोड़ दी है।
- एक अन्य प्रगतिक्रम में ईसाई ट्रांसजेंडरों को जल्द ही समान संपत्ति का अधिकार मिल सकता है।
- इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडरों को गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा दिया है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

- दिल्ली सरकार ने सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए नोटिस जारी किया है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण बहुत कम है, और जितना भी है वह महिलाओं के रूप में पंजीकृत है।
- 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी, उसके बाद से इस मामले में यह पहला कदम है।

ईसाई ट्रांसजेंडर

- भारत के विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से सिफारिश मांगी थी।
- दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने ईसाइयों की सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श किया।
- उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 44 में संशोधन करके, ट्रांसजेंडरों को पैतृक संपत्ति में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार दिए जाने चाहिए।
- मंजूरी के बाद, विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।
- **महत्व**: उत्तराधिकार अधिनियम में 'ट्रांसजेंडर' को शामिल किए जाने के बाद, ट्रांसजेंडर संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

ओडिशा में ट्रांसजेंडर्स को बीपीएल दर्जा

- इस कदम से ओडिशा के लगभग बाईस हज़ार ट्रांसजेंडरों को फायदा होगा।
- ओडिशा ट्रांसजेंडरों को बीपीएल का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने का भी फैसला किया है।

4.6. भारत में मौत की सजा पर रिपोर्ट

(Death Penalty India Report)

दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा मौत की सजा पर रिसर्च प्रोजेक्ट के निष्कर्षों को जारी किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट में भारत में मौत की सजा पाने वाले 385 कैदियों की पहचान की गयी है।
- मौत की सजा पाने वालों में से 80% ने स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है और लगभग 50% ने 18 वर्ष की आयु से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था।
- 25% कैदी अपराध करते समय या तो किशोर या 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच के हैं या साठ वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं।
- इनमें से 24.5% कैदी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं जबकि 20 प्रतिशत से अधिक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।
- निचली अदालतों द्वारा दी गयी मौत की सजा के मामलों में से 5% से भी कम को उच्चतम न्यायालय द्वारा सही माना गया है।
- 54% कैदियों के मुक़दमे दस वर्ष से भी अधिक समय तक चले और 34% कैदियों के 5 वर्ष से भी अधिक समय तक।
- 'हत्या' और 'बलात्कार के साथ हत्या' अपराधों के लिए सबसे ज्यादा कैदियों को मृत्यु दंड दिया गया है।
- **महत्व**: अध्ययन में दावा किया है कि राज्यों के पास इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि आजादी के बाद से कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है।
- यह अध्ययन भारत में मौत की सजा के खिलाफ एक मजबूत रिपोर्ट है।

4.7. स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(Health Protection Scheme)

- स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का नया नाम है।
- बजट 2015-16 में इसकी घोषणा की गयी थी और इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक घोषित नहीं की गयी है।
- गरीब परिवारों को प्रति परिवार एक लाख रुपये का वर्षाना स्वास्थ्य कवर मिलेगा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत यह सीमा 30000 रुपये थी)। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को 30000 रुपये का अतिरिक्त कवर मिलेगा।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा योजना** का लाभ सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में उठाया जा सकता है।
- यह पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में मानती है और यदि एक सदस्य बीमा राशि का इस्तेमाल करता है, उस परिवार की कुल बीमित राशि से उतनी राशि कम हो जाएगी।

महत्व

- चिकित्सा लागत फुटकर खर्च में सबसे बड़ा व्यय है और लोगों को गरीबी के दुष्चक्र में वापस ढकेलने का मुख्य कारण है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना** भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की दिशा में एक कदम है।
- उपभोक्ता के हाथों में अधिक क्रय शक्ति प्रदान करने से निजी क्षेत्र ऐसे स्थानों में और अधिक शाखाएं खोलने के लिए प्रेरित होगा जिन स्थानों पर अभी स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है।

VISION IAS

चिकित्सा बीमा योजनाओं के समक्ष चुनौतियां

- **प्रतिस्पर्धी बाजार**, यानी, जिनमें कुल लागत कम होती है जिससे कीमतें कम हो जाती हैं, स्वास्थ्य बीमा के लिए निष्पादन (परफॉर्म) नहीं करते।
- **"प्रतिकूल चयन"**: लोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति की बेहतर जानकारी है; इस वजह से केवल अस्वस्थ लोग बीमा योजना चुनते हैं।
- **"नैतिक बाधा"**: डॉक्टरों को मरीज के उपचार के बारे में बेहतर जानकारी होती है और वे वित्तीय हितों की वजह से महँगा उपचार उपलब्ध कराते हैं।

उपाय

- इन चुनौतियों को ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना द्वारा सफलतापूर्वक संबोधित किया गया है, जिसे दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में से एक माना जाता है।
- इसने "प्रतिकूल चयन" की चुनौती को ख़त्म करने के लिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए सभी को पंजीकृत कर लिया है (लोगों की स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर)।
- इसने सुनिश्चित किया कि सेवा प्रदाता का राजस्व केवल मानक उपचार प्रोटोकॉल और कवर की गयी बीमारियों के उस क्षेत्र में होने के आंकड़ों के संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार इसने "नैतिक बाधा" की चुनौती को भी संबोधित किया है।
- अतिरिक्त परीक्षण या उपचार का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना द्वारा नहीं किया जाता।
- यह सुनिश्चित करती है कि केवल उन्हीं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मान्यता दी जाए जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा की पूरी रेंज प्रदान करने की क्षमता रखते हों।
- यह सुनिश्चित करती है कि सेवा प्रदाता निवारक स्वास्थ्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि इनकी लागत कम होती है, और दिए गए वाउचर की अवधि के भीतर उस स्वास्थ्य स्थिति के होने की संभावना को कम करती है।
- सेवा प्रदाता को वाउचर के मूल्य के अनुसार भुगतान किया जाता है; भले ही कवर की गयी स्वास्थ्य स्थिति वास्तव में न हुई हो।
- निवारक स्वास्थ्य उपाय प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देने से, क्षेत्र में रुग्णता की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, जिससे इलाज की कुल लागत में भी कमी आती है।

4.8. चिकित्सा शिक्षा में सुधार

(Reforms in Medical Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों की सभी सीटों में प्रवेश के लिए **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा** (NEET: National Eligibility cum Entrance Test) में रैंक प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया है।

पृष्ठभूमि

- **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा** स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा प्रणाली है।
- देश के 412 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए करीब 35 प्रवेश परीक्षायें होती हैं।
- 2009 में दायर याचिका के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने एकल राष्ट्रीय परीक्षा के आयोजन की संभावना की जांच का निर्देश दिया था।
- 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने चालू वर्ष के लिए दो चरणों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय परीक्षा की अनुमति दी।
- **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा** की मुख्य आलोचना यह हो रही है कि गैर सीबीएसई पाठ्यक्रम और गैर-अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों के छात्र सीमित समय की वजह से इसकी तैयारी नहीं कर पायेंगे और यह उनके प्राप्तांकों को प्रभावित करेगा।

आवश्यक सुधार

- **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा** महत्वपूर्ण है क्योंकि;
- एक ही तारीख को एक से ज्यादा परीक्षायें आयोजित होती हैं।
- प्रवेश में व्यापक भ्रष्टाचार होता है, जिसमें मेरिट की अनदेखी होती है।
- विज्ञान विषयों में ज्ञान के खराब मानक भारत में हाई स्कूल शिक्षा प्रणाली के खराब मानकों को प्रतिबिंबित करते हैं।
- चिकित्सा का पेशे लोगों के जीवन से संबंधित है, इसलिए जरुरी है कि मानक उच्च कोटि के रहें।
- यह परीक्षा राज्य सरकारों को शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए मजबूर करेगी, विशेष रूप से विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में।

कॉमन एग्जिट परीक्षा (Common Exit Exam) का प्रस्ताव

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय NEET-PG को कॉमन एग्जिट परीक्षा के रूप में अधिसूचित करने पर विचार कर रहा है। इस वजह से एमबीबीएस छात्रों को मेडिसिन की प्रैक्टिस प्रारंभ करने से पहले कई विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं की जगह केवल एक ही परीक्षा देनी होगी।
- यह ये सुनिश्चित करने के लिए होगा कि एक डॉक्टर में निर्धारित मानकों के अनुसार बुनियादी कौशल और क्षमतायें हैं या नहीं, भले ही वह किसी भी संस्था का छात्र रहा हो।
- यह परीक्षा प्रैक्टिस के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस चाहने वाले लोगों के लिए या विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए अनिवार्य बन जाएगी।
- यह प्रवेश परीक्षा "फर्जी" मेडिकल कॉलेजों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मजबूर कर देगी।
- इसके लिए संसद द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधार

- कई समितियों ने भारतीय चिकित्सा परिषद के गिरते मानक और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया है।

VISION IAS

- पाठ्यक्रम, गुणवत्ता आश्वासन, नैतिक आचरण, तर्कसंगत उपचार, और रोगी की देखभाल से जुड़े सुधारों के लिए ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए भी भारतीय चिकित्सा परिषद को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद को **स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग** (National Commission for Human Resources for Health) में बदलने को लेकर संसद में एक बिल लाया गया था, वो भी अभी तक पारित नहीं हुआ है।

4.9. परंपरागत चिकित्सा पर भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता

(India-WHO Agreement on Traditional Medicine)

- भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परंपरागत चिकित्सा पर एक परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह समझौता परंपरागत और पूरक चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा और सेवा प्रावधान की प्रभाविता को बढ़ावा देने के संबंध में सहयोग के लिए है।
- इसका उद्देश्य "परंपरागत और पूरक चिकित्सा रणनीति: 2014-2023" के विकास और कार्यान्वयन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद करना है।
- 2016-2020 अवधि के लिए यह समझौता पहली बार योग में प्रशिक्षण के लिए WHO बेंचमार्क दस्तावेज़ तथा आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म में प्रैक्टिस के लिए WHO बेंचमार्क प्रदान करेगा।
- इससे परंपरागत चिकित्सा में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
- साथ ही यह परंपरागत चिकित्सा उत्पादों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उनके एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढाँचा स्थापित करने में भी मदद करेगा।
- यह भारतीय परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक रूप से बढ़ावा देने में भी योगदान देगा।
- यह रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और स्वास्थ्य उपायों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में आयुर्वेद और यूनानी को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

4.10. बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने की दक्षिण एशिया पहल (SAIEVAC) की बैठक

(SAIEVAC meeting)

- बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने की दक्षिण एशिया पहल (SAIEVAC) में शामिल आठ देशों की चौथी मंत्री स्तरीय बैठक दिल्ली में आयोजित हुई।
- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।
- इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ निर्धारित करना और प्रतिबद्धताओं पर सहमति बनाना था।
- बैठक में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने, SAIEVAC के दस वर्ष की प्रगति और पंचवर्षीय कार्ययोजना (2011-16) की समीक्षा करने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की गयी।

पृष्ठभूमि

- SAIEVAC 8 सार्क देशों - अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका - की एक अंतर-सरकारी क्षेत्रीय संस्था है।
- यह 2010 में अस्तित्व में आई थी जब बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन को SAIEVAC के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

4.11. शिक्षा में असमानता

(Inequality in Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पर 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण पर हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है।

> **सकल उपस्थिति अनुपात (NAR: Net Attendance Ratio):** यह एक विशेष कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का उस आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या से अनुपात है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **अमीर/गरीब:** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सबसे अमीर 20% लोगों के प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए सकल उपस्थिति अनुपात 89% है।
- माध्यमिक शिक्षा में सकल उपस्थिति अनुपात कम हो जाता है और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह और भी बदतर हो जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के निचले 20% वर्ग में से केवल 6% छात्र ही उच्च माध्यमिक शिक्षा से ज्यादा की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जनसंख्या के सबसे अमीर 20% वर्ग के युवाओं के लिए यही अनुपात 31% (पांच गुना अधिक) है।
- बुनियादी साक्षरता सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाती है।
- अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए जरुरी उच्च शिक्षा के लिए अमीरों के बच्चों के पास बेहतर अवसर होते हैं, जबकि गरीब वर्ग के लोग अनौपचारिक क्षेत्र में ही रह जाते हैं।
- **लिंग**: अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक स्तर पर लड़कियों और लड़कों के नामांकन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर कई राज्यों में सकल उपस्थिति अनुपात में व्यापक अंतर है।
- **जाति**: प्राथमिक स्तर पर ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन शिक्षा के उच्च स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के बीच व्यापक अंतर है।

VISION IAS

- **धर्म**: पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अन्य धर्मों की तुलना में मुसलमानों का नामांकन सभी स्तरों पर कम है
- **शिक्षा की गुणवत्ता**: शहरी भारत में जनसंख्या के शीर्ष (सबसे अमीर) पांचवें हिस्से के लिए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रति छात्र औसत खर्च आबादी के सबसे गरीब पांचवें हिस्से से आठ गुना अधिक है। शिक्षा के उच्च स्तर के लिए यह अंतर और ज्यादा है।
- **निजी ट्यूशन:** निजी ट्यूशन के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अमीरों और गरीबों के प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है।
- इससे पता चलता है कि गरीब भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन यह सरकारी स्कूल प्रणाली में विश्वास की कमी को भी दर्शाता है।

4.12. मानव तस्करी विधेयक का मसौदा

(Draft Trafficking of Persons Bill)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श और टिप्पणी के लिए **मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2016** का मसौदा जारी किया है।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- विधेयक का उद्देश्य मानव तस्करी और संबंधित मामलों के खिलाफ एक मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण पैदा करना है।
- यह विधेयक पीड़ित उन्मुख है और इसमें तस्कर और पीड़ित के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है।
- विधेयक में उन अपराधों/प्रावधानों को शामिल किया गया है जो तस्करी से जुड़े अन्य किसी कानून में शामिल नहीं हैं, जैसे-
- तस्करी के शिकार लोगों और गवाह की पहचान का खुलासा करने पर दंडात्मक प्रावधान।
- तस्करी के प्रयोजन के लिए मादक दवा या मादक पदार्थ या शराब का प्रयोग।
- शोषण के प्रयोजन से रासायनिक पदार्थ या हार्मोन का प्रयोग।
- विधेयक में 'रोज़गार एजेंसियों' को भी अपने दायरे में लिया है, और उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
- प्रस्तावित विधेयक जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर तस्करी रोकने के लिए समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा।
- इसमें अपराधों की जांच के लिए एक प्राधिकृत एजेंसी की भी परिकल्पना की गई है।
- यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक पुनर्वास सहायता के लिए संरक्षित आवास और विशेष आवास भी प्रदान करेगा।
- प्रत्येक जिले में अनुभवी विशेष अभियोक्ता (प्रासिक्यूटर) और विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।
- तस्करी के शिकार लोगों की मजदूरी और अन्य मौद्रिक नुकसान की वसूली का भी प्रस्ताव है।
- प्रस्तावित अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए एक विशेष कोष भी बनाया जायेगा।

4.13. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत ड्राफ्ट मॉडल नियम

(Juvenile Justice Act, 2015 Draft Model Rules)

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के तहत ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किये हैं।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की जगह पर जनवरी 2016 से लागू किया गया है।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- ड्राफ्ट नियम में पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और किशोर न्यायालय के लिए बालकों के अनुकूल विस्तृत प्रक्रियाएं बताई गयी हैं।
- किशोर न्याय बोर्ड और किशोर न्यायालय को बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा पुनर्वास और समाज में बच्चे के पुन:एकीकरण के उद्देश्य के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
- ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य में कम से कम एक "सुरक्षित स्थान" स्थापित करना आवश्यक है।
- नियमित निगरानी के माध्यम से इस तरह के बच्चों को व्यापक सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।
- बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया को त्वरित और सुलभ बनाने के लिए, गोद लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है।
- प्रस्ताव है कि हर पुलिस स्टेशन में बच्चों के अनुकूल अवसंरचना होगी और हर अदालत परिसर में बच्चों के लिए विशेष कमरे बनाये जायेंगे।
- किशोर अपराधियों को उचित चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी और उनके माता-पिता और अभिभावकों को विधिवत सूचित किया जाएगा।
- इसमें किशोर अपराधियों की उम्र निर्धारण के लिए भी विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय समिति बच्चे की उम्र का निर्धारण करेगी।

4.14. बाल विवाह पर जनगणना रिपोर्ट

(Census Report on child marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं; लगभग एक तिहाई विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गयी थी।

VISION IAS

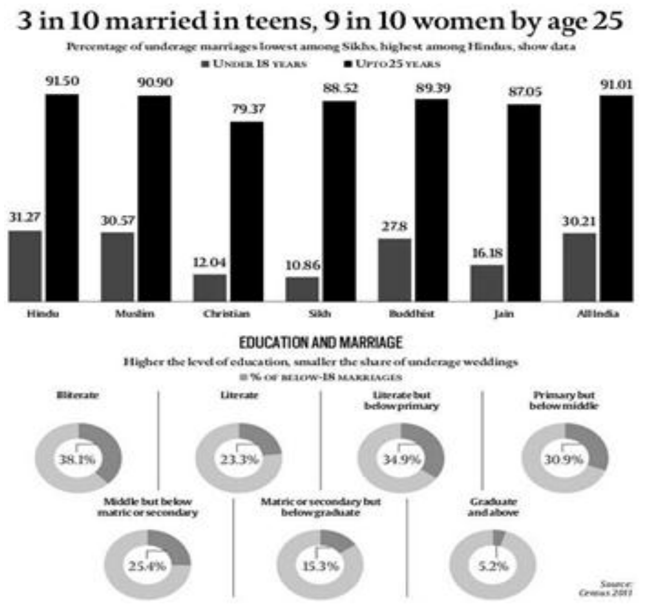

मुख्य निष्कर्ष

- 78.5 लाख लड़कियों की शादी 10 वर्ष से कम की आयु में ही कर दी गयी थी। यह 2011 तक विवाहित महिलाओं का 2.3% है।
- 91% विवाहित महिलाओं की शादी 25 वर्ष की उम्र तक हो गयी थी।
- 30.2% विवाहित महिलाओं (10.3 करोड़) की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।
- 2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, 43.5% विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।

धर्म के अनुसार आँकड़े

- 31.3% विवाहित हिन्दू महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 45.1% था।
- 30.6% विवाहित मुस्लिम महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 43.1% था।
- 12% विवाहित ईसाई महिलाओं और 10.9% विवाहित सिख महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।

साक्षरता: 38.1% अनपढ़ विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गयी थी, जबकि साक्षर विवाहित महिलाओं के लिए यह प्रतिशत 23.3% है।

4.15. शिक्षा का व्यवसायीकरण

(Commercialization of Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य के पास निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश (एडमिशन) को विनियमित करने और फीस निर्धारित करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।
- प्रवेश और फीस को विनियमित करने की राज्य की शक्ति व्यापक जनहित के लिए एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है।
- कोर्ट ने कहा कि शिक्षा संस्थान कभी एक कारोबार (बिज़नेस) नहीं बन सकते।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

- उनके पास अनुच्छेद 19 (1)(g) के तहत "कोई भी पेशे अपनाने, या व्यवसाय, व्यापार या कारोबार" करने का अधिकार है।
- अपने पहले के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थान के प्रशासन को संविधान के तहत एक 'व्यवसाय' के रूप में मान्यता दी थी।

फैसले के निहितार्थ

- राज्य की नियामक शक्तियां शिक्षा के व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी को रोकेंगी।
- यह विशेष रूप से गरीब वर्ग के छात्रों के बीच शिक्षा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

4.16. भारत में वेतन में लैंगिक अंतर

(Gender Pay Gap in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में ऑनलाइन सेवा प्रदाता 'मॉन्स्टर' (Monster) द्वारा हाल ही में जारी **वेतन सूचकांक रिपोर्ट** में वेतन में लैंगिक अंतर पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- लैंगिक वेतन अंतराल 27% है।
- पुरुषों को औसत सकल प्रति घंटा 288.68 रुपये वेतन मिलता है जबकि महिलाओं के लिए यह वेतन करीब 207.85 रूपए है।
- <u>क्षेत्रवार विश्लेषण</u>
- विनिर्माण क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतराल सबसे ज्यादा (34.9 फीसदी) है।
- यह बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, परिवहन, लॉजिस्टिक तथा संचार में सबसे कम (17.7%)है।
- आईटी सेवा क्षेत्र में 34 प्रतिशत का एक बड़ा लैंगिक वेतन अंतराल है।

वेतन में लैंगिक अंतर के पीछे कारण

- महिला कर्मचारियों के बजाय पुरुष कर्मचारियों को तरजीह
- पर्यवेक्षी पदों के लिए पुरुष कर्मचारियों की पदोन्नति
- मातृत्व और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की वजह से महिलाओं के कैरियर में रुकावट।

VISION IAS

4.17. बलात्कार पीड़ितों पर राष्ट्रीय नीति

(National Policy on Rape Victims)

- सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के लिए केंद्र को एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए कहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2013 में घोषित **निर्भया कोष** पर्याप्त नहीं है तथा राहत और मुआवजे को बलात्कार पीड़ितों तक पहुँचाने की जरूरत है।
- विभिन्न राज्यों की मुआवजा योजनाओं में एकरूपता की कमी है इसलिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यक है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से CrPC की धारा 357 (ए) के कार्यान्वयन और पीड़ित मुआवजा योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है।

4.18. मातृ एवं नवजात टिटनेस में कमी

(Reduced Maternal and Neonatal Tetanus)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मातृ एवं नवजात टिटनेस (MNT) अब दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में एक बड़ी समस्या नहीं है।
- जिला स्तर पर मातृ एवं नवजात टिटनेस के कारण होने वाली मौतें प्रति हजार जन्मों पर एक रह गयी है।
- 1989 में दुनिया में मातृ एवं नवजात टिटनेस की वजह से 7,87,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई थी।
- प्रसव के दौरान अस्वच्छ स्थिति और अपर्याप्त गर्भनाल देखभाल मां और बच्चे में इस रोग का मुख्य कारण हैं। यह रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटानी (Clostridium Tetani) नामक जीवाणु के कारण होता है।
- लॉकजॉ (lockjaw), मांसपेशियों में ऐंठन, बुखार, तेज धड़कन, पसीना आना और उच्च रक्तचाप इस रोग के लक्षण हैं।
- टीकाकरण और मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाना इस रोग के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है।

4.19. भारत में अफ्रीकी नागरिकों पर हमले

(Attacks on Africans in India)

- भारत में रहने वाले अफ्रीकियों पर लगातार हमले और कांगो देश के एक युवक की मौत की वजह से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच रिश्तों में कड़वाहट आई है।
- हमलों के बाद भारत में अफ्रीकी देशों के मिशनों के प्रमुखों ने कहा कि वे "अफ्रीका दिवस समारोह" का बहिष्कार करेंगे।

भारत में अफ्रीकी लोगों के लिए चुनौतियाँ

- भारतीय समाज में रंगभेद है और यह धारणा कि अफ्रीकी लोग अवैध और अनैतिक व्यक्ति होते हैं, समस्या को और बढ़ा देती है।
- अफ्रीकी बंद समुदायों में रहते हैं और भारतीयों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं।
- वे खुद के समुदाय में सामाजिक संबंध बनाकर भारतीयों के साथ कम से कम बातचीत व संपर्क रखना चाहते हैं।
- कई बार और अलग-अलग जगहों पर उन पर हुए हमलों के कारण उनके बीच डर पैदा हो गया है।

संभावित समाधान

- भारतीय सरकार को अफ्रीकी प्रवासियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करने चाहिए।
- इसके अलावा बिना किसी दस्तावेजों के भारत में रह रहे अफ्रीकियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि वे औपचारिक कानूनी साधनों का उपयोग नहीं कर पाते।
- अधिक से अधिक अंतर-सांस्कृतिक बातचीत और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए संचार प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
- दूतावास विचार-विमर्श और गैर सरकारी संगठनों की मदद से संपर्क बढ़ाने के स्थानीय उपायों पर ध्यान केंद्रित करके मदद के और अधिक अनौपचारिक चैनल प्रदान कर सकते हैं।
- शैक्षिक संस्थानों के परिसर में अफ्रीकी छात्रों के समावेशन को सुनिश्चित करने और परिसर में या आस-पास सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरुरत है।
- भारतीयों के मध्य गोरे रंग को लेकर व्याप्त श्रेष्ठता की भावना को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।

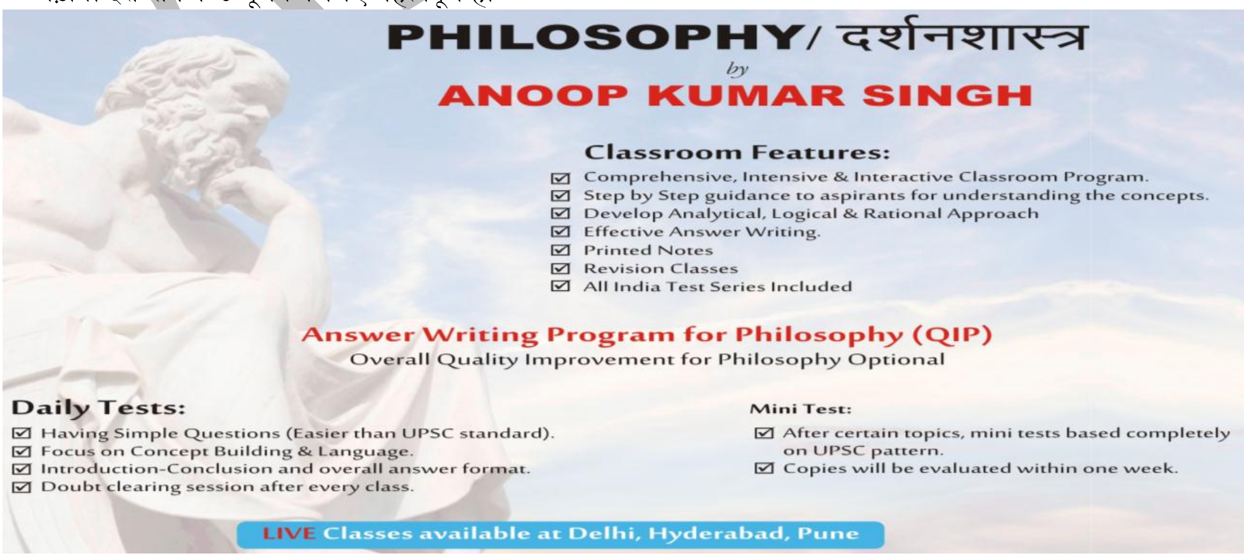

VISION IAS

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

SCIENCE AND TECHNOLOGY

5.1. मानव रहित वायुयानों पर दिशा-निर्देशों का मसविदा

(Draft Guidelines on UAV's)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

पिछले महीने, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा UAV परिचालन के लिए दिशा-निर्देशों का मसविदा जारी किया गया।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

- UAV या ड्रोन (Drones) को बड़ी संख्या में नागरिक अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा होने के अलावा, इसका उपयोग सुरक्षा (SECURITY) के लिए खतरा भी पैदा करता है। उपरोक्त के अलावा इससे निजता के हनन की भी संभावना है।
- भारतीय शहरों के हवाई क्षेत्र में पहले से ही विमान यातायात का एक उच्च घनत्व है और इसमें ड्रोन का अविनियमित उपयोग हवाई टक्कर और दुर्घटनाओं का एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- इसके अलावा, मानव रहित विमान प्रणाली में तकनीकी प्रगति को देखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि इसकी गतिविधि को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक नियमावली विकसित की जाय।

केस स्टडी: कर्नाटक पुलिस द्वारा UAV का प्रयोग:
कर्नाटक पुलिस विभाग ड्रोन बेड़ा रखने और संचालित करने वाला पहला पुलिस बल है। इस संबंध में लगभग 20 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है और इन्हें ड्रोन संचालन का विशेष कार्य सौंपा गया है। UAV पहले ही रात में देख पाने की अपनी क्षमता के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बालू खनन की पहचान करने में पुलिस की मदद कर चुके हैं।

विनियम

- भारत में परिचालन की मंशा रखने वाले सभी मानवरहित विमानों को DGCA द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- सभी नागरिक UAVs को DGCA से परिचालन अनुमति (OPERATOR PERMIT) प्राप्त करनी होगी।
- UIN एक भारतीय नागरिक या एक कंपनी को प्रदान किया जाएगा जिसका अध्यक्ष और दो-तिहाई निदेशक भारतीय नागरिक हों।
- जिस UAV के पास UIN होगा उसे बिना DGCA की अनुमति के किसी व्यक्ति या फर्म को हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकेगा।
- नीति रिमोट पायलटों, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, के प्रशिक्षण के साथ-साथ नियंत्रित हवाई क्षेत्र के संदर्भ में विनियमों के लिए दिशा-निर्देशों को भी सूचीबद्ध करती है।
- ड्रोन के आयात हेतु DGCA से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा जिसके आधार पर DGFT आयात के लिए लाइसेंस प्रदान करेगा।
- अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में 200 फीट AGL (ABOVE GROUND LEVEL) पर या उससे ऊपर UA संचालन के लिए DGCA से अनुमति की आवश्यकता होगी। अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में 200 फीट AGL से नीचे के संचालनों के लिए UAOP की आवश्यकता नहीं होगी।
- नागरिक UAS के अंतर्राष्ट्रीय संचालन (सीमाओं के बाहर उड़ान)/या जल के ऊपर उड़ानें पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी।

UAVs के उपयोग एवं लाभ

- सर्वेक्षण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी के साथ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति और जीवन के नुकसान का आकलन।
- सरकार, सुरक्षा एजेंसियों, कंपनियों, शोधकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और विमानन उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए इसके अत्यधिक लाभ हैं।
- अन्य वाणिज्यिक और मनोरंजन से सम्बंधित उपयोग।

मुद्दे और सुझाव

- माइक्रो एवं मिनी UAVs की परिचालन सीमा 500 मीटर है जो मानचित्रण और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कि विद्युत लाइनों, राजमार्गों, नदी बेसिन, आदि की निगरानी के प्रयोजन को सीमित करने वाला एक कारक है।
- DGCA के नियम इस तरह के होने चाहिए कि वो निजी क्षेत्र के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सकें ताकि नवाचार, विकास और एंड यूजर द्वारा UAV प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रियाएं आम हो सकें।
- इसे वाणिज्यिक एवं व्यक्तिगत UAV उपयोग के निजता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सम्बन्धी मुद्दों हेतु एक ढाँचे (जो 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' से संगत हो) के विकास के लिए विभिन्न हितधारकों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
- विजुअल लाइन ऑफ़ साईट (VLOS) प्रतिबंधों को समाप्त कर देना चाहिए- यह कैमरा तथा उत्पाद वितरण की क्षमता से युक्त UAV की उपयोगिता को बाधित करता है।
- सुरक्षा, प्रवर्तन और दंड के मुद्दों का पर्याप्त समाधान नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए- पर्याप्त जुर्माने के अभाव में, दिशा-निर्देशों में सज़ा सम्बन्धी प्रावधानों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा।

VISION IAS

निष्कर्ष

आज के UAV अगली पीढ़ी की एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के लिए अग्रदूत हैं। जब तक हम उपयुक्त नियमों का निर्माण नहीं करते , निवेशक UAV उद्योग के विकास में विश्वास से परिपूर्ण कदम रखने में अनिच्छुक होंगे।

5.2.भारत ने सफलतापूर्वक अवरोधक मिसाइल का परीक्षण किया

(India Successfully Tested Interceptor Missile)

- DRDO ने एक नई स्वदेशी तकनीक द्वारा एडवांस एयर डिफेन्स (AAD) इंटरसेप्टर मिसाइल 'अश्विन' विकसित की है।
- मिसाइल का नए नामित अब्दुल कलाम द्वीप पर परीक्षण किया गया। यह द्वीप ओडिशा के बालाशोर जिले में अवस्थित है। इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित करने की दिशा में यह 12वाँ परीक्षण था।
- परीक्षण में एकल चरणीय अश्विन एडवांस डिफेन्स इंटरसेप्टर मिसाइल का एक मोबाइल लांचर द्वारा लांच किया जाना और इसके द्वारा रास्ते में आने वाले एक नाभिकीय सक्षम धनुष बैलिस्टिक का 20-40 किलोमीटर की अंतः वायुमंडलीय(endo-atmospheric) ऊँचाई पर विनाश शामिल है।
- इंटरसेप्टर की मारक क्षमता विभिन्न ट्रैकिंग स्त्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके सुनिश्चित की गई।

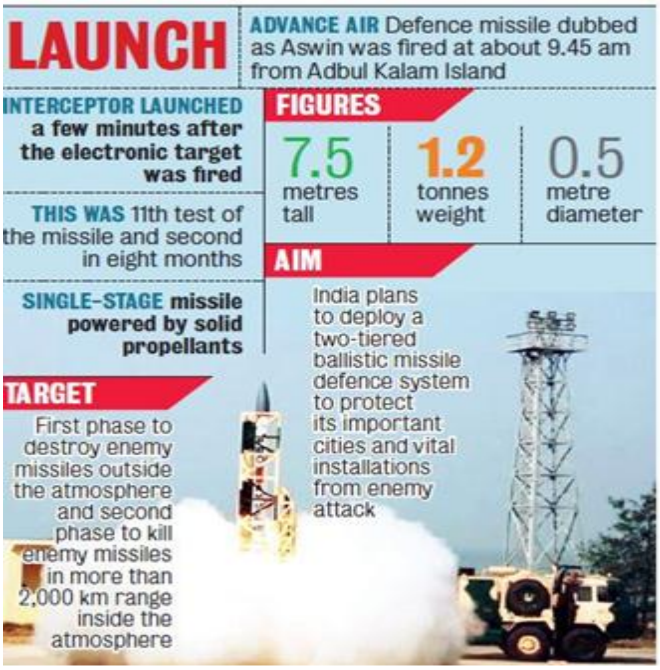

मुख्य बातें

- 7.5 मीटर लम्बी, एकल चरणीय राकेट प्रणोदक, गाइडेड, सुपरसोनिक मिसाइल।
- यह रास्ते में आने वाले शत्रु के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है।
- मिसाइल में इस्तेमाल की गई तकनीक एन्क्रिप्टेड है जिसमें एक सुरक्षित डाटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है जो स्वतंत्र ट्रैकिंग और होमिंग क्षमता और परिष्कृत राडार्स से युक्त है।

भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स सिस्टम के बारे में

- भारत ने 1999 में बहु-चरणीय(multi-tiered) बैलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विकसित करना शुरू किया। यह कारगिल युद्ध के अंत के बाद पाकिस्तान के बढ़ते हुए मिसाइल अस्त्रागार को देखते हुए किया गया।
- 40 भारतीय कंपनियों का समूह इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स शील्ड को विकसित करने में शामिल हैं।
- यह BMD शील्ड दो चरणों(tiers) में संपन्न करेगी
- अंत: वायुमंडल वातावरण (30 किमी. से कम) - में एडवांस एयर डिफेंस (AAD) अथवा अश्विन बैलेस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल |
- बाह्य वायुमंडल आधारित (50-80 किमी.) पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD) अथवा प्रद्युम्न रक्षा प्रणाली- जो निम्नलिखित दो चरणों पर आधारित होगी:

  चरण-I- 2000 किमी. की दूरी से आने वाले शत्रु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के लिए अवरोधक (interceptor) का विकास।

  चरण-II – लंबी दूरी से आने वाले शत्रु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली प्रणाली के विकास से संबंधित।
- स्वदेश निर्मित BMD सिस्टम के साथ-साथ, भारत ने रुसी S-300 एयर डिफेन्स सिस्टम के छः रेजिमेंट्स की अधिप्राप्ति की है, और साथ ही साथ अधिक उन्नत S-400 के 5 अन्य रेजिमेंट्स के लिए बातचीत चल रही है।

5.3.पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान -प्रौद्योगिकी प्रदर्शक

(Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RLV-TD का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जिसमें स्वायत्त नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण, पुन: प्रयोज्य थर्मल सुरक्षा प्रणाली और पुनः प्रवेश मिशन प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रोद्योगिकियाँ शामिल हैं।

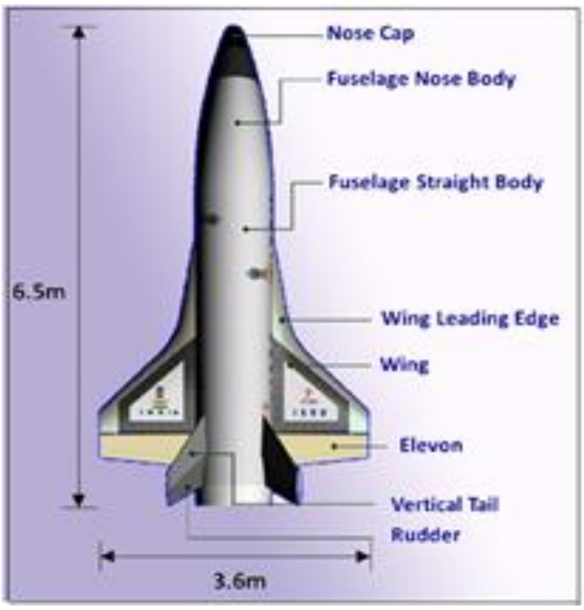

विशेषताएं एवं महत्व

- एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणाली (RLS या पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान ,RLV) किसी पेलोड को अंतरिक्ष में एक से अधिक बार प्रक्षेपित करने में सक्षम होती है।
- मॉडल की लम्बाई 6.5 मीटर और भार 1750 kg है तथा डिजाईन किसी डेल्टा आकार के डैने वाले(delta-winged) हवाई ज़हाज़ की तरह है। परिचालन के समय RLV लगभग 40 मीटर लंबा होगा और इसके लिए 5 किमी लम्बे लैंडिंग रनवे की आवश्यकता होगी। संभव है कि 2030 से यह पूरी तरह से काम करने लगे। इसने हाइपरसोनिक उड़ान,पुनः प्रवेश वायु उष्मागतिकी,स्वायत्त मिशन प्रबंधन एवं उष्मीय सुरक्षा के लिए तप्त संरचानाओं (hypersonic flight, re-entry aero thermodynamics, autonomous mission management and hot structures for thermal protection) इत्यादि में सफलता प्रदर्शित की है।

RLV-TD के विषय में

- अंतरिक्ष में प्रवेश की लागत अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग में प्रमुख बाधा रही है। RLV कम लागत का है और विश्वसनीय एवं मांग आधारित अन्तरिक्ष प्रवेश हासिल करने में सहायक है।
- RLV-TD प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन की एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसे टू स्टेज टू ऑर्बिट (TSTO) को पूर्णतः पुनः प्रयोज्य यान बनाने की दिशा में पहला कदम माना गया है।
- RLV-TD का विन्यास एक विमान के विन्यास के ही समान है तथा यह एक प्रक्षेपण यान और एक वायुयान दोनों की जटिलताओं का संयोजन है।
- एक डैना युक्त RLV-TD बनाया गया है जो एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन का इस्तेमाल कर हाइपरसोनिक उड़ान, ऑटोनोमस लैंडिंग, पावर्ड क्रूज फ्लाइट जैसी प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन हेतु फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में कार्य कर सके।
- इन प्रौद्योगिकियों को प्रायोगिक उड़ानों की एक श्रृंखला के जरिये कई चरणों में विकसित किया जाएगा। इस श्रृंखला की पहली प्रायोगिक उड़ान हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट (HEX)है। इसके पश्चात् लैंडिंग एक्सपेरिमेंट (LEX),रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट(REX)एवं स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट(SPEX) जैसी प्रायोगिक उड़ाने संपन्न की जायेंगी।

RLV-TD के उद्देश्य

- विंग बॉडी का हाइपरसोनिक वायु उष्मागतिकी विवरण
- स्वायत्त नेविगेशन , मार्गदर्शन और नियंत्रण योजनाओं का मूल्यांकन
- एकीकृत उड़ान प्रबंधन
- उष्मीय सुरक्षा प्रणाली मूल्यांकन

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी एवं स्क्रैमजेट इंजन के विषय में

- हाइपरसोनिक विमानन प्रौद्योगिकी में 5 मैक से अधिक की गति शामिल होती है।
- हाइपरसोनिक गति पर उड़ने के लिए सुपरसोनिक दहन इंजन रैमजेट या स्क्रैमजेट जैसे अलग प्रकार के इंजनों की आवश्यकता होती है।
- जेट इंजन के विपरीत जहाँ घूमता हुआ कंप्रेसर और टरबाइन इस्तेमाल होता है, स्क्रैमजेट इंजन में वायुयान के अग्र भाग के नीचे, इनलेट के भीतर तथा फ्यूजलेज (fuselage) के नीचे वायु, प्रघाती तरंगों(shock waves) की जटिल प्रणाली द्वारा संपीडित एवं विरलित की जाती है।
- यह ईंधन के लिए वातावरण से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग करता है।
- यह इसे इंधन ले जाने वाले राकेटो से हल्का एवं तीव्रतर बनाता है और उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए राकेट की जगह इसे एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल में हवाई यात्रा को तीव्रतर एवं सस्ता बनाने में सहायक होगा।

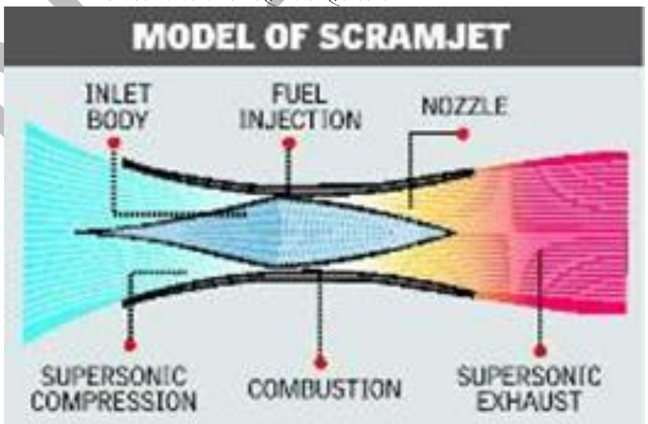

5.4. हीलियम सूक्ष्मदर्शी

(Helium Microscope)

- यह उपकरण मानव, पशुओं और पौधों के नमूनों के साथ ही कंप्यूटर चिप्स और दवाइयों को परिवर्तित किए बिना या उन्हें क्षति पहुचायें बिना वैज्ञानिकों को इन सभी के अध्ययन हेतु सक्षम बनाएगा।
- यह अत्यधिक छोटी वस्तुओं को अति उच्च रेज़ोल्यूशन के साथ देखने में सक्षम होगा।
- यह आस-पास के जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति पहुचाये बिना विषैले और रेडियोधर्मी रिसाव (toxic and radioactive spills) को साफ़ करने में मददगार साबित हो सकता है।
- इसके परिणामस्वरूप स्टील्थ प्रौद्योगिकी (stealth technology) और नए विस्फोटकों का विकास हो सकता है।

5.5.अमेरिका में सुपरबग

(Superbug in USA)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका में एक महिला को ई. कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमित पाया गया, ई.कोलाई में एक नया जीन, MCR-1, पाया गया, जो अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले को लिस्टीन (colistin) जैसे एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी है।

इसे सुपरबग (Superbug) क्यों कहा जा रहा है?

- हालांकि कोलिस्टीन (colistin) के प्रति प्रतिरोध अतीत में कई देशों में पाया गया था, इसकी इस कारण अनदेखी की गयी कि इस तरह का प्रतिरोध जीन म्यूटेशन के कारण है जोकि बैक्टीरिया के बीच आसानी से नहीं फैल सकता।
- लेकिन MCR-1 एक पूरी तरह से अलग तरह खतरा बन गया है; इस मामले में गुणसूत्र के बाहर पाया गया DNA (प्लाज्मिड) का एक छोटा सा टुकड़ा एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार जीन का वहन करता है। चूंकि जीन गुणसूत्र के बाहर पाया जाता है, यह मरीजों के साथ ही विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया के बीच आसानी से फैल सकता है।
- यदि यह जीन अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले एंटीबायोटिक से उपचारित हो सकने वाले बग में पहुँच जाये, तो यह सुपरबग का निर्माण कर सकता है।
- संभवतः यह बैक्टीरिया संक्रमण के उपचार के लिए प्रभावी दवाओं से रहित एक युग को जन्म दे सकता है (post-anti biotic age)।
- पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का अनियंत्रित उपयोग दवा प्रतिरोध के विकास का एक प्रमुख कारण है।

5.6. एंटीबायोटिक्स पर भारत का रेड लाइन अभियान

(India's Red Line Campaign on Antibiotics)

सुर्खियों में क्यों?

2014 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई 'रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक समीक्षा' में भारत के इस अभियान की सराहना की गई।

लाल रेखा अभियान क्या है?

- भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि बैक्टीरिया संक्रमण के उपचार के लिए इनकी प्रभाव-शीलता में तेजी से कमी आ रही है। विश्व में एंटीबायोटिक दवाओं की सबसे ज्यादा (13 अरब इकाई) खपत भारत में होती है।
- एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के खतरों को उजागर करने के लिए एक बहुत आवश्यक जन जागरूकता अभियान 'मेडिसिन विद द रेड लाइन'(Medicine with the Red Line)' स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- अब, कुछ निश्चित दवाओं के पैक में एक 'लाल रेखा' खिंची होती है जो इसे अन्य दवाओं से अलग करती है।

आगे की राह

- असंगत तय-खुराक संयोजन दवाओं (fixed-dose combination drug) का निर्माण करने वाली दवा कंपनियों की जाँच की जानी चाहिए।
- सरकार को रोगाणुरोधी अपशिष्ट का पर्यावरण में निर्वहन करने वाली दवा कंपनियों और पशु चारे में एंटीबायोटिक के उपयोग को विनियमित करना चाहिए।

5.7. जीन डेटाबेस परियोजना

(Gene Database Project)

सुर्खियों में क्यों?

- बेंगलूर स्थित मेडजीनोम (Medgenome) 100,000 एशियाई जीनोम, जिसमें कम से कम 30,000 भारतीय जीनोम शामिल हो सकते हैं, के सीक्वेंस के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई कंसोर्टियम के साथ मिलकर काम करेगी। इससे भारत के विभिन्न जातीय समूहों में व्यापक आनुवंशिक विविधता को समझने में मदद मिल सकती है।
- यह भारतीय जीनोम का सबसे बड़ा डेटाबेस होगा।
- **आवश्यकता:** भारतीय आबादी 1000 जीनोम परियोजना, एशिया जीनोम परियोजनाओं आदि जैसे डेटाबेस में उपेक्षित रही है।

परियोजना के बारे में कुछ जानकारी

- परियोजना का विकास चरणबद्ध तरीके से होगा जिसमें प्रारंभिक चरण में भारत और पूर्वी एशियाई आबादी में से 1000 जीनोम का इस वर्ष के अन्दर सीक्वेंस किया जायेगा और पूरा डेटाबेस 2020 तक तैयार करने की योजना है।
- लगभग 60 petabytes डेटा (30 खरब पृष्ठों के बराबर) प्राप्त होने की संभावना है।
- बिग डेटा का विश्लेषण करने वाले उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता(आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करके, शोधकर्ता कैंसर की रोकथाम सहित कई लक्ष्यों के लिए सटीक दवा प्रयोग कर सकते हैं।
- इन परियोजनाओं से कैंसर के लिए अभिनव नैदानिक दवा परीक्षण, दवा प्रतिरोध में कमी, आहार और आनुवंशिकी के बीच सीधे संबंधों को समझने में मदद मिल सकती है।
- कैंसर जैसे जटिल रोगों के मामले में रोगग्रस्त ऊतकों के DNA की, स्वस्थ DNA से तुलना करके बारीक मतभेदों की पहचान करने में जीनोम डेटाबेस सहायता कर सकता है।

VISION IAS

5.8. क्वेरसेटिन

(Quercetin)

- Quercetin एक flavonoid (वनस्पति वर्णक) है, जो आमतौर पर फलों और सब्जियों, खासकर प्याज, साइट्रस फलों, और सेब में पाया जाता है।
- Quercetin का प्राथमिक लाभ यह है कि इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट कोशिका झिल्ली और DNA को नुकसान पहुँचाने वाले और कोशिका मृत्यु का कारण बनने वाले रासाय निक अभिक्रियाशील यौगिकों का प्रतिरोध करते हैं।

सुर्खियों में क्यों?

- IISc बंगलौर ने हाल ही में quercetin पर अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि यह कैंसर के रोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है।

इसे कैंसर के उपचार के लिए एक "ग्रीन मार्ग" क्यों कहा जाता है?

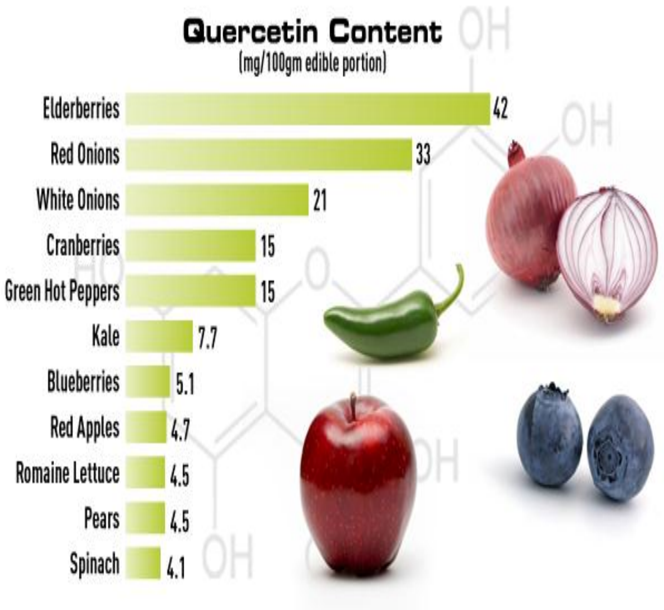

- Quercetin, जिसे कैंसर रोधी और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गतिविधि के लिए जाना जाता है, कथित तौर पर 'apoptosis' को प्रेरित करता है ('apoptosis' एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से आत्महत्या करती हैं)।
- यौगिक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अवरुद्ध करके कैंसर कोशिकाओं के गुणन को भी रोक सकता है।
- यहाँ तक कि यह अत्यधिक आक्रामक ल्यूकेमिया कोशिका लाइन K562, जो अधिकांश कैंसर रोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है, को मार सकता है।
- यह एक मूल रूप से विशुद्ध यौगिक है, जो अब व्यावसायिक रूप से भी विशुद्ध किया और बेचा जाता है।
- प्रायोगिक पशुओं सहित अन्य परीक्षणों में भी यह पाया गया कि इससे कैंसरयुक्त कोशिकाएं नष्ट हो गयीं, जबकि गैर-कैंसरयुक्त कोशिकाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

5.9. केप्लर-62F

(Helium Microscope)

- यह एक ग्रह है जो पृथ्वी से 1,200 प्रकाश वर्ष दूर है और इस ग्रह की सतह पर तरल जल की उपस्थिति एक रहने योग्य दुनिया के लिए एक अच्छी संभावना दर्शाती है।
- केपलर-62f, जो वीणा (LYRA) तारामंडल की दिशा में है, Goldilock क्षेत्र में अवस्थित है।
- यह एक तारे के चारों और चक्कर लगाने वाले 5 ग्रहों में सबसे बाहर की ओर स्थित ग्रह है। यह तारा हमारे सूर्य से ठंडा है और आकार में भी छोटा है।
- इस ग्रह पर कई ऐसे वायुमंडलीय संघटन हैं जो इसे पर्याप्त गर्म रखते हैं ताकि यहाँ सतही तरल जल की उपस्थिति बनी रह सके।
- इसके अलावा ग्रह को तरल धारण करने तथा इसकी सतह पर जीवन की दशाओं के लिए आवश्यक ऊष्णता की जानकारी प्राप्त करने के लिए CO_2 की अलग-अलग मात्रा के सिमुलेशन (simulation) के माध्यम से अनुसंधान किया जा रहा है।

5.10. फिले- रोसेटा (PHILAE-ROSETTA)

(Philae-rosetta)

फिले क्या है: यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक रोबोटिक लैंडर है जो धूमकेतु 67 P/Churyumov-Gerasimenko पर उतरने तक, पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद 10 वर्ष से अधिक समय तक रोसेटा (Rosetta) अंतरिक्ष यान के साथ रहा। 12 नवंबर 2014 को इस प्रोब ने किसी धूमकेतु के नाभिक पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कर कीर्तिमान स्थापित किया।

रोसेटा (Rosetta) क्या है: धूमकेतु 67P की परिक्रमा करने वाला मदरशिप (अंतरिक्ष यान)। फिले, रोसेटा के साथ संचार करता है जो प्राप्त आंकड़ों को पृथ्वी पर भेजता है।

मिशन के लक्ष्य

- धूमकेतु पदार्थ की **तात्विक, समस्थानिक, आण्विक और खनिजीय संरचना** पर ध्यान केंद्रित करना।
- सतही और उपसतही सामग्री के भौतिक गुणधर्मों के लक्षणों का वर्णन करना।
- **नाभिक की** बड़े पैमाने की संरचना तथा **चुंबकीय एवं प्लाज्मा पर्यावरण का अध्ययन**।
- मिशन का प्रयास धूमकेतुओं के बारे में लंबे समय से बने रहस्यों को खोलना है जो **बर्फ और धूल के आदिकालीन भण्डार हैं** जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वे सौर मंडल के निर्माण का रहस्य प्रकट कर सकते हैं।

 ©Vision IAS

रोसेटा की खोजें

- पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण माने गए अवयव जिनके विषय में ESA का रोसेटा अंतरिक्ष यान पिछले दो वर्षो से अन्वेषण कर रहा था, धूमकेतु पर पाए गए है
- **रोसेटा** अंतरिक्ष यान ने एक जांच मिशन भेजा जिसने फॉस्फोरस एवं एमिनो अम्ल ग्लाइसिन सहित जीवन की कुछ मूलभूत इकाइयों की धूमकेतु P67 पर खोज की।
- ग्लाइसिन सामान्यतः प्रोटीनो में पाया जाता है एवं फॉस्फोरस डी एन ए का मुख्य पदार्थ है।
- महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले 4.5 अरब वर्षों में भी धूमकेतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः उनमें वही तत्व हैं जो बिना हमारे सूर्य या ग्रहों के निर्मित हो सकते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि एमिनो अम्ल सार्वभौमिक प्रकृति के हैं।
- निष्कर्ष प्रमुख रूप से यह बताते हैं कि यदि धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण पदार्थों को हस्तांतरित किया है तों किसी और ग्रह पर भी किया होगा इस प्रकार दूसरे ग्रहों पर भी जीवन के पाए जाने की संभावना है।
- सिवाय ऊर्जा के धूमकेतु जीवन के सभी अनिवार्य तत्वों को धारण करता है।

5.11. मुखौटा

(Mukhota)

- मुख्यतः पोरबंदर, वेरावल और गुजरात के अन्य भागों के मछुवारों को गलती से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार करने के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है।
- इन मछुवारों की मदद हेतु एक डिजिटल फर्म काइनेटिक इंडिया एवं मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन 'वर्क इन इंडिया ' ने मुखौटा नामक एक उपकरण प्रस्तुत किया हैं।
- यह जीपीएस इनेबल्ड है जिसकी कोडिंग इस प्रकार की गयी है कि जब यह तटीय सीमा के निकट आता है तो एक चेतावनी भेजता है।
- वर्तमान में प्रत्येक उपकरण की लागत 5000 रूपये है किंतु राज्य सरकारों से अनुदान मिलने के बाद लागत में कमी आएगी और इसे अधिक किफायती बनाया जा सकेगा।

5.12. विज्ञापनों में भू-लक्ष्यन

(Geo-Targeting in Advertisements)

- भू-लक्षित विज्ञापन की प्रवृत्ति के बढ़ने के साथ, और अधिक कंपनियां केवल उन क्षेत्रों में विज्ञापन के प्रसारण के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही हैं जहाँ पहले से ही उनके उत्पाद की सुदृढ़ उपस्थिति दर्ज है।
- वेबसाइटों पर क्षेत्र विशिष्ट सामग्री का प्रसारण प्रयोक्ता की जीपीएस अवस्थिति या मोबाइल टावर अवस्थिति जैसे ट्रिगर्स(triggers) से निर्धारित होता है।
- टेलीविजन के मामले में, भू-लक्षित विज्ञापन के लिए ट्रिगर, वीडियो में डाले गए एक विशिष्ट वॉटरमार्क से आता है , जो स्थानीय विज्ञापन चलाने के लिए स्मार्ट बॉक्स को संकेत देता है।
- वॉटरमार्क उत्पाद बारकोड की ही तरह एक अदृश्य और अश्रव्य आइडेंटीफ़ायर है।
- भू-लक्षित विज्ञापन की प्रौद्योगिकी ने छोटे विज्ञापनदाताओं के लिए राष्ट्रीय चैनलों तक पहुँच बढ़ाने में सहायता की है।

5.13. लोहाफेक्स परियोजना

(Lohafex Project)

सुर्ख़ियों में क्यों

- हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के ऐसे तीन नए समूहों की खोज की जिनका संबंध किसी अन्य जीवाणु से नहीं है। यह खोज दक्षिणी महासागर,अंटार्टिका में 'लोहाफेक्स प्रयोग' के दौरान हुई जिसका उद्देश्य वैश्विक तापन प्रबंधन पर अध्ययन करना था। इसके एक भाग के तौर पर महासागरीय लौह निषेचन (ocean iron fertilization)के माध्यम से बढ़ते हुए सी ओ प्रच्छादन (CO sequestration) का अध्ययन किया गया।
- खोजे गए 3 लोहाफेक्स समूहों में से प्रथम समूह Bacteroidetes से सम्बंधित था जबकि शेष 2 Firmicutes से सम्बंधित थे।
- इन तीन समूहों की अनूठी विशेषता थी- सागर में लोह तत्त्व की उपस्थिति के प्रति उनकी अलग- अलग प्रतिक्रिया।
- अंटार्कटिका में भारत-जर्मन परियोजना ने यह अनुमान लगाया है कि लोहे के निषेचन से प्रेरित ऐल्गल ब्लूम /शैवाल प्रस्फुटन (लोहा शैवाल की वृद्धि के लिए आवश्यक है)वातावरण से अत्यधिक मात्रा में CO2 को अवशोषित कर उसे महासागरों में जब्त कर देगा।
- अंटार्टिका के पास समुद्र में चल रहे प्रयोग से प्राप्त संकेतों के अनुसार यह संभव है कि महासागरों में लोहे के निषेचन से ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण न हो सके।
- इसके अलावा, पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया है क्योंकि समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों पर लौह निषेचन का प्रभाव अज्ञात है इसके साथ ही यह सीबीडी (जैव विविधता पर अभिसमय) के नियमों का उल्लंघन भी है।

5.14. जैव ग्लास

(bio glass)

उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है जो कशेरुकी प्राणियों में जोड़ों में और रीढ़ की हड्डी के बीच पाया जाता है। अन्य प्रकार के संयोजी उतकों की तुलना में क्षतिग्रस्त उपास्थि सरलता से ठीक नहीं होती है।

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- ब्रिटेन के इम्पीरियल कॉलेज लन्दन और इटली में मिलानो बिकोआ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक जैव कांच सामग्री विकसित की है जो असली उपास्थि की तरह धक्का अवशोषित करने और भार उठाने के गुणों की नक़ल कर लेती है।

- यह पदार्थ उपास्थि की नक़ल भी कर सकता है और पुनः वृद्धि के लिए इसे प्रोत्साहित भी कर सकता है। इससे कशेरुकियों की रीढ़ में क्षतिग्रस्त उपास्थि के प्रतिस्थापन में मदद मिलेगी।
- जैव कांच सिलिका और एक प्लास्टिक या पालीकैप्रोलैक्टोन नामक बहुलक के बने होते हैं।

विशेषताएं

- यह एक जैवनिम्नकरणीय स्याही के रूप में बनाया जा सकता है, ताकि सूक्ष्म एवं जैव निम्न करणीय स्काफ्फोल्ड्स (biodegradable scaffolds)में इन्हें 3 डी प्रिंट करने के लिए शोधकर्ताओं को सक्षम बनाया जा सके ।
- यह क्षतिग्रस्त होने पर आत्म उपचार का गुण भी प्रदर्शित करता है जो इसे एक अधिक विश्वसनीय एवं लचीला प्रत्यारोपण बना सकता है । प्रत्यारोपण के बाद संरचना का संयोजन , कठोरता और जैव कांच का रासायनिक संघटन सूक्ष्म छिद्रों में से होकर उपास्थि कोशिकाओं की वृद्धि को उत्प्रेरित करेगा ।
- इस प्रकार इसमें उपास्थि कोशिकाओं की घुटनों में वृद्धि को उत्प्रेरित करने की क्षमता है जो इसके पहले संभव नहीं थी ।
- समय के साथ पाड़(scaffold) का शरीर में सुरक्षित रूप से अपघटन होता है, जिसका स्थान मूल उपास्थि के समान गुणों वाली नयी उपास्थि ले लेती है ।
- इसके अलावा दवा वितरण में , जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में, पुनर्खनिजिकरण तत्त्व के रूप में तथा अस्थि ऊतक अभियांत्रिकी में भी जैव कांच के व्यापक अनुप्रयोग हैं।
- उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है जो कशेरुकी प्राणियों में जोड़ों में और रीढ़ की हड्डी के बीच पाया जाता है। अन्य प्रकार के संयोजी ऊतकों की तुलना में क्षतिग्रस्त उपास्थि सरलता से ठीक नहीं होती है ।

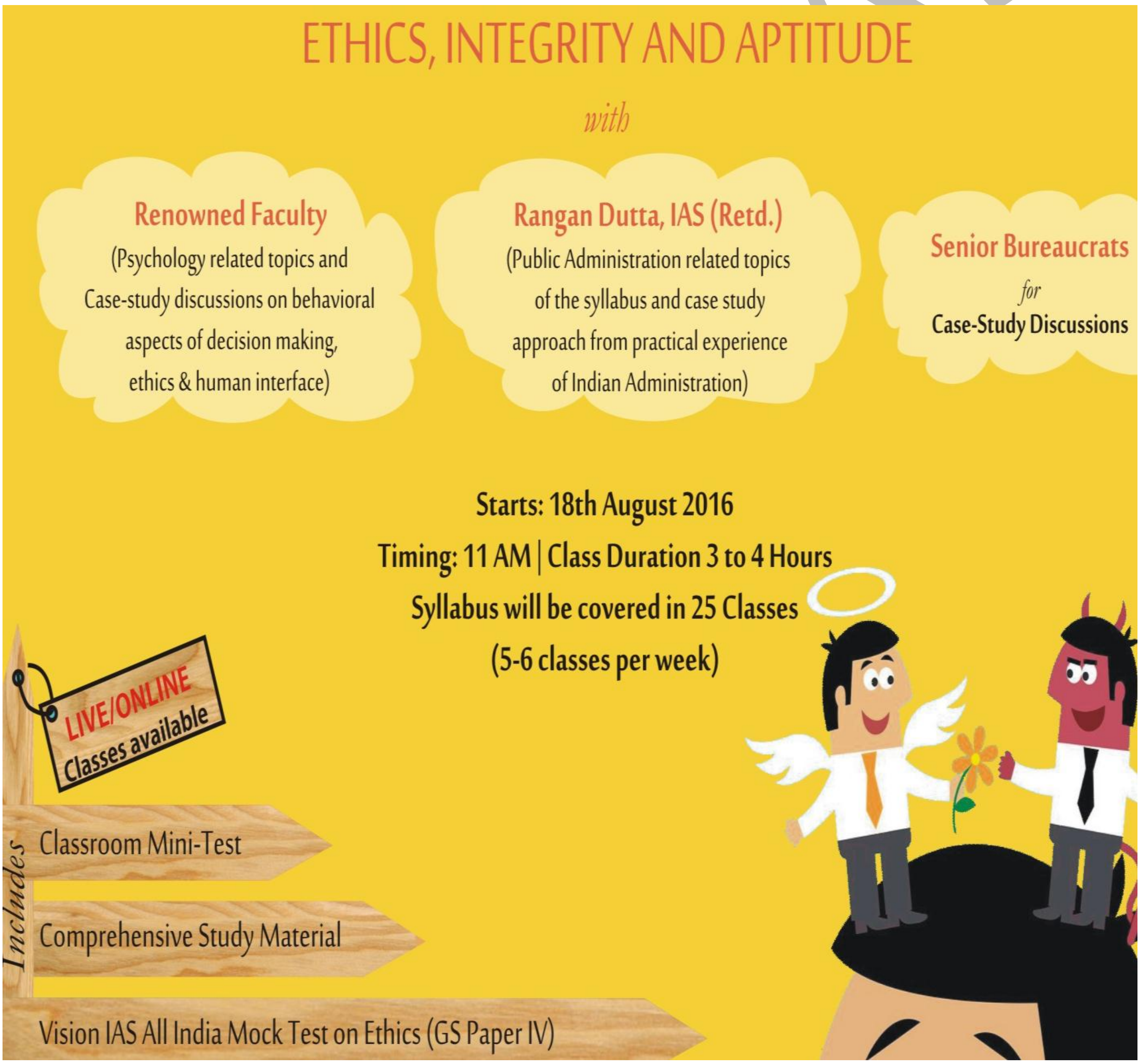

6. आन्तरिक सुरक्षा / कानून-व्यवस्था

INTERNAL SECURITY/LAW AND ORDER

6.1.रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस)

(Chief of Defence Staff [CDS])

संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने मांग की है कि डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के प्रमुख को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाय। 2011 में, राष्ट्रीय सुरक्षा पर गठित नरेश चंद्रा टास्क फोर्स ने स्टाफ कमेटी के प्रमुख और इसके एक स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

- सीडीएस की नियुक्ति का उद्देश्य योजना, सैन्य संचालन और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए "शीर्ष पर सामूहिकता" को बढ़ावा देना है।
- हालांकि भारत में एक त्रि- सेवा कमान(Tri-service command) है, जिसका प्रमुख एक तीन- सितारा(Three-star) अधिकारी होता है। यह चार-सितारा(Four-star) सैन्य प्रमुखों का कनिष्ठ अधिकारी होता है।
- के.सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में गठित कारगिल समीक्षा समिति द्वारा रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में एक एकल सैन्य सलाहकार का पद प्रस्तावित किया गया था जिसका समर्थन मंत्रियों के अनुवर्ती(फॉलो-अप) समूह की रिपोर्ट द्वारा किया गया था।

6.2. पूर्वोत्तर विद्रोह में चीन की भूमिका

(Role of China in North-East Insurgency)

केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि 2015 में नागालैंड के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (Khaplang) ने चीन के कहने पर पूर्वोत्तर में हिंसा तीव्र कर दी थी।

- इसकी स्वीकारोक्ति , गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विद्रोही संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय करने के लिए इस वर्ष की शुरुआत में गठित एक न्यायाधिकरण के समक्ष केंद्र और राज्यों के बयान में की गयी।
- सितंबर 2015 में केंद्र सरकार द्वारा एनएससीएन-खापलांग पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में यूएपीए के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजमी वज़ीरी के नेतृत्व में न्यायाधिकरण स्थापित किया गया।
- केवल नागालैंड ऐसा राज्य था जो *एनएससीएन-खापलांग* को एक अवैध संगठन घोषित करने के पक्ष में नहीं था। इसने एक "शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान 'की मांग की थी। अरुणाचल और मणिपुर ने प्रतिबंध का समर्थन किया।

6.3. पृथ्वी-मिसाइल

(Prithvi-II Missile)

भारत ने स्वदेश-विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी-II का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- यह भारत के प्रतिष्ठित आईजीएमडीपी (एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम) के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल है।
- इसे 2003 में भारत के सशस्त्र बलों में शामिल किया गया।
- यह सतह से सतह प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।

पृथ्वी मिसाइल के प्रारूप

थल सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा इस्तेमाल के लिए पृथ्वी मिसाइल के तीन प्रारूपों का विकास कर लिया गया है।

- पृथ्वी। (SS- 150) - थल सेना संस्करण (1,000 किलो पेलोड के साथ 150 किमी रेंज)।
- पृथ्वी ।। (SS- 250) - वायु सेना संस्करण (500 किलो पेलोड के साथ 250 किमी रेंज)।
- पृथ्वी III (SS -350) - नौसेना संस्करण (1000 किलो पेलोड के साथ 350 किमी रेंज)।

6.4. भू-स्थानिक जानकारी नियमन विधेयक, 2016 का मसौदा

(Draft Geospatial Information Regulation Bill, 2016)

मसौदा भू-स्थानिक सूचना विधेयक में भारत की भू-स्थानिक जानकारी के बारे में कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों का एक ढांचा लाने की योजना है।

Home Ministry vs Department of Science & Technology

The Geospatial Information Regulation Bill, 2016	National Geospatial Policy 2016
• Aims at regulating the use of mapping data	• Aims at encouraging the widespread use of mapping data
• Bans the use of maps without government licence	• Permission needed only when the portion lies under restricted access
• Fines of ₹1 crore-100 crore if a firm or individual uses maps/ geospatial information without permission	• Does not recommend any new prosecution since it says most issues can be covered under existing laws
• Restricts use of maps, collecting aerial images and GPS coordinates by any means without a licence	• Recommends minimal regulation as it says existing laws are enough to deal with security issues
• Bill applicable to any firm or individual creating, using or doing value add to geospatial data. Also applicable to people sharing locations on social media	• The policy is applicable to geospatial data based products, solutions and services offered by governments, private organisations, NGOs and individuals
• No suggestion on how anyone will know what is a sensitive map	• Suggests segregation of maps in three categories: open access, registered access and classified access
• No geospatial data already available can be used without taking a licence from the government	• Geospatial data being disseminated both internationally and nationally to be treated as unclassified and made available by Indian mapping and imaging agencies

विधेयक की आवश्यकता

- बढ़ते उए उपयोग और उपयोगकर्ताओं की बढती हुयी संख्या के मद्देनजर विकसित होते हुए भू-स्थानिक क्षेत्रक का नियमन करना।
- व्यक्तियों और कंपनियों को नक्शे पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का गलत प्रदर्शन करने से रोकने के लिए, और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की अवस्थिति और अन्य भू- सूचनाओं के अनावश्यक प्रसार को रोकने के लिए
- यह सुनिश्चित करना कि जम्मू-कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश का कोई हिस्सा विवादित क्षेत्र के रूप में ना दिखाया गया हो।

विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान

भू-स्थानिक जानकारी का क्या मतलब है?

- अंतरिक्ष या आकाशीय माध्यमों यथा उपग्रह, विमान, वायुयान, बलून, यूएवी द्वारा किया गया भू-स्थानिक चित्रण या डिजिटल डाटा
- प्राकृतिक या मानव निर्मित भौतिक आकृतियों, घटनाओं या पृथ्वी की सीमाओं का आरेखीय या डिजिटल चित्रण
- सर्वेक्षण, चार्ट, नक्शे, निर्देशांकों और विशेषताओं सहित स्थलीय फोटो को संदर्भित करने वाली कोई भी संबंधित जानकारी;

अनुमति अनिवार्य

- किसी भू-स्थानिक जानकारी के वितरण करने,अर्जित करने,प्रसार करने या प्रकाशन करने से पहले सुरक्षा पुनरीक्षण प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा।

सुरक्षा पुनरीक्षण प्राधिकरण(Security Vetting Authority):

यह प्राधिकरण जो संगठन/ व्यक्ति, भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें लाइसेंस प्रदान करेगा। यह "राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, भयमुक्तता और अखंडता की रक्षा करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ" सामग्री और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जाँच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप हैं।

यह किसे प्रभावित करेगा?

- हर व्यक्ति, हर व्यवसायिक संगठन जो एक प्रमुख विशेषता के रूप में भू-स्थानिक जानकारी का उपयोग करता है। जैसे: गूगल, फेसबुक, ओला।

उल्लंघन की दशा में जुर्माना

- भारत की भू-स्थानिक जानकारी के अवैध संकलन के लिए - 1 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और / या सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास।
- भारत के भू-स्थानिक जानकारी के अवैध प्रसार, प्रकाशन या वितरण के लिए - 10 लाख रुपए रुपये से लेकर100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और / या सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास।
- भारत के बाहर भारत के भू-स्थानिक जानकारी का प्रयोग करने पर - 1 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ तक का जुर्माना और / या सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास।

पाकिस्तान की आपत्ति

- पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है कि भारत के आधिकारिक मानचित्र में **जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र** को भारत के हिस्से के रूप में चित्रण किया गया है। जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से अस्थिर है।
- भारत ने विधेयक के मसौदे पर पाकिस्तान की आपत्तियों को यह कहते हुए "दृढ़ता" से खारिज कर दिया कि इस्लामाबाद को भारत की एक आंतरिक "विधायी मुद्दे" पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

विधेयक के मसौदे की चिंताएं

- प्रस्तावित भू-स्थानिक नियमन विधेयक, **नवाचार पारितंत्र** के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
- यह प्रतिबंध नए एप डेवलपर्स पर लागू होगा, जबकि देश के बाहर लोगों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी।
- वर्तमान स्थिति में ऐसे हर व्यक्ति/व्यवसाय को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, जोकि भू-स्थानिक जानकारी को एकत्र करे या प्रकाशित करे। यह व्यक्तिगत डेवलपर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा।
- बिल के दायरे का सामना करने मे छोटे व्यवसायों को वास्तव में मुश्किल आएगी। यह एक उपग्रह चित्र कंपनी से लेकर एक सेवाप्रदाता स्टार्ट-अप तक किसी को भी शामिल करता है।
- स्थानिक जानकारी के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा पुनरीक्षण प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने मे मुश्किल हो सकती है।
- यह बिल कुछ परियोजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी के प्रतिकूल है जोकि सुचारू संचालन के लिए भू-स्थानिक जानकारी का दोहन करने की योजना बना रही हैं।
- बड़ी कंपनियों के पास सुरक्षा पुनरीक्षण की जांच से गुजरने के लिए पैसा है, लेकिन नयी कंपनियों को इसमें मुश्किल आ सकती है।

VISION IAS

HAVE A MAP? YOU MAY SOON NEED A LICENCE

The Union ministry of home affairs has come up with a draft of "The Geospatial Information Regulation Bill, 2016." Proposed requirements include: Licenses for acquiring or sharing maps. "Illegal" maps come with fines running up to Rs 100 crore and a seven-year jail term. A quick look at the proposals:

Who will issue the licence?

- Central government to set up a "Security Vetting Authority". Permission of SVA mandatory to acquire maps or geospatial data through "space or aerial platforms such as satellite, aircrafts, airships, balloons, unmanned aerial vehicles or terrestrial vehicles, or any other means whatsoever."
- An "Apex Committee" to oversee the SVA which will abide by policies involving "national security as well as public interest as the Central Government or the Apex Committee may give to it in writing."

More details

- Publication or dissemination of a map of India to be vetted by the SVA. This happens after application for license with a yet undefined "license fee"
- Older maps must seek license within a year of the bill being passed
- In case of rejection of application or dismissal of appeal one cannot possess geospatial data.
- Licensees must display "insignia of the clearance" on SVA-approved maps
- Provisions apply to both online and offline maps
- Act does not apply to Indian government bodies

PENALTIES

Fine ranging Rs 1 crore to Rs 100 crore and/or imprisonment of up to seven years for:

- Acquisition of geospatial information without the SVA's nod
- Use of illegal geospatial information outside of India

Fine ranging Rs 10 lakh to Rs 100 crore and/or imprisonment of up to seven years for:

- Publication of geospatial information without SVA's permission
- "Wrong" depiction of map of India
- Violation of license terms (includes suspension of license)
- In case a company breaks the law, the draft bill penalises both the company as well as "every person who, at the time the contravention was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company"

CURRENT STATUS

- The jurisdiction of the draft bill extends to "citizens of India outside of India". The government has invited public comments on the draft bill, a copy of which is available on mha.nic.in. Comments must be sent to jsis@nic.in by June 3, 2016

How will it be enforced?

- An Enforcement Authority to conduct investigations or respond to written government requests. Authority empowered to confiscate computer systems used for violation. Authority to have powers of a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973

What are the safeguards?

- An Appellate Authority to hear appeals against Enforcement Authority decisions. Appeals to be disposed of within six months of receipt
- No court to have jurisdiction in matters that can be brought to the Appellate Authority.
- Appellate Authority's decisions can be challenged in the High Courts

6.5. आईएनएस कलवारी

(INS Kalvari)

- छह स्वदेशी स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बियों में से प्रथम INS कलवारी समुद्री परीक्षण के लिए तैयार है।
- समुद्री टाइगर शार्क के नाम पर नामित कलवारी 66-मीटर लम्बी पनडुब्बी है। यह इस वर्ष के अंत तक नौसेना में शामिल हो जाएगी।
- इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी DCNS के सहयोग से मुंबई स्थित मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा किया जा रहा है।
- यह 1999 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 24 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए महत्वाकांक्षी "30 वर्ष पनडुब्बी निर्माण योजना 'के अधीन **प्रोजेक्ट 75I** का हिस्सा है।

6.6. विशाखापत्तनम में पानी के नीचे निगरानी प्रणाली

(Underwater vigil system in Visakhapatnam)

- भारतीय नौसेना ने एक एकीकृत जलमग्न बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली (IUHDSS) और सुरंग युद्ध डाटा सेंटर(Mine Warfare Data Centre) युक्त अत्याधुनिक बंदरगाह रक्षा प्रणाली की शुरूआत की है, जोकि विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड की निगरानी क्षमता और सुरक्षा खतरों के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि करेगा।
- IUHDSS, विशाखापत्तनम बंदरगाह के लिए सतह और पानी के नीचे के सभी प्रकार के खतरों का पता लगाने, पहचान करने, खोजने और चेतावनी पैदा करने में सक्षम एक बहु-सेंसर प्रणाली है।
- MWDC विभिन्न बंदरगाहों से नौसेना के बारूदी सुरंग खोजी जहाजों द्वारा एकत्र आंकड़ों की तुलना, वर्गीकरण और विश्लेषण करेगा।
- सागर प्रहरी बल का सृजन, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (FICs) और IUHDSS की नियुक्ति 26/11 के परिदृश्य के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नौसेना के कुछ उपाय हैं।

7. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

7.1. प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक 2015

(COMPENSATORY AFFORESTATION FUND [CAF] BILL 2015)

सुर्खियों में क्यों:

- लोक सभा द्वारा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2015 पारित कर दिया गया। फ़िलहाल यह राज्य सभा में अटका हुआ है।
- यह विधेयक भारत के सार्वजनिक लेखा के तहत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष ,एवं प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक लेखा के अंतर्गत एक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना का प्रावधान करता है|

प्रतिपूरक वनीकरण के बारे में:

- वर्त्तमान में आरक्षित वन या संरक्षित वन की भूमि को वन (संरक्षण)अधिनियम के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की अनुमति से औद्योगिक या अवसंरचनात्मक परियोजना जैसे गैर वन विकासात्मक गतिविधियों के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है|
- इस हस्तांतरण की क्षतिपूर्ति करने हेतु भूमि के एक अलग टुकड़े पर प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में वनीकरण करना अनिवार्य है| इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति को वन पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता में होने वाली क्षति के एवज में जाना चाहिए| वन पारिस्थितिकी के इस मूल्यांकन को निवल वर्तमान मूल्य (NET PRESENT VALUE)कहा जाता है|
- उपर्युक्त दोनों गतिविधियों की लागत राज्य सरकार द्वारा वनीकरण एवं वन विकास के लिए उस एजेंसी से वसूल किया जाता है जिसको वनभूमि का हस्तांतरण किया जाता है|
- 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा की इन कोषों का सदुपयोग नहीं हों रहा था|अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया गया|
- इस उद्देश्य के तहत 40000 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्रित हो चुकी है किन्तु स्थायी संस्थानिक तंत्र के अभाव में इन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा गया है तथा CAMPA द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है|

विधेयक के उद्देश्य

- यह विधेयक ऐसे वन क्षेत्रों के परिवर्तन से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने हेतु स्थापित CAMPA द्वारा अव्ययित कोष के त्वरित नियोजन में सुरक्षा एवं पारदर्शिता लाने हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करता है|
- राष्ट्रीय CAF एवं राज्य CAF निम्न के लिए भुगतान प्राप्त करेंगे : (i) प्रतिपूरक वनीकरण (ii) वन का निवल वर्तमान मूल्य एवं (iii) परियोजना सम्बद्ध अन्य विशिष्ट भुगतान
- राष्ट्रीय कोष 10% धनराशि प्राप्त करेंगे जबकि राज्य कोष शेष 90% धनराशि प्राप्त करेंगे|
- विधेयक राष्ट्रीय एवं राज्य कोषों के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरणों(National and State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authorities) की स्थापना का प्रावधान करता है|
- इन कोषों का उपयोग प्राथमिक तौर पर वनावरण को हुई क्षति की भरपाई,वन पारिस्थितिकी के पुनर्जनन, वन्य जीवन सुरक्षा एवं अवसंरचनात्मक विकास के लिए किया जायेगा|

विधेयक से जुड़े कुछ मुद्दे

प्रतिपूरक वनीकरण और वन संरक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नांकित हैं -

- 2013 की CAG रिपोर्ट के अनुसार राज्य वन विभागों में वनीकरण के लिए योजना और कार्यान्वयन क्षमता की कमी है।
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि की खरीद भी एक मुश्किल कार्य है क्योंकि भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि के अस्पष्ट स्वामित्व से यह समस्या और भी बढ़ गयी है।
- पर्यावरण कानूनों पर एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा कि वन क्षेत्र की गुणवत्ता में 1951 से 2014 के बीच गिरावट आई है तथा इसका एक प्रमुख कारण कम प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण है।
- इस विधेयक के अनुसार NPV(वन पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान का मूल्य) के निर्धारण हेतु एक विशेषज्ञ समिति कार्य करेगी जिसकी गणना पद्धति महत्त्वपूर्ण होगी।

- विखंडन अर्थात बड़े वन ब्लॉकों के टूट कर छोटे टुकड़ों में बदलने से नए खण्ड बनते हैं जो वन क्षरण को और बढ़ा देते हैं।

आगे की राह

- राज्य और स्थानीय स्तर पर उक्त अधिनियम का योजनागत कार्यान्वयन वन भूमि और जैव विविधता के नुकसान के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी है तथा चूंकि इसके लिए राज्य स्तर पर एक बड़ी राशि प्रयोग की जा रही है अतः इसकी समयबद्ध निगरानी भी अत्यावश्यक है।
- इसके द्वारा हमारे INDCs में संकेतित 2.5 अरब टन कार्बन सिंक की प्राप्ति तथा 33 प्रतिशत वन कवर बढ़ाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

7.2. रोआनू चक्रवात

(Cyclone Roanu)

यह क्या है?

- रोआनू चक्रवात इस चक्रवाती मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।
- इसकी उत्पत्ति श्रीलंका के पास सशक्त अवदाब के क्षेत्र में हुई। यह भारतीय तट के काफी नजदीक से गुजरा और अंत में बांग्लादेश के तट से टकराया।
- इसके कारण श्रीलंका में भारी वर्षा, बाढ़ की घटनाएँ, भूस्खलन और मृदा-स्खलन हुआ। यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे भारत के तटीय प्रदेशों में भी मूसलाधार बारिश का कारण बना।

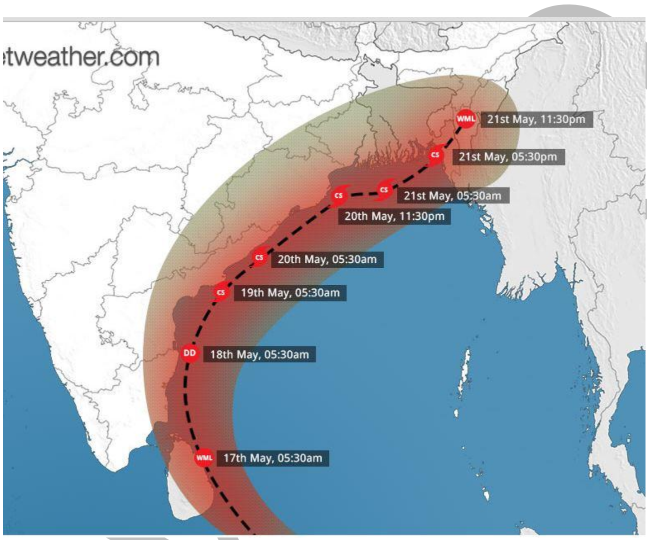

- बांग्लादेश में यह तूफानी तरंगों और भारी बाढ़ का कारण बना।
- इसके परिणामस्वरूप श्रीलंका और बांग्लादेश में कई लोगों की मृत्यु हुई और कई व्यक्ति लापता हो गए।

प्रभाव

- श्रीलंका एवं बांग्लादेश में कई गरीब परिवार अपनी कीमती संपत्ति जैसे - आवास, भोजन, फसलें एवं जरूरी मवेशियों से वंचित हो गए।
- जल संसाधनों के क्षतिग्रस्त होने तथा सतही जल के प्रदूषित होने के कारण साफ़ पानी तक पहुँच समाप्त हो गयी है।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सामग्रियों की आपूर्ति सीमित हो गयी जिससे वाहक जनित रोगों यथा मलेरिया तथा जल जनित रोगों जैसे डायरिया की स्थितियां उत्पन्न हुई।
- हालाँकि यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो इसकी वजह से ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना तथा तमिलनाडु में गर्मी से राहत मिली।

इस प्राकृतिक संकट से कैसे निपटा गया -

तैयारी

- तीनों देशों के संकटग्रस्त क्षेत्रों को बाढ़ तथा भूस्खलन की पूर्वसूचना दी गयी।
- बलों और कर्मियों का एकत्रीकरण- उदाहरण के लिए: चेन्नई के निचले इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों की 4 टीमें तैनात कर दी गईं।
- मछुआरों और ट्रॉलरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया।
- बांग्लादेश के निचले इलाकों में चक्रवात द्वारा भूस्खलन होने के कारण अधिकारियों ने लगभग 5 लाख लोगों को आश्रयस्थलों में स्थानांतरित कर दिया।
- भारतीय नौसेना ने INS सुनयना तथा INS सतलज द्वारा बाढ़ पीड़ित श्रीलंका को राहत सामग्री की आपूर्ति की।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं?

- ये इंटेंस डेप्रेशन्स हैं जिनका केंद्रीय दाब काफी कम होता है।
- सामान्यतः इनके केंद्र में बादल अनुपस्थित होते हैं। यह उष्ण केंद्रीय भाग चक्रवात की आँख(eye of cyclone) कहलाता है। इसके इर्द-गिर्द भारी मात्रा में बादल, तेज वर्षा तथा विनाशकारी हवाएं पाई जाती हैं।
- आई-वॉल और रेन-बैंड क्षेत्र में गर्म समुद्री जल की गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होती है। यह समूचे तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत की भांति कार्य करती है। यही कारण है की समुद्र से दूर होने पर इनकी तीव्रता कम होती जाती है तथा धीरे धीरे ये समाप्त हो जाते हैं।
- इन्हे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों यथा हरिकेन(कैरिबियन), साइक्लोन(हिंद महासागर), टाइफून (चीन सागर), तथा विली- विली(ऑस्ट्रेलिया) से जाना जाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कहाँ होता है ?

- वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं जहाँ समुद्र का जल इतना गर्म होता है(>27 C)कि चक्रवात को गुप्त ऊष्मा प्राप्त हो सके।
- गर्म समुद्री जल की उपस्थिति के बाद भी ये भूमध्य रेखा के पास निर्मित नहीं होते हैं। इसका कारण विषुवतीय क्षेत्रों में कम कोरिओलिस बल है। कोरिओलिस बल की वजह से हवाएं कम वायुदाब वाले केंद्र की ओर चलने लगती हैं।
- ये चक्रवात विषुवतीय गर्त(equitorial trough) के समीप अधिक मात्रा में निर्मित होते हैं और इसी कारण हिन्द महासागर में चक्रवात के दो पीक सीजन होते हैं -मई और सितम्बर।

VISION IAS

इनका मापन कैसे होता है ?

- केंद्रीय भाग -चक्रवात की आँख से हवा की गति अधिकतम 15-20 kms होती है।
- हवाओं की यह गति तीव्रता मापन हेतु प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए -IMD स्केल के आधार पर चक्रवाती तूफ़ान का वेग 62-88 किमी प्रति घंटा होता है।

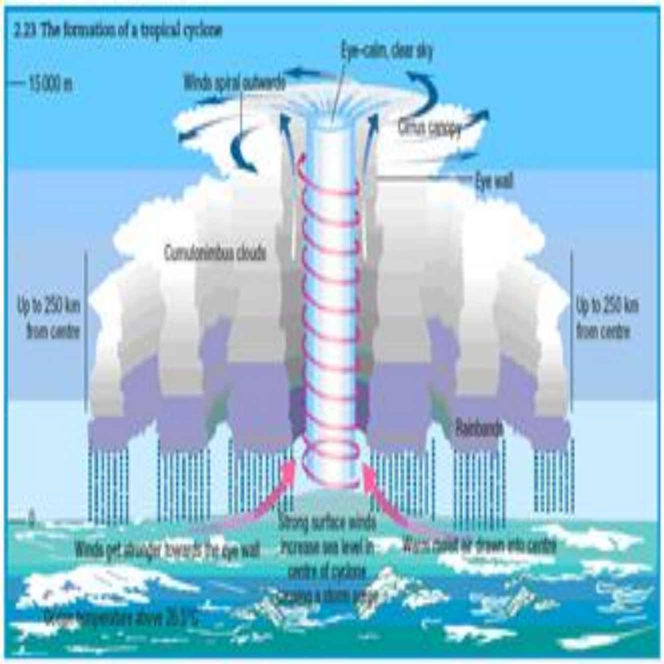

7.3. एशियाई जलपक्षी गणना के आंकड़े

(Asian Waterbird Census Data)

- एशियाई जलपक्षी गणना (AWC) एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हर वर्ष जनवरी में होती है।
- यह अफ्रीका, यूरोप आदि में अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना (IWC) के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समानांतर चलता है।
- भारत में यह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) द्वारा वेटलैंड्स इंटरनेशनल के सहयोग से समन्वित किया जाता है।भारत में जलपक्षी गणना 1987 में शुरू हुई ।

जलपक्षी गणना के उद्देश्य

- इस गणना के आकड़ों का उपयोग अधिकांश प्रजातियों के गैर-प्रजनन काल (जनवरी) के दौरान वार्षिक आधार पर जलपक्षियों की संख्या की जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी आबादी की निगरानी करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इन आकड़ों का उपयोग उनके आवासों के मूल्यांकन के लिए एक आधार के रूप में भी किया जाता है।
- आर्द्रभूमि की स्थिति और अवस्था की वार्षिक निगरानी के लिए
- लोगों के बीच जलपक्षी और आर्द्रभूमि के बारे में रूचि पैदा करने और इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए।

जलपक्षियों के बारे में

- जलपक्षियों को पक्षियों की उन प्रजातियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पारिस्थितिक रूप से आर्द्रभूमि पर आश्रित रहते हैं।
- ये पक्षी किसी आर्द्रभूमि के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचक हैं।

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय जलपक्षी गणना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही यह दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला जैव विविधता निगरानी कार्यक्रम बन गया है।
- केरल के आर्द्रभूमि पक्षियों से संबंधित 27 वर्ष की अवधि में किये गए पर्यवेक्षणों को जारी किया गया। यह प्राकृतिक इतिहास में पहली देशव्यापी नागरिक विज्ञान गतिविधि है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या में वृद्धि देखी गयी है। जैसे - चित्रित सारस, एशियाई ओपनबिल, यूरेशियन स्पूनबिल, भारतीय स्पॉटबिल्ड बत्तख, एशियाई वूलेनेक, स्पॉट बिल पेलिकन आदि।
- पक्षियों के दस समूहों में उनकी संख्या में तीव्र कमी देखी जा रही है।
- केरल में 4 रामसर स्थल हैं - सस्थामकोट्टा झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाद झील और कोल आद्रभूमि।

वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में

- वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष1937 में 'International Wildfowl Inquiry' के नाम से एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गयी था। इसका मुख्यालय **नीदरलैंड** में है।

7.4. संगाई ब्रो–ऐन्ट्लर्ड डियर

(Sangai Brow-Antlered Deer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिकों को संगाई की घटती संख्या के कारण इसको दूसरा वासस्थल उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है।

संगाई के बारे में

- **संगाई स्थानिक, दुर्लभ और अति संकटग्रस्त** ब्रो-ऐन्ट्लर्ड हिरण की **एक उप प्रजाति है**। यह केवल मणिपुर में पाया जाता है।
- **यह मणिपुर का राजकीय पशु भी है।**
- इसका वासस्थल लोकटक झील में तैरते बायोमास पर अवस्थित केइबुल लामजाओ आर्द्रभूमि तक सीमित है। इस तैरते बायोमास को स्थानीय भाषा में 'फुम्डी' (phumdi) कहा जाता है।
- संगाई जब तैरते बायोमास पर चलता है तो प्रायः अपने को संतुलित करता है जिससे यह हरी घास पर नृत्य करता हुआ

VISION IAS

प्रतीत होता है। इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से **मणिपुर का नृत्य करने वाला हिरण (dancing deer)** कहा जाता है।

- IUCN द्वारा इसे विलुप्तप्राय (इन्डैन्जर्ड) श्रेणी में रखा गया है लेकिन यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के 'रिकवरी प्रोग्राम फॉर **क्रिटिकली इन्डैन्जर्ड** स्पीशीज एंड हैबिटैट' का भाग है।

संगाई की घटती संख्या का कारण

- कृत्रिम जलाशय और बांध के निर्माण के कारण जल व्यवस्था में बदलाव आया है। इसके परिणामस्वरूप फुम्डी हल्का हो रहा है जिससे यह हिरणों का वजन सहन करने में असमर्थ है।
- मुख्य रूप से फुम्डी के लगातार तैरते रहने के कारण इनको आश्रय प्रदान करने वाले पौधों के विकास के अवरुद्ध होने ने संगाई को शिकार के प्रति सुभेद्य बना दिया है।

संबंधित जानकारी

- **मणिपुर राज्य के वन विभाग द्वारा इसे विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से** संगाई हिरण के एक वर्ग को स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। इनका स्थानान्तरण पुम्लेन पाट (Pumlen Pat) में किया जायेगा जो इसके वर्तमान आवास से नजदीक स्थित है।
- लोकटक झील भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों में से एक है।
- केइबुल लामजाओ भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
- फुम्डी एक प्रकार की मिश्रित वनस्पति हैं जो जैविक पदार्थों और मृदा के संचय से निर्मित 'फ्लोटिंग बायोमास' है।

निम्नलिखित में से कौन सा नैशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावमन(फ्लोटिंग) वनस्पति से युक्त अनूप(स्वैम्प) होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? (2015)

(a) भीतरकणिका नैशनल पार्क

(b) केइबुल लाम्जाओ नैशनल पार्क

(c) केवलादेव घाना नैशनल पार्क

(d) सुल्तानपुर नैशनल पार्क

7.5. नदियों की इंटरलिंकिंग: प्रमुख आंकड़े

(Interlinking of Rivers: Data)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सूखा और सिंचाई से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु नदियों को आपस में जोड़ने का सुझाव दिया गया है।
- हाल ही में सरकार ने भी इन नदियों को जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

इंटरलिंकिंग के पक्ष में आंकड़े :

- नदियों में व्यापक अंतर-द्रोणी असमानता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मपुत्र द्रोणी प्रतिवर्ष लगभग प्रति व्यक्ति 13000 क्यूबिक मीटर जल उपलब्धता की क्षमता रखती है जबकि वहीं माही नदी में प्रति व्यक्ति 260 क्यूबिक मीटर जल की कमी पाई जाती है।
- यह 220 मिलियन भारतीयों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को बढ़ा सकता है।
- इस परियोजना से प्राप्त अतिरिक्त जल से आंध्र प्रदेश के क्षेत्रफल से दोगुना क्षेत्र सिंचित किया जा सकेगा।

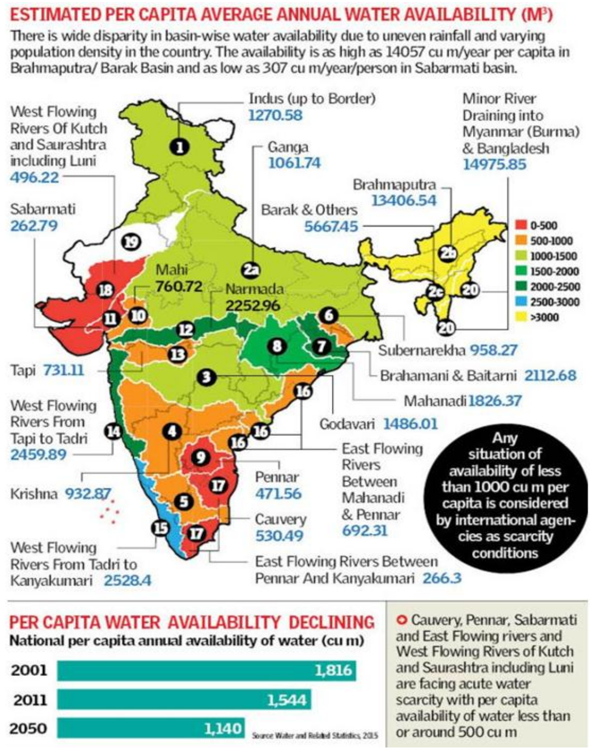

इंटरलिंकिंग के विरोध में आंकड़े :

- भूमि के 27.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के डूबने के कारण लगभग 15 लाख लोगों के विस्थापित होने की संभावना है।
- सरकार को लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी।
- पर्यावरणीय प्रभाव: समुद्र में पहुंचने वाले जल की मात्रा में कमी आएगी। उदाहरण के लिए -कृष्णा नदी के बेसिन में बड़े और मध्यम जलाशयों में जल भंडारण के चलते कम वर्षा वाले वर्षों में कुल जल उपलब्धता इतनी कम हो जाती है कि समुद्र तक पहुँचने वाले जल की मात्रा ना के बराबर रह जाती है।
- गंगा की स्थलाकृति समतलीय है अतः बांध नदी प्रवाह में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे परन्तु मानसूनी तथा हिमालयी वनों पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव आगे भी होता रहेगा।
- दाता-बेसिन पर उपलब्ध अतिरिक्त जल हमेशा रहे ये जरुरी नहीं है। संभव है कि ग्लेशियरों के पिघल जाने पर बारहमासी हिमालयी नदियां अपने स्थायी स्रोत से वंचित हो जाएँ।

आगे की राह

- इतनी बड़ी परियोजनाओं के पहले, उपस्थित जल संसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा मांग में कटौती जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

- नहर के जल का न्यायोचित उपयोग, उपयुक्त फसल पैटर्न, ड्रिप सिंचाई की तरह कुशल सिंचाई तंत्र तथा पारंपरिक प्रणालियों यथा जलाशयों के उपयोग को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

(नदी जोड़ो परियोजना की विस्तृत जानकारी के लिए विज़न करंट अफेयर्स का अप्रैल अंक देखें)

7.6. केन-बेतवा संपर्क का बाघ जनसंख्या पर प्रभाव

(Impact of Ken-Betwa Link on Tiger Population)

पृष्ठभूमि

- केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना का उद्देश्य भीषण सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचित करना है।
- इसमें 288 मीटर दौधाम बांध का निर्माण और केन नदी बेसिन के अधिशेष जल को बेतवा नदी बेसिन में स्थानांतरित करना शामिल है।
- इससे पन्ना बाघ रिज़र्व के 4300 हेक्टेयर क्षेत्र में से 400 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसका परिणाम बाघों की आबादी के लिए खतरनाक हो सकता है और बाघों को इस परिवर्तन से समायोजन करना पड़ सकता है।
- सम्बद्ध गतिविधियों जैसे कि निर्माण, विद्युत घरों आदि के कारण इस परियोजना का वास्तविक प्रभाव क्षेत्र और अधिक हो जाएगा।
- वन्यजीव विशेषज्ञों के एक दल ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- परियोजना की पुष्टि किये बिना अथवा अस्वीकृत किये बिना,पैनल ने सरकार को दो बातें सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है –

✓ प्रस्तावित नहर से बाघों की आवाजाही में बाधा नहीं आनी चाहिए;

✓ टाइगर रिजर्व की भूमि के नुकसान की भरपाई करने के लिए आवास योग्य पर्याप्त वन भूमि का विकास किया जाना चाहिए।

परियोजना का लाभ

- नया जलीय क्षेत्र शाकाहारियों को आकर्षित करेगा और इस प्रकार इस प्रदेश में अतिरिक्त शिकार और मृत शरीर का होना बाघों और गिद्धों के लिए लाभदायक हो सकता है।
- क्षेत्र की हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। वन क्षति क्षेत्र से दुगुने वैकल्पिक वन क्षेत्र को उस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पति के पुनर्भरण द्वारा विकसित किया जायेगा।
- मानव जाति के लिए लाभ व्यापक हैं – 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त जल लगभग प्रदेश के 70 लाख लोगों की मदद करेगा।

पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र के बारे में

- मध्य प्रदेश में अवस्थित
- अपने बाघ संरक्षण कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा उल्लेखनीय रहा है। बाघ रिज़र्व में बाघों की संख्या 2006 के 25 से तेजी से गिरकर 2009 में शून्य हो गयी। इसके पश्चात अलग से संरक्षण प्रयास किये गए जिसमें बाघों का स्थानांतरण भी शामिल है। इसके कारण बाघों की संख्या वर्तमान में बढ़कर 18 हो गई है।
- 2011 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र (बायो स्फीयर रिज़र्व) का दर्जा प्रदान किया गया।

हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने दो नदियों के जोड़ने से सम्बंधित लिंक प्रोजेक्ट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। ये दो नदियां कौन कौन सी हैं ?
(UPSC 2006)
(a) बेतवा और चम्बल
(b) बेतवा और केन
(c) चम्बल और सोन
(d) केन और नर्मदा

7.7. तटीय प्रबंधन पर रिपोर्ट

(Report on Coastal Management)

- हाल ही में, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने तटीय प्रबंधन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को जारी करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट जनवरी 2015 से लंबित है।

पृष्ठभूमि

- 1991में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 के तहत प्रथम तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की अधिसूचना जारी की गयी।
- इसने केंद्र सरकार को भारतीय समुद्र तटीय पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने की शक्तियां प्रदान कीं।
- 2014 में, मंत्रालय ने विभिन्न तटीय राज्यों द्वारा वर्ष 2011 की तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए **शैलेश नायक** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

तटीय विनियमन क्षेत्र के बारे में

- CRZ अधिसूचना के अनुसार, उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 500 मीटर तक तटीय भूभाग और ज्वारीय उतार-चढ़ाव के सीमा क्षेत्र में आने वाले क्रीक, ज्वारनदमुख, पश्च जल और नदियों के तट से 100 मीटर तक के क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) कहा जाता है।
- यह तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तटीय हिस्सों और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण करता है। यह तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संकटों और समुद्र तल में वृद्धि के

VISION IAS

खतरे को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को बढ़ावा देता है।

7.8. हिमालयी भूरा भालू कारगिल में देखा गया

(Himalayan Brown Bear Spotted in Kargil)

- हाल ही में आठ हिमालयी भूरे भालूओं के एक समूह को लद्दाख के द्रास सेक्टर में देखा गया था।
- इससे पहले, 1999 का कारगिल युद्ध उनके आवास विनाश का महत्वपूर्ण का कारण बना था।
- वर्षों से इस क्षेत्र में कोई कोई हिमालयी भालू नहीं देखा गया था।

हिमालयी भूरे भालू के बारे में

- यह हिमालयी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तनपायी है।
- आवास विनाश और मानवीय अत्याचार के कारण IUCN की रेड लिस्ट में अति संकटापन्न (Critically endangered) श्रेणी में रखा गया है।

लद्दाख क्षेत्र में वन्य जीवन

- तिब्बती मृग (Tibetan Antelope) और हिम तेंदुए (Snow Leopard) संकटापन्न (endangered) प्रजातियाँ हैं।
- हिमालय ब्लू भेड़ (Himalayan Blue Sheep) तिब्बती जंगली गधा और आईबेक्स (Ibex) इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव हैं।

7.9. गेहूँ ब्लास्ट

(Wheat Blast)

गेहूँ ब्लास्ट के बारे में

- गेहूं ब्लास्ट एक कृषि रोग है जिससे प्रभावित क्षेत्रों में 75 प्रतिशत से अधिक उपज का नुकसान हो सकता है। साथ ही यह प्रभावित क्षेत्र को वर्षों के लिए गैर-कृषि योग्य बना देता है।
- यह 'Magnaporthe oryzae' कवक के कारण होता है जो राइस ब्लास्ट का भी कारण होता है।
- यह गर्म और उमस भरे मौसम में पनपता है।
- इसकी पहचान पहली बार ब्राजील में 1985 में की गयी और तब से अब तक दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों में फैल गया।

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- यह रोग हाल ही में बांग्लादेश के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। यह आयात और हवा आदि के माध्यम से भारत में प्रवेश कर सकता है।
- हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी संभावना कम है क्योंकि-

✓ भारत के विस्तृत गेहूँ उत्पादन क्षेत्र देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में है

✓ भारत गेहूँ उत्पादन में आत्मनिर्भर है और इसे गेहूँ आयात करने की आवश्यकता नहीं है।

✓ भारत की संगरोध (quarantine) सुविधा बांग्लादेश की तुलना में ज्यादा मजबूत है

- यदि भारत में खतरा उत्पन्न होता है तो सीमावर्ती राज्यों को गेहूँ नहीं उगाने का निर्देश दे कर उपाय किया जा सकता है।

7.10 दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं है

(Delhi Not The World's Most Polluted City)

- वैश्विक शहरी परिवेश वायु प्रदूषण डाटाबेस (2016 में अद्यतन) डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार दिल्ली अब दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर नहीं है।
- दिल्ली को 103 देशों के 3,000 शहरों की सूची में PM 2.5 के सन्दर्भ में 11वें स्थान पर और PM 10 के संदर्भ में 25वें स्थान पर रखा गया है।
- ईरान के ज़ाबोल शहर को दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ग्वालियर और इलाहाबाद इन मानको पर जाबोल के करीबी हैं। पटना और रायपुर वैश्विक शीर्ष 10 शहरों में शामिल हैं।

विविक्त कण(PARTICULATE MATTER) के बारे में

- यह हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण के लिए प्रयुक्त शब्द है।
- इसमें समाविष्ट हैं
- 'श्वसनयोग्य मोटे कण(inhalable coarse particle), जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा और 10 माइक्रोमीटर (PM 10) से कम हो; तथा
- 'महीन कण(fine particle), जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर और उससे छोटा (PM 2.5) हो
- वे दो तरह से बनते हैं-
- प्राथमिक कण; किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं जैसे निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत, चिमनी या आग में से।
- माध्यमिक कण; वातावरण में हो रहीं जटिल अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न। जैसे: विद्युत् संयत्र,उद्योगों और ऑटोमोबाइल्स से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड।
- विविक्त कणों से अस्थमा, दिल का दौरा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वाँस संबंधी समस्याएँ शुरू होती हैं या और गम्भीर हो जाती हैं। विविक्त कणों के संपर्क में रहने की परिणति हृदय और फेफड़ों की बीमारी से अकाल मृत्यु के रूप में होती है।

7.11. भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016

(India Biodiversity Awards 2016)

भारत जैव विविधता पुरस्कार के बारे में

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक संयुक्त पहल है।

VISION IAS

- यह जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में और जैव विविधता शासन में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न श्रेणी के हितधारकों को मान्यता प्रदान करता है।

2016 के पुरस्कारों के उल्लेखनीय विजेता

- Nature Conservation Founder और घोर-आभे समाज को, पक्के बाघ आरक्षित (pakke tiger reserve) में Hornbill Nest Adoption Programme शुरू करने के लिए प्रदान किया गया।
- ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी के संरक्षण के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन और हर्गिल्ला आर्मी को प्रदान किया गया।
- Mawkyrnot SHG को Mawkyrnot, मेघालय में 52 फुट लम्बे जीवित जड़ों पुल के सतत उपयोग के लिए प्रदान किया गया।
- उत्तराखंड में दुधई जैव विविधता प्रबंधन समिति को अवैध रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने और नदी पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदान किया गया।

पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में

- यह अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है।
- यह पहले पाखुई (Pakhui) टाइगर रिज़र्व के रूप में जाना जाता था।
- यह असम के नामेरी नेशनल पार्क तथा सेस्सा(sessa)आर्किड अभयारण्य और अरुणाचल प्रदेश में ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य के निकट है।
- यह पक्के नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों भरेली/कामेंग नदी के बीच स्थित है।

UPSC 2015

भारत के एक विशेष क्षेत्र में, स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुज़रता है, ये पुल और अधिक मज़बूत होते जाते हैं। ये अनोखे 'जीवित जड़ पुल' कहाँ पाए जाते हैं?

(a) मेघालय
(b) हिमाचल प्रदेश
(c) झारखंड
(d) तमिल नाडु

7.12. भारतीय जंगली संतरे

(Indian Wild Orange)

- यह नींबू की मूल भारतीय प्रजाति है।इसका वैज्ञानिक नाम 'citrus indica' है।
- यह नींबू वंश की सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। इसके विश्व के सभी साइट्रस फलों के पूर्वजों में से एक होने की संभावना है।
- यह एक संकटापन्न(endangered)प्रजाति है जिसके लिए विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु की आवश्यकता होती है।
- नोक्रेक बायो-स्फीयर रिज़र्व इस प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण स्थल है।
- इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा स्लैशऔर बर्न कृषि (झूमिंग) गतिविधियों के कारण होने वाला आवास विनाश है।

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- पहले यह केवल मेघालय के गारो पहाड़ी पर पाया जाता था जहाँ इसे स्थानीय नाम 'Biurengthai' कहा जाता था। गारो लोगों द्वारा इसका प्रयोग औषधि और आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- हालांकि वर्तमान में यह मणिपुर में भी पाया जाता है जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में Diolong कहा जाता है।

7.13. अंटार्कटिका के आसपास बढ़ते समुद्री जल आवरण के कारण

(Reasons for Rising Sea Cover Around Antarctica)

- हाल ही में किये गए अध्ययन पृथ्वी के दो ध्रुवों की ठीक विपरीत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अंटार्कटिका के आसपास समुद्री जल आवरण बढ़ रहा है, वहीं आर्कटिक सागर में समुद्री बर्फ पिघल रही है।
- नासा के नेतृत्व में हुए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि इस विषम स्थिति का कारण अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर(Southern Ocean) के भूविज्ञान में निहित है।

अध्ययन क्या कहता है-

- **अंटार्कटिक क्षेत्र में दो विशिष्ट भूवैज्ञानिक कारक अपनी भूमिका निभा रहे हैं:**

✓ अंटार्कटिका की स्थलाकृति हवाओं के प्रवाह को प्रभावित कर रही है,

✓ भूभाग के चारों ओर की समुद्र की गहराई सागरीय धाराओं के संचलन को प्रभावित कर रही है।

- ये दोनों बारी-बारी से अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ कवर के गठन की प्रक्रिया और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं।

यह कैसे होता है?

- सागरीय हिम के निर्माण के मौसम की शुरुआत में हिम का गठन होता है और यह हिम की परत जम जाती है।
- बाद में हवाओं के कारण यह बर्फ उत्तर की ओर अपतटीय दिशा में धकेल दी जाती है जिससे पुरानी बर्फ की एक मोटी चादर का निर्माण होता है जो सुरक्षा कवच की तरह व्यवहार करती है और महाद्वीप के आसपास परिसंचरण करती है।
- महाद्वीप की ढलान की ओर नीचे की दिशा में लगातार बह रही हवाएँ बर्फ की इस चादर के ऊपर बर्फ की और परतें चढाने में मदद करती है जिससे इसकी मोटाई बढती जाती है।
- बर्फ की यह मोटी पट्टी नई जमी हुई पतली परत के कारण सुरक्षित रहती है तथा हवाओं अथवा तरंगों का इस पर कम प्रभाव पड़ता है।
- जैसे-जैसे सागरीय हिम कवर का विस्तार होता है, यह बर्फ महाद्वीप से बह कर दूर निकल जाती है जिससे सागरीय हिम का तीव्र प्रसरण करने वाली 'आइस फैक्ट्रीज़' का निर्माण होता है।

7.14. भारत ई-अपशिष्ट का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक

(India Is 5th Largest Producer of E-Waste)

- भारत विश्व में ई-अपशिष्ट का पाचवां सबसे बड़ा उत्पादक है। एसोचेम-KPMG द्वारा किये गए संयुक्त अध्ययन से पता चला है कि प्रत्येक वर्ष भारत से लगभग 18.5 लाख मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट निकल रहा है।
- इस अपशिष्ट में 12 प्रतिशत अकेले केवल दूरसंचार क्षेत्र का योगदान है। प्रतिवर्ष लगभग 25 प्रतिशत मोबाइल उपयोग से बाहर हो कर ई-अपशिष्ट के रूप में बदल रहे हैं।

7.15. भारत में प्रवाल पर ऊष्णता तनाव(थर्मल स्ट्रेस) का प्रभाव

(Impact Of Thermal Stress On Corals In India)

- लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवाल विरंजन होने की सूचना मिल रही है।
- यह मुख्य रूप से अप्रैल में समुद्र सतह तापमान (एसएसटी) में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न उष्णता तनाव की वजह से है।
- एसएसटी 32 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक रेंज में था, लेकिन यह बंगाल की खाड़ी में बारिश के कारण नीचे आ गया। जब एसएसटी 20-32 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तभी कोरल जीवित रह सकते हैं।
- लक्षद्वीप में, प्रवाल विरंजन की घटना कावारती, अगाती और बंगारम के द्वीपों के आसपास देखी गयी थी। लेकिन यह खतरनाक स्तर तक नहीं पहुँचा था।

7.16. मिशन इनोवेशन

(Mission Innovation)

MI वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक साझा प्रयास है। 20 देशों के नेताओं द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP 21 के दौरान इसकी घोषणा की गई थी।

- यह निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए प्रयासरत है:
- स्वच्छ ऊर्जा किफायती बनाने के लिए
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए
- हरित प्रयास संबंधी नौकरियों और वाणिज्यिक अवसर पैदा करने के लिए
- इसमें भाग लेने वाले देशों के स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास निवेश को दोगुना करना शामिल है
- यह समय से आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने का उद्देश्य रखता है
- भारत संचालन समिति का एक संस्थापक सदस्य और दो उप समूहों: संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी, का सदस्य है।

7.17. पैकेज्ड ब्रेड में कैंसर पैदा करने वाले रसायन

(Cancer Causing Chemicals In Packaged Bread)

सेंटर ऑफ़ साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के अध्ययन की विशेषताएँ

- ब्रेड निर्माता ब्रेड में पोटैशियम ब्रोमेट और पोटैशियम आयोडेट का उपयोग कर रहे हैं जिसका स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- पोटैशियम ब्रोमेट का प्रभाव- इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) इसे 2B वर्ग में वर्गीकृत करता है अर्थात यह संभाव्य कैंसरकारी है।
- पोटैशियम आयोडेट का प्रभाव- इससे आयोडीन का अधिक सेवन हो सकता है जो थायराइड के कार्य को प्रभावित कर सकता है।

क्या निर्माताओं ने मानदंडों उल्लंघन किया?

भारत में ब्रेड, आटा,परिष्कृत आटा में निश्चित स्तर तक उपयोग की अनुमति है, और CSE के अध्ययन के अनुसार किसी ब्रेड निर्माता ने इस सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

अंतर्राष्ट्रीय मानदंड

- पोटैशियम ब्रोमेट- EU और चीन में प्रतिबंधित लेकिन अमेरिका में अनुमति प्राप्त है।
- पोटैशियम आयोडेट- EU, UK, ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंधित।

अध्ययन पर प्रतिक्रिया

FSSAI ने अपने निर्णय में पोटैशियम ब्रोमेट को अनुमति प्राप्त योगजों (परमिटेड ऐडिटिव) की सूची से हटाने की घोषणा की है। प्रतिबन्ध की अधिसूचना जल्द ही लाई जाएगी। पोटेशियम आयोडेट के उपयोग को प्रतिबंधित करने से पहले यह पोटेशियम आयोडेट के विरुद्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

आल इंडिया ब्रेड मेकर्स एसोसिएशन ने स्वैच्छिक रूप से इसका उपयोग बंद करने और सुरक्षित विकल्पों यथा एस्कॉर्बिक एसिड, एन्जाइम्स और इमल्सिफायर के उपयोग का निर्णय लिया है।

7.18 यमुना को साफ करने के लिए सीचेवाल मॉडल

(Seechewal Model To Clean Yamuna)

- इस मॉडल का नामकरण पर्यावरण कार्यकर्ता बलबीर सिंह सीचेवाल के नाम पर किया गया है।
- उन्होंने पंजाब में काली बेन नदी (ब्यास नदी की एक छोटी सहायक नदी) को पुनर्जीवित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।
- यह विधि लागत प्रभावी है और इसमें सरल तरीके शामिल हैं।
- विकेन्द्रीकृत प्राकृतिक उपचार प्रणाली - तालाब का ऑक्सीकरण और टैंक बनाया जाना
- जलप्लावित सामग्री को हटाने वाली प्रक्रियाओं का प्रयोग
- पानी के प्रवाह का रख-रखाव, जो नदी द्वारा आत्म शुद्धि सुनिश्चित करता है

> इसका सिख धर्म में महान ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु नानक देव को 15 वीं सदी में बेन गाँव में ज्ञान प्राप्ति हुई थी।

VISION IAS

7.19. हंगुल विलुप्त हो सकता है

(Hangul May Go Extinct)

हंगुल जिसे कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, एक संकटापन्न (endangered) प्रजाति है। यह मुख्य रूप से श्रीनगर के दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।

7.20. ताजमहल का रंग हरा हो रहा है

(Taj Mahal Turns Green)

- कीट Geoldichironomus (Chironomus calligraphus) द्वारा मल के त्याग और गंदगी के कारण ऐतिहासिक स्मारक ताज महल का रंग हरा हो रहा है।
- यमुना नदी में सीधे अपशिष्ट प्रवाह के कारण इसका बहाव प्रभावित हुआ है, जिसके कारण इन कीटों की संख्या नियंत्रित रखने वाली मछलियों की संख्या घट रही है।
- इसकी परिणति इन कीटों के 'विस्फोटक प्रजनन' के रूप में हुई है। यह स्थानिक जल प्रदूषण और जल की गुणवत्ता का जैविक संकेतक है।

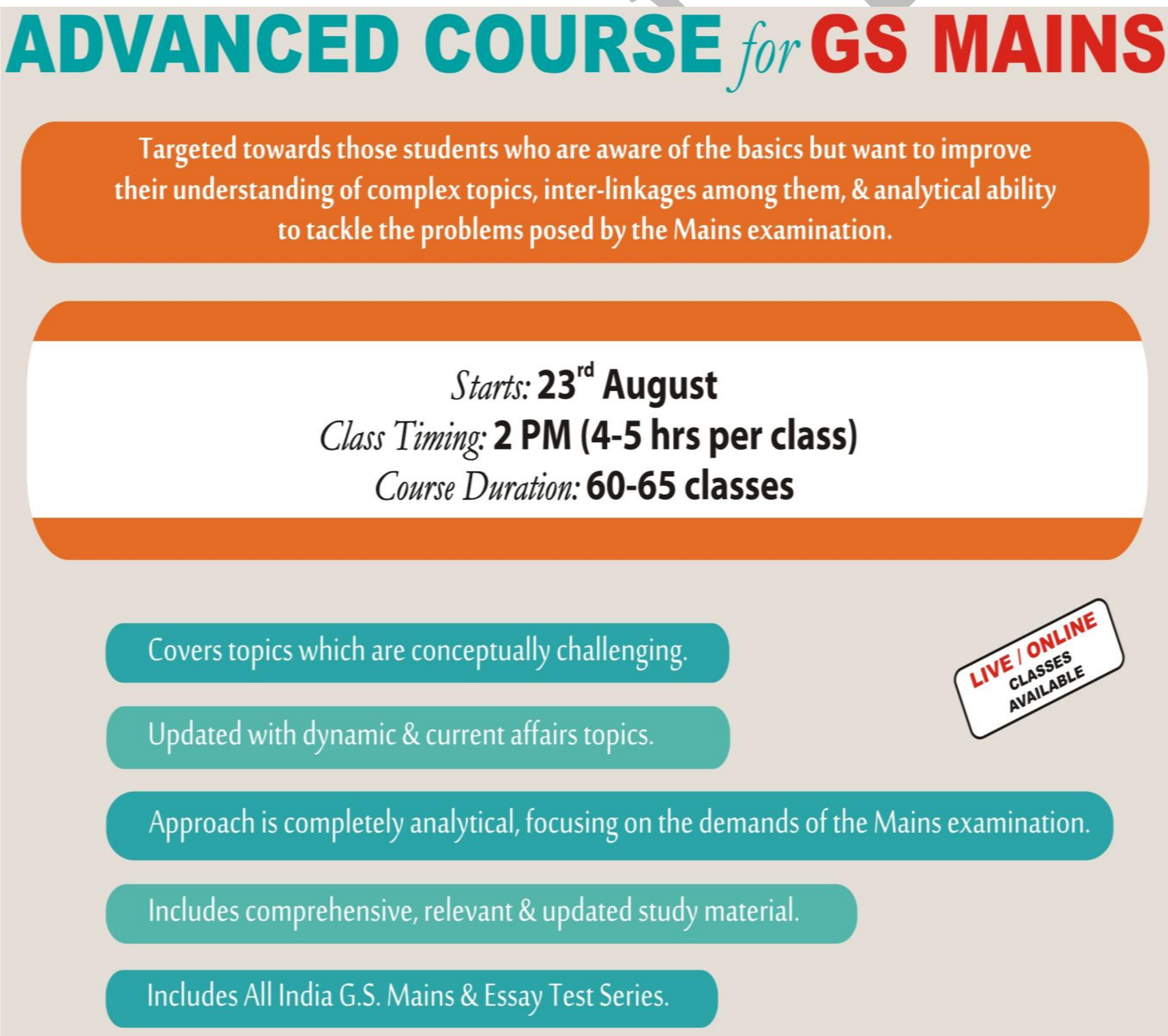

8. संस्कृति

CULTURE

8.1. 'पंक महल' का जीर्णोद्धार

('Mud Palace' To Get a Makeover)

- 500 वर्ष पुराने अद्वितीय पंक महल के एक भाग की मरम्मत का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है।
- यह महल कर्नाटक के उदुप्पी के पास सुरल गाँव में अवस्थित है।

महल की अद्वितीयता

- इसकी कोई नींव नहीं है और इंटरलॉकिंग विधि के प्रयोग द्वारा लकड़ी के खंभो के सहारे खड़ा है ।
- इसके निर्माण में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया गया था।
- यह महल जैन सरदार तुलु जैन थोलाहार्स के खानदान से सम्बंधित है जिन्होंने 400 वर्षों के लिए 17 वीं सदी के अंत तक उडुपी जिले के कुछ हिस्सों पर शासन किया था।

जीर्णोद्धार

- अभी इसके केवल एक हिस्से की मरम्मत मंजूर की गई है।
- मरम्मत का कार्य 'निर्मिति केंद्र' द्वारा 1.6 करोड़ रु की लागत द्वारा किया जा रहा है जिसे कन्नड़ और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुरातत्व, संग्रहालय और विरासत विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है |
- इस मरम्मत के कार्य से तटीय कर्नाटक की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढेगी।

8.2. महाबोधि मंदिर

(Mahabodhi Temple)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में श्रीलंका में वेसक पोया त्योहार के दौरान, महाबोधि मंदिर के मॉडल के अनुरूप एक लालटेन का निर्माण किया गया था और कोलंबो में इसे गंगारमाया मंदिर के पास प्रदर्शन के लिए रखा गया था।

महाबोधि मंदिर के बारे में

- यह बिहार के बोधगया में अवस्थित है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
- यह पूर्वी भारत की सबसे पुरानी ईंट से निर्मित संरचनाओं में से एक है। यह सदियों से ईंट द्वारा निर्मित वास्तुकला के विकास को प्रभावित करता आया है।
- पहला मंदिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। हालांकि, वर्तमान मंदिर 5-6 वीं शताब्दी का है जो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है।
- 2002 में यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया।

वेसाक के बारे में

- वेसाक पोया, अर्थात बुद्ध पूर्णिमा एवं बुद्ध दिवस, एक अवकाश है जिसे दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में अलग अलग दिनों पर बौद्धों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है।
- यह गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान (निर्वाण) और मृत्यु (परिनिर्वाण) की स्मृति में थेरवाद या दक्षिणी परंपरा में मनाया जाता है
- इस उत्सव का नाम अप्रैल-मई में पड़ने वाले हिन्दू कैलेन्डर के वैशाख महीने से प्रेरित प्रतीत होता है।
- इस दिन अनुयायी एकत्रित होकर पवित्र त्रिपिटक की स्तुति में भजन गाते हैं। ये हैं- बुद्ध, धर्म (उनकी शिक्षाएँ), और संघ (उनके शिष्य)

> निम्नलिखित स्थलों / स्मारकों पर विचार करें:
> 1. चंपानेर - पावागढ़ पुरातत्व पार्क
> 2. छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, मुंबई
> 3. मामाल्लपुरम
> 4. सूर्य मंदिर (कोणार्क मंदिर)
>
> उपरोक्त में से जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए है
>
> (यूपीएससी 2005)
>
> (क) 1, 2 और 3
> (ख) केवल 1, 3 और 4
> (ग) केवल 2 और 4
> (घ) 1, 2, 3 और 4

8.3. भारतवाणी पोर्टल का शुभारंभ

(Bharatvani Portal Launched)

यह क्या है ?

- एक बहुभाषायी ज्ञान पोर्टल है।
- इसका लक्ष्य एक पोर्टल के माध्यम से मल्टीमीडिया का प्रयोग कर विभिन्न भारतीय भाषाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करना है।
- यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परियोजना है जिसे लखनऊ से प्रारंभ किया गया है।
- यह केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान(सीआईआईएल) मैसूर द्वारा लागू किया जायेगा।

मुख्य विशेषताएँ

- यह बहुभाषा सीखने, सामग्री और प्रौद्योगिकी के लिए एकल बिन्दु स्रोत(single point source) बनने पर केन्द्रित होगा।
- यह एक समावेशी, संवादात्मक और सक्रिय मंच होगा।
- इसे सभी भारतीय लेखकों, भारत सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा मल्टीमीडिया सामग्री के योगदान द्वारा दुनिया में सबसे बड़े भाषा पोर्टल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।
- इसमें एक मोबाइल एप्लिकेशन आधारित बहुभाषी शब्दकोश भी शामिल होगा।
- पोर्टल 22 अनुसूचित भाषाओं में शुरू किया गया है, और इसे बाद में 100 से अधिक भाषाओं में भी विस्तृत किया जाएगा।

महत्ता

- यह भाषा और डिजिटल डिवाइड को कम कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा।
- यह बिना किसी भेदभाव के तकनीकी विकास के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं की सुरक्षा, संरक्षण और समावेशन किए जाने की दिशा में एक कदम है।
- यह साइबर स्पेस के माध्यम से भारत की भाषाई विविधता और संस्कृति को एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा।
- भारतवाणी में बड़े पैमाने पर उपलब्ध डेटा का लाभ भारतीय भाषाओं में अनुसंधान एवं विकास हेतु उठाया जा सकता है| यह भारतीय भाषाओं, शब्दकोशों, भाषा आईटी उपकरणों और पाठ्य पुस्तकों के बारे में ज्ञान के लिए एक एकल बिंदु ऑनलाइन खिड़की के रूप में कार्य करेगा।
- यह पर्यटन उद्योग, स्किल इंडिया आदि प्रयासों के लिए अत्यधिक सहायक होगा|
- यह लोगों की भागीदारी द्वारा स्वतंत्र ज्ञान आंदोलन(Open Knowledge Movement) की दिशा में एक प्रयास भी है।

8.4. 'का बोम' ड्रम

('Ka Bom' Drum)

- यह मेघालय के खासी समुदाय का एक पारम्परिक ड्रम है।
- पूर्वोत्तर परिषद के 65वें पूर्ण सत्र में मेघालय की अपनी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ड्रम को बजाया।

8.5. नारिकुरावा जनजाति

Narikurava Tribe

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- वे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किये गये है।
- उनमें क्रमिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है जैसे उन्हें अपने समुदाय से पहला इंजीनियर हाल ही में मिला है।
- अनुसूचित जनजाति सूची में उनके शामिल किए जाने से उनके लिए शैक्षिक और रोजगार के नये अवसर खुल जाएँगे। इस वंचित समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए अधिक सकारात्मक कार्रवाई आवश्यक है|

वह कौन हैं ?

- नारिकुरावा तमिलनाडु राज्य का एक समुदाय है।
- यह भारत में सबसे अधिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों में से एक है।

समुदाय के समक्ष

- उनकी परंपरागत आजीविका शिकार है। लेकिन उन्हें जंगलों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था इसलिए वे अपनी आजीविका के लिए मनके वाले गहने बेचने लग गए।
- ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम,1871 के तहत रखा गया था, हालांकि आजादी के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया लेकिन वह लांछन अभी भी है।
- उन्हें तमिलनाडु में सामाजिक न्याय आंदोलन से फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें वहाँ की मातृभूमि की संतान नही माना जाता। उन्हें एक विशिष्ट बोली वागिरिबोली बोलने वाले और महाराष्ट्र से आये हुए प्रवासी माना जाता है|

अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रक्रिया

- इन मानदण्डों में आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय के साथ संपर्क में बड़े स्तर पर शर्म और पिछड़ापन शामिल है |
- अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत निर्दिष्ट किया गया है।
- राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.एस.टी.) की सहमति आवश्यक है |

यूपीएससी 2005

निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है?

(क) भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा न

(ख) पूर्वोत्तर भारत में देश की आधे से अधिक आदिवासी आबादी रह

(ग) टोडा के रूप में पहचाने जाने वाले लोग नीलगिरि क्षेत्र में रहते है

(घ) लोथा नागालैंड में बोली जाने वाली एक भाषा है

8.6. शुल्वसूत्र

(Sulbasutras)

- कई संस्कृत ग्रंथों को सामूहिक रूप से **शुल्वसूत्र** कहा जाता है जिन्हें वैदिक हिंदुओं द्वारा 600 ईसा पूर्व से पहले लिखा गया था। वे उत्तर वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं |
- चार प्रमुख **शुल्वसूत्र** हैं- बौधायन, मानव, अपस्तम्ब और कात्यायन जिनमें बौधायन को सबसे पुराना माना जाता रहा है।
- **शुल्वसूत्र** में शुल्व का अर्थ रस्सी या चेन से है| शुल्व के द्वारा ज्यामितीय निर्माण कार्य किये जाते हैं जिनमें विभिन्न त्रिज्याओं और केन्द्रों वाले चाप बनाये जाते थे।
- ये ग्रंथ कल्पसूत्र वंश के वैदिक परिशिष्ट हैं और इनमें ज्वाला वेदी निर्माण से संबंधित ज्यामिति शामिल है।
- अनुष्ठानों की सफलता के लिए वेदी का मापन अत्यंत सटीक होना चाहिए इसलिए यहाँ गणितीय शुद्धता महत्वपूर्ण हो जाती है।
- ऐसा माना जाता था कि परमेश्वर द्वारा विशिष्ट उपहार प्राप्त करने हेतु विशिष्ट प्रकार की यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाना

VISION IAS

चाहिए। उदाहरण के लिए स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को बाज के आकार की वेदी का निर्माण करवाना चाहिए।

- इतिहासकारों के लिए इस बात का अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि शुल्वसूत्र की गणितीय जानकारी क्या सिर्फ तत्कालीन व्यक्तियों ने यूनानियों के समान सिर्फ अपने लिए रखी थी या फिर यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थी|
- कुछ नियम जैसे एक आयत के समान क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाने के नियम सटीक है लेकिन एक वृत के बराबर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाने के नियम अनुमान पर आधारित है
- अपनी कृति "गणित की उत्पत्ति" में A Seidenberg ने बताया कि प्राचीन बेबीलोन के पास पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान था। यह बहुत ही बुनियादी था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बाद में केवल शुल्वसूत्र में ही उल्लिखित है ।

8.7. पहला राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट

(First National Tourist Circuit)

- पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट को भारत के पहले पार-राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

- बौद्ध सर्किट का विकास स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है, जिसकी 2014 में घोषणा की गयी थी। इसके तहत एकीकृत विषय(थीम) आधारित पर्यटन सर्किट विकसित किये जाएंगे।
- विषयों की विशेषताएँ अद्वितीय एवं क्षेत्र विशेष से संबंधित हो सकती है और इनका विस्तार धर्म, संस्कृति, विरासत आदि तक हो सकता है|
- इस योजना में उत्तर-पूर्व सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट और कृष्ण सर्किट शामिल हैं|
- एक अलग घोषणा में सरकार ने भी देश में पर्यटन के विकास के लिए देश भर में और पचास सर्किटों की घोषणा की।

बौद्ध सर्किट

- मंत्रालय द्वारा परिकल्पित बौद्ध सर्किट के नक्शे में बिहार से बोधगया, वैशाली, राजगीर, यूपी से कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती, और नेपाल से कपिलवस्तु और लुम्बिनी भी शामिल है।

बोध गया

- बिहार के गया जिले में अवस्थित यह बौद्धों के लिए चार सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह वह जगह है जहाँ बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ ।
- महाबोधि मंदिर परिसर 2002 में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया।

वैशाली

- यह बिहार में अवस्थित एक जिला है जिसका नाम महाभारत में उल्लिखित मिथिला के प्राचीन शहर वैशाली नगर के नाम पर रखा गया | यह बौद्धों और जैनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह लिच्छवी राजवंश की राजधानी थी जो वज्जी महाजनपद में गणतंत्र के सबसे पहले उदाहरणों में से एक माना जाता है।
- बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश यहीं पर दिया था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध परिषद यहीं आयोजित की गयी थी।
- यहाँ अवस्थित अशोक स्तम्भ सर्वाधिक संरक्षित अवस्था में है जिसके शीर्ष पर एशियाई शेर है।

राजगीर

- बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है, यह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। यह भी बौद्धों और जैनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- बुद्ध ने यहाँ अपने बारह वर्ष के निवास काल में कई उपदेश दिए और द्वितीय धम्म चक्र का प्रवर्तन भी यहीं से किया।
- प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन भी यहीं हुआ था।

कुशीनगर

- कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह माना जाता है कि यहीं पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थस्थल है।

सारनाथ

- सारनाथ शहर उत्तर प्रदेश में गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है।
- यह सारनाथ ही था जहाँ बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार धम्म का उपदेश दिया था।

श्रावस्ती

- श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पश्चिमी राप्ती नदी पर स्थित है। श्रावस्ती का प्राचीन शहर कोशल की राजधानी थी।
- यह माना जाता है कि बुद्ध ने चौदह चातुर्मास (चार महीने की पवित्र अवधि) यहीं पर गुजारे थे |
- शहर में कई पुराने स्तूप, विहार और मंदिर बुद्ध के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं |

कपिलवस्तु

- कपिलवस्तु दक्षिणी नेपाल में स्थित है। प्राचीन समय में कपिलवस्तु शाक्य राज्य की राजधानी थी जहां सिद्धार्थ 29 वर्ष की उम्र में महल छोड़ने से पहले अपने माता-पिता के साथ रहे थे|

VISION IAS

लुम्बिनी

- लुम्बिनी नेपाल के रुपन्देही जिले में स्थित एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्धों द्वारा माना जाता है, कि यहाँ रानी माया ने 563 ईसा पूर्व में गौतम सिद्धार्थ को जन्म दिया था।
- यह 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया।

8.8. सिन्धु घाटी सभ्यता

(Indus Valley Civilization)

आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई बड़े खुलासे किये हैं|

उत्पत्ति

- उन्होंने ऐसे सबूत पेश किये हैं जिनसे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है , न कि 5500 वर्ष पुरानी है जैसा कि पहले अनुमानित था|
- इसका मतलब यह सभ्यता मिश्र की सभ्यता (7000 से 3000 BC) एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता (6500-3100 BC) से पहले ही अपनी जड़ें जमा चुकी थी|
- शोधकर्ताओं को एक पूर्व-हड़प्पा सभ्यता के सबूत भी मिलें है जो इससे 1000 वर्ष पहले अस्तित्व में थी।
- उन्होंने मिटटी के बर्तनों की डेटिंग के लिए "Optically Stimulated Luminescence" नामक तकनीक का प्रयोग किया।

विस्तार

- वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी अथवा घग्गर-हकरा नदी के किनारे विशाल क्षेत्र में विस्तृत थी लेकिन अभी इसका पर्याप्त अध्ययन नही हुआ है।
- उन्होंने पाया कि यह अभी ज्ञात स्थानों के अतिरिक्त दूसरी भारतीय जगहों तक भी फैली हुई थी जैसे हरियाणा में भिर्राना।

अवनति

- उन स्थानों से प्राप्त हड्डियों और दांत में ऑक्सीजन आइसोटोप संघटक अध्ययन के माध्यम से मानसून की तीव्रता मापी जा सकती है। यह संघटक प्राचीन वायुमंडलीय(Meteoric) जल के चिह्न को संरक्षित रखता है।
- इस तकनीक का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि वर्षा अब से 9000 से 7000 वर्ष पूर्व की अवधि के बीच बहुत तीव्र थी।
- अध्ययन से पता चला है कि वर्षा लगभग 7000 वर्ष पहले कम होनी शुरू हो गयी थी लेकिन इसके साथ ही बाद के हड्डपा स्थलों पर विनगरीकरण, जनसंख्या का कम होना, हिंसा आदि भी शुरू हो गये किन्तु सभ्यता तब समाप्त नही हुई थी।
- लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल हो गये, उन्होंने बड़े दाने जैसे गेंहू एवं जौ के स्थान पर सूखा प्रतिरोधी चावल खाना शुरू कर दिया।
- जलवायु परिवर्तन ने सभ्यता के अचानक पतन की बजाए विनगरीकरण को बढावा दिया।

8.9. कश्मीरी एवं नस्तालिक़ लिपि

(Kashmiri and Nastaliq Script)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में देवनागरी और शारदा लिपि में कश्मीरी भाषा के लेखन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इसे नस्तालिक़ लिपि की अनदेखी के लिए कश्मीरी साहित्यिक समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा।

कश्मीरी भाषा एवं नस्तालिक़ लिपि

- राज्य में कश्मीरी भाषा से ज्यादा उर्दू का प्रयोग होने के कारण कश्मीरी भाषा बोलने वालो की संख्या घट रही है।
- हालाँकि कश्मीरी भाषा ज्यादातर नस्तालिक़ लिपि में लिखी गयी है किंतु देवनागरी एवं प्राचीनतर शारदा लिपि में भी इसे लिखा जाता रहा है।
- शारदा एक प्राचीन पश्चिमी हिमालयी लिपि है जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है| यह इस्लाम के साथ नस्तालिक़ लिपि के आने तक इस क्षेत्र में प्रचलित लिपि थी |
- नस्तालिक़ लिपि एक अरबी-फारसी सुलेख लिपि है जो पिछली पांच सदियों से प्रचलन में है और अधिकांशतः कश्मीरी साहित्य इसी लिपि में है |
- नस्तालिक़ एक कर्सिव लिपि है जो नक्षी और तालिक शैली का संयोजन है और लम्बी क्षैतिज पाइयाँ एवं बड़े बड़े गोले इसकी विशेषता है।

8.10. श्री रामानुज की 1000वीं जन्म शताब्दी

(1000th Birth Anniversary of Sri Ramanuja)

- मई में भारत में श्री रामानुज सहस्राब्दी मनाई गई। यह इनकी 1000वीं जन्म शताब्दी थी।

श्री रामानुज के बारे में

- 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे श्री रामानुज मध्यकालीन भारत के भक्ति धारा के संत थे।
- वह अलवार से बहुत प्रभावित थे |
- उनके अनुसार विष्णु की गहन भक्ति मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है।
- उन्होंने विशिष्टाद्वैत या अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें बताया कि आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तब भी अपना अस्तित्व बनाये रखती है।

VISION IAS

- रामानुज के सिद्वान्त ने भक्ति आन्दोलन को बहुत प्रेरित किया। जो इसके बाद उत्तर भारत तक फैल गया।

वर्तमान में प्रासंगिकता

- वो दया को सदगुण मानते थे और उनके अनुसार इसका अर्थ समन्वय की भावना है। उनके मूल्य आज के समाज की आवश्यकता है।
- उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के नव-वेदान्तियों का पूर्वज माना जाता है।
- वह दलितों के प्रति लगाव और सहानुभूति रखते थे|
- उनके द्वारा श्री रंगनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए का उनका प्रबंधन और कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक योजनाओं को शुरू किया गया। इनमे अन्नदान जैसे कार्यक्रम भी था जो आज भी असंख्य रामानुज कूट के माध्यम से पूरे भारत में चल रहे हैं।

- नयनार और अलवार का मार्च 2016 समसामयिकी नोट्स में उल्लेख है।
- विशिष्टाद्वैत का मतलब है संशोधित अद्वैतवाद। इस दर्शन के अनुसार अंतिम वास्तविकता ब्रह्म (परमेश्वर) है और पदार्थ और आत्मा उनके गुण हैं।

8.11. हुमायूँ का मकबरा

(Humayun's Tomb)

सुर्खियों में क्यों ?

- विशेषज्ञों के एक दल ने औद्योगिक परिशुद्धता के साथ पारंपरिक शिल्प कौशल का इस्तेमाल करते हुए 2 वर्ष पहले एक तूफान में क्षतिग्रस्त हुए 16वीं सदी के हुमांयू के मकबरे पर स्वर्ण स्तूपिका को फिर से स्थापित किया।
- 18 फुट के सजावटी भाग को अपने मूल वैभव में लाने के लिए 22-कैरेट सोने की एक परत चढाई गयी ।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आगा खान संस्कृति ट्रस्ट(AKTC) की स्थापना की थी।
- पिछली बार इस स्तूपिका की सन 1912 में अंग्रेजो द्वारा तोड़ कर मरम्मत की गयी थी। उन्होंने इसका दस्तावेजीकरण भी किया था।

मकबरे के बारे में

- यह मकबरा उसकी विधवा बेघा बेगम द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था।
- यह ईमारत लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनाई गयी थी जिसके किनारों पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था।
- यह भव्य समाधि स्थल फारसी स्थापत्य कला और भारतीय परंपराओं का संश्लिष्ट रूप है। यह सीरियन और पूर्ववर्ती इस्लामी मॉडल से प्रेरित है।
- इसने शाहदरा लाहौर में स्थित जहांगीर की समाधि एवं साथ ही आगरा के ताजमहल के लिए एक वास्तुशिल्प प्रेरणा के रूप में कार्य किया।
- यह मकबरा एक वर्गाकार बाग़ के केंद्र में अवस्थित है जो पक्की सड़कों (चारबाग) द्वारा चार भागों में विभाजित है, जिसके केंद्र में उथली जल धारा बहती है।
- धनुषाकार मेहराबदार ताखा, गलियारे और उच्च दोहरे गुंबद के साथ ही कियोस्क (छतरियां) दूर से इसे एक पिरामिड का आकार देते हैं।

8.12. स्क्येस-पिकॉट समझौता

(Skyes-Picot Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 9 मई, 2016 को **स्क्येस-पिकॉट** समझौते के 100 वर्ष पूरे हुए हैं।

स्क्येस-पिकॉट समझौता क्या है ?

- रूस की सहमति से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक गुप्त समझौता किया गया था, जिसमें विश्व युद्ध के बाद अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में तुर्क साम्राज्य को बांटना था।
- मार्क स्काइस और फ्रॉस्वा जार्ज-पिकाट क्रमशः ब्रिटिश एवं फ्रांसिसी कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस समझौते की शर्तें निर्धारित की थी।
- अंग्रेजों ने फिलिस्तीन और इराक हासिल किया जबकि फ्रांस को वर्तमान सीरिया वाला भूभाग मिला।

समकालीन युग में निहितार्थ

- यह पश्चिमी शक्तियों द्वारा मध्यपूर्व एकता के सपने के विनाश का प्रतीक है – पहले राजनीतिक और अब धार्मिक।
- इस समझौते ने मध्य पूर्व के विरोधी समुदायों को नये राज्यों में एक साथ रखा जैसे इराक एवं लेबनान जिनके विवाद अब भी जारी है।

- ये विवाद इस क्षेत्र में ISIS और आतंकवाद के उदय के पीछे मुख्य कारण हैं।
- यह पश्चिमी एशिया में ब्रिटिश नीति के विकास को भी दिखाता है जो ग्रेट गेम के विस्तार से लेकर भारत तक पहुँचने के स्थलीय मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने और फिलिस्तीन में यहूदी देश बसाने की प्रतिबद्धता तक विस्तृत है।
- समझौते ने चार देशों में कुर्दों को विभाजित कर दिया और उन्हें हर जगह एक अल्पसंख्यक समुदाय बनाया – जो उनके उत्पीड़न और दुख के पीछे एक प्रमुख कारण है।

8.13. मोगाओ गुफाएँ

(Mogao Caves)

- मोगाओ गुफाएँ, दूँहुआन्ग ओएसिस(मरुस्थल के बीच हरित भूमि) के दक्षिण-पूर्व में सैकड़ों की संख्या में, चीन के गांसु प्रांत में दचुआन नदी के ऊपर चट्टानों में सूखे गोबी रेगिस्तान के बीच में खुदी हुई हैं।
- यह बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान और आश्रय के लिए बनायी गयी थी। इनमें भित्ति चित्र, चित्रित मूर्तियाँ, प्राचीन वास्तुकला, चल सांस्कृतिक अवशेष और उनकी सेटिंग्स हैं। यह बौद्ध धर्म की यात्रा का विवरण देती हैं।
- बौद्ध गुफा कला ने तीसरी शताब्दी में भारत में जन्म लेकर दूँहुआन्ग तक की यात्रा की, जो सिल्क रोड के साथ, और बामियान, Kucha-Kizil, Turfan के चौराहे का एक प्रमुख बिंदु था।
- मध्ययुगीन राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति, कला, धर्म, जातीय संबंधों और पश्चिमी चीन में दैनिक पोशाक के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करने के कारण यह गुफाएं विस्तृत सामग्री बहुतायत में उपलब्ध करा रही हैं।
- वे प्राचीन भारतीय एवं गांधार रीति-रिवाज़ और तुर्क, प्राचीन तिब्बतियों और अन्य चीनी जातीय अल्पसंख्यकों की कला के साथ हान चीनी कलात्मक परंपरा का एक मिश्रण है।
- मोगाओ गुफ़ाएँ 1987 में विश्व धरोहर सूची में दर्ज की गयी | एक राज्य के रूप में चीन ने सभी विश्व विरासत स्थलों को शीर्ष स्तर के संरक्षण के तहत रखा है।

VISION IAS

9. सुर्ख़ियों में

ALSO IN NEWS

9.1. वैश्विक दासता सूचकांक:

(Global Slavery Index 2016)

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया आधारित वॉक फ्री फाउंडेशन ने वैश्विक दासता सूचकांक 2016 प्रकाशित किया है।

वॉक फ्री फाउंडेशन के बारे में

यह एक वैश्विक संगठन है, जिसका उद्देश्य दासता के आधुनिक रूप की समाप्ति हेतु कार्यकर्ता आधारित वैश्विक आन्दोलनों का संचालन, उच्चस्तरीय शोध कार्यों, आवश्यक कदमों की सूची बनाने तथा धन इकठ्ठा करने के माध्यम से ऐसे देशों और उद्योगों में परिवर्तन लाना है जो दासता के आधुनिक रूपों के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं।

आधुनिक दासता क्या है?

यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता हो। द्रष्टव्य है की अपने शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण, किसी निश्चित कार्य करने की या कार्य करना बंद करने की स्वन्त्रता ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिनके छीन लेने का अर्थ उस व्यक्ति का शोषण है ।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- इसका अनुमान है की विश्व में 45.8 मिलियन लोग किसी न किसी रूप में आधुनिक दासता से ग्रसित हैं।
- 35.8 मिलियन लोगों के दासता से ग्रस्त होने का अनुमान व्यक्त करने वाली वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में इस रिपोर्ट में दासताग्रस्त लोगों की संख्या 30 प्रतिशत ज्यादा है।
- उत्तर कोरिया, उज्बेकिस्तान, कम्बोडिया, भारत और क़तर ऐसे देश हैं जहाँ पर आधुनिक दासता की व्यापकता उनकी जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा है।
- आधुनिक दासता से ग्रसित सबसे ज्यादा लोगों की संख्या वाले देश भारत(18.35 मिलियन), चीन(3.39 मिलियन), पाकिस्तान(2.13 मिलियन), बांग्लादेश(1.53 मिलियन) और उज्बेकिस्तान(1.23 मिलियन) हैं।

  कारक: आधुनिक दासता के प्रति सुभेद्यता; अधिकारों के संरक्षण, शारीरिक रक्षा और सुरक्षा, भोजन, पानी और स्वास्थ्य जैसी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं तक पहुँच होने या न होने, तथा प्रवसन, विस्थापन और संघर्ष के प्रतिरूपों जैसे विभिन्न कारकों की जटिल अंतर्क्रिया से प्रभावित होती है|

9.2. स्मार्ट सिटी मिशन: अद्यतन

(Smart City Mission: Updates)

- भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जनवरी में चयनित 20 शहरों के साथ-साथ 13 और शहरों को शामिल किया गया है ।
- 23 शहरों के मध्य हुयी प्रतिस्पर्धा में से इन 13 शहरों का चयन किया गया है।
- इन शहरों को शामिल करने से ऐसी अपेक्षा की जा रही है की अब राज्यों के मध्य स्मार्ट शहरों का वितरण ज्यादा संतुलित हो गया है।

9.3. ट्विटर सेवा

(Twitter Seva)

ट्विटर सेवा क्या है?

- यह माइक्रो ब्लागिंग प्लेटफार्म ट्विटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है।
- यह ट्वीट की एक बड़ी मात्रा को व्यवस्थित करने और उन्हें तात्कालिक समाधान के लिए संबंधित प्राधिकारी को सौंपने में मदद करती है।
- वर्तमान में इसका प्रयोग बेंगलुरू पुलिस के अलावा, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रेल मंत्रालय के द्वारा विभिन्न मुद्दों और शिकायतों का समाधान करने के लिए किया जा रहा है।
- इस माध्यम का उपयोग सरकार, जनता से संपर्क बनाने के मंच के रूप में करने के साथ ही ई-गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करने में कर रही है। यह एक ऐसा नवाचार है जो कि बहुत हद तक सिर्फ भारत में हो रहा है।

ट्विटर सेवा का निर्यात

- अभी यह उत्पाद केवल भारत के लिए है, लेकिन यहां इसकी सफलता को देखकर, इस सेवा का प्रयोग अब अन्य भौगोलिक क्षेत्रों यथा ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों में किया जाएगा।

9.4. पेरिस शांति शिखर सम्मेलन

(The Paris peace Summit)

एक दिवसीय इजरायल-फिलीस्तीन शांति शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। 29 देशों के विदेश मंत्रियों ने इस शिखर सम्मेलन के द्वारा ठप पड़ी हुयी इजरायल-फिलीस्तीन शांति प्रक्रिया पर चर्चा में भाग लिया।

शिखर बैठक के परिणाम

शिखर सम्मेलन का समापन भाषण इसके मुख्य लक्ष्य - द्विराज्य समाधान (the two state - solution) को परिभाषित करता है और स्पष्ट घोषणा करता है कि यथास्थिति को लम्बे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता ।

VISION IAS

- विभिन्न राष्ट्रों के विदेश मन्त्री इस क्षेत्र में चल रही निरंतर हिंसा और बसावट जैसी क्षेत्रीय गतिविधियों से चिंतित थे। उन्होंने इजरायल की इस बात को स्वीकार नहीं किया कि फिलिस्तीनी आतंक और अस्वीकृति इस संघर्ष का आधार है।
- बयान के अनुसार, " 1967 में शुरू हुआ कब्ज़ा पूरी तरह समाप्त करना " ही लक्ष्य है।
- इस वर्ष के अंत से पहले इस मुद्दे पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का भी आह्वान किया गया।

9.5. विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन

(World Humanitarian Summit [WHS])

संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन (WHS) इस्तांबुल में आयोजित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की एक पहल है और मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय (UN OCHA) द्वारा आयोजित किया जाता है।

शिखर सम्मेलन का विषय: शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की मानवीय चुनौतियों का सामूहिक रूप सामना करने हेतु मानवीय अभियान का एक प्रगतिशील कार्यक्रम तैयार करना है। इसका लक्ष्य मानवीय सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण मानवीय तंत्र का निर्माण करना है।

शिखर सम्मेलन का लक्ष्य: शिखर सम्मेलन के तीन मुख्य लक्ष्य हैं:

- मानवता और मानवीय सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि।
- ऐसे कार्यों और प्रतिबद्धताओं को आरंभ करना जो की देशों और समुदायों को संकट का सामना करने तथा इससे होने वाली क्षति के लिए और अधिक रेजेलिएंट बनने के लिए तैयार करें।
- ऐसी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना जो दुनिया भर के लोगों की जान बचाने में मदद करे, मानवीय कार्रवाई के केंद्र में प्रभावित लोगों को रखे और आपदाओं को कम करे।

9.6. अमेरिकी राष्ट्रपति की हिरोशिमा यात्रा

(US President's Visit to Hiroshima)

अमेरिकी विमान-चालकों ने 6 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया। तीन दिन बाद एक दूसरा बम नागासाकी पर गिराया। हैरी ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे।

- बराक ओबामा राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान हिरोशिमा का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने।
- दो अन्य शीर्ष अमेरिकी नेताओं ने बम विस्फोट के स्थल का दौरा किया है, 1984 में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पद छोड़ने के तीन वर्ष बाद विस्फोट स्थल का दौरा किया।
- राष्ट्रपति चुनाव जीतने के चार वर्ष पहले रिचर्ड निक्सन 1964 में वहां गए थे।

9.7. रेड फ्लैग

(Red Flag)

भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं के द्वारा अलास्का में चार सप्ताह का वायु युद्धाभ्यास "रेड फ्लैग" किया गया।

9.8. डेजर्ट ईगल-2

(Desert Eagle II)

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के अल-दफरा(AL-DHAFRA) एयर बेस पर आयोजित किया गया।

9.9. पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक नीति

(Capital Goods Sector Policy)

- कैबिनेट ने पहली पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक नीति को मई 2016 में मंजूरी दे दी है। यह नीति भारी उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।
- नीति में वर्तमान में होने वाले , कुल उत्पादन के 27% निर्यात की जगह 40% निर्यात करने की संकल्पना निहित है तथा समग्र निर्यात में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी को 60% से बढ़ाकर 80% करने की परिकल्पना की गई है, इस प्रकार भारत को शुद्ध निर्यातक बनाया जायेगा।
- नीति में घोषित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों में वित्त की उपलब्धता, कच्चा माल, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, गुणवत्तापूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रक्रियाएं, निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू मांग पैदा करना शामिल हैं।

नोट: कृपया राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति पर विस्तृत जानकारी के लिए समसामयिकी के फरवरी संस्करण को देखें।

9.10. कारों का प्रयोग समाप्त करने (SCRAPPING) की नीति

(Car Scrapping Policy)

सरकार वाहन मालिकों को पुरानी कारों को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है।

कैसे? कर रियायतें और कार निर्माताओं से बराबर की छूट (मैचिंग डिस्काउंट) प्रदान करवाना

लाभ

- प्रदूषण को कम करने में - अप्रैल 2020 से यूरो- 6 (euro-6) उत्सर्जन मानकों को अपनाने सहित नई प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में तेजी से संक्रमण
- कार उद्योग की वृद्धि में तेजी- बिक्री बढ़ेगी और इससे निर्माताओं की कार निर्माण लागत में कमी आएगी
- कार स्क्रैपिंग यार्ड को बंदरगाहों के करीब स्थापित किया जा सकता है।

VISION IAS

- कार निर्माताओं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विदेशों से कबाड़ सस्ती दर पर लाया जाएगा।
- इससे नई कारों और स्पेयर पार्ट्स की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
- विनिर्माण, बिक्री और निर्यात में वृद्धि से सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा।

9.11.पेटेंट परीक्षण में तेजी लाने के लिए तत्काल प्रणाली

(Tatkal System to Expedite Patent Examination)

सुर्ख़ियों में

- पेटेंट परीक्षण में तेजी लाने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है और एक तत्काल प्रणाली की शुरूआत की है।
- इस प्रणाली को स्टार्ट अप्स (START-UPS) के साथ ही अपने पहले पेटेंट के नामांकन के लिए भारत को चुनने वाली संस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- पेटेंट परीक्षण के तत्काल मार्ग के लिए आवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना है।

इस कदम को उठाये जाने के कारण

- 2.37 लाख पेटेंट आवेदन देश में लंबित।
- भारत में पेटेंट आवेदन के बाद पेटेंट परीक्षण में लगने वाला अधिक समय।

इस कदम से लाभ

- वर्तमान में पेटेंट परीक्षण में लगने वाले 5 से 7 वर्ष के समय को घटाकर मार्च 2018 तक 18 महीने तक लाना।
- भारत में दायर पेटेंट की संख्या में वृद्धि होगी और भारत पेटेंट हब के रूप में लोकप्रिय होगा।

9.12. सेबी (SEBI) ने काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए मानदंडों को कड़ा किया

(Sebi tightens norms to curb black money inflow)

- सेबी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काले धन पर गठित एसआईटी की सिफारिशों के अनुसार पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) को जारी करने या ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (ODIs) के मानदंडों को कड़ा करके, देश में काले धन के प्रवाह पर नजर रखने के लिए नए उपायों की शुरुआत की है।
- इसने इन इंस्ट्रूमेंट के धारकों को घरेलू निवेशकों के साथ बराबरी पर लाने के लिए 'अपने ग्राहक को जानो (know your client-KYC) 'व्यवस्था का अनुपालन शुरू किया है और इसने इन उत्पादों के अंतिम लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी मांगी है।
- ऐसे मामलों में जहाँ पर ODIs का हस्तांतरण हुआ हो सेबी की मांग पर जारीकर्ता को इस तरह के हस्तांतरण की पूरी जानकारी देनी चाहिए।
- अभी तक पी-नोट्स निवेशकों को निवास स्थान और पहचान के सबूत पेश करने की जरूरत नहीं थी और इस तरह पी-नोट्स भारतीय बाजारों में टैक्स हेवन देशों से काले धन के प्रवेश के लिए एक पसंदीदा मार्ग बन गए थे।
- सेबी ने बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों से एक लाभांश नीति तैयार करने के लिए कहा है जिससे निवेशकों को इन कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के लिए एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिले।
- सेबी के अनुसार लाभांश नीति के अंतर्गत उन परिस्थितियों का जिनमें उसके शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या लाभांश की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं का उल्लेख किये जाने के साथ ही उन वित्तीय मानकों को जिन पर लाभांश घोषित करने पर विचार किया जायेगा को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन आंतरिक और बाह्य कारकों का जिन पर लाभांश की घोषणा के लिए विचार किया जाएगा, अर्जित लाभ को कैसे उपयोग किया जाए और शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधानों को लाभांश नीति में समावेश किया जा सकता है।

9.13. न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर

(Memorandum of Procedure for appointment of judges)

- भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप दे दिया है और इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है।
- एमओपी में, सरकार ने पहली बार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए "योग्यता और निष्ठा" को " प्रमुख मानदंड " के रूप में शामिल किया है।
- इसके अंतर्गत अधिकतम तीन वकीलों और न्यायविदों की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को भी प्रस्तावित किया गया है।
- एक वरिष्ठ न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए अनदेखी के कारणों का प्रलेखन और दस्तावेजों की देखरेख के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना, एमओपी की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने एमओपी को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिया है।

VISION IAS

- एमओपी के अनुसार, यदि केंद्र ने किसी अनुशंसा को एक बार अस्वीकार कर दिया, तो वह इस पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हित के आधार पर उसकी सिफारिश को अस्वीकार करने के केंद्र सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार का भी विरोध किया है कि नियुक्ति/पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुशंसा की प्रक्रिया में केंद्र में महान्यायवादी और राज्यों में महा अधिवक्ता के विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

9.14. राजनीतिक दलों को विदेशी संस्थाओं द्वारा निधीयन (FUNDING)

(Foreign firms to fund political parties)

- केंद्र सरकार के द्वारा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA), 2010 (वित्त विधेयक मार्ग) में एक पूर्वप्रभावी संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि राजनीतिक दलों सहित भारतीय संस्थाओं को विदेशी हिस्सेदारी कंपनियों द्वारा दिया गया दान FCRA, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगा।
- यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विदेशी दानदाताओं द्वारा दिये गए धन को सरकारी जांच प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम(R P Act) राजनीतिक दलों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है।
- वर्तमान में कोई कंपनी जिसमें 50% से अधिक का विदेशी निवेश किया गया हो भारत में "विदेशी स्रोत" के रूप में मानी जाती है।
- संशोधन के बाद, उन मामलों में जहां शेयर पूंजी की नोमिनल वैल्यू फेमा(FEMA),1999 के तहत निर्धारित विदेशी निवेश की सीमा के भीतर है तथा कंपनी क्षेत्रक विशेष के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करती हो, तो भले ही नोमिनल वैल्यू 50% शेयरों की उच्चतम सीमा से अधिक हो, यह "विदेशी स्रोत" के रूप में नहीं माना जाएगा।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाएगा और अनावश्यक मुकदमों को टालेगा।
- कुछ पार्टियां इस आधार पर इसका विरोध कर रही हैं कि यह संशोधन उन दो मुख्य राष्ट्रीय दलों के पक्ष में होगा जो 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए थे।

9.15. नेट शून्य ऊर्जा भवनों (NZEB) के लिए पोर्टल

(Portal for Net Zero Energy Buildings [NZEB])

- ऊर्जा मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी (USAID) ने मुख्यधारा के नेट शून्य ऊर्जा भवनों (NZEB) को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एकीकृत वेब पोर्टल शुरू किया है।
- यह पोर्टल नेट शून्य ऊर्जा इमारतों (NZEB) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है- ये ऐसे भवन होते हैं जो जितनी ऊर्जा का उपभोग करते हैं उतनी ही ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं।
- यह पोर्टल प्रकाश और उपकरण के दक्ष उपयोग, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के एकीकरण, और सबसे अच्छी डिजाईन रणनीतियों के उपयोग के माध्यम से लगभग शून्य ऊर्जा भवन का दर्जा हासिल करने में भी मदद करता है।
- NZEB एलाइंस(संधि), उद्योग जगत से सम्बंधित एक संस्था है जो कि भारतीय बाजार को अत्यधिक ऊर्जा कुशल इमारतों के निर्माण की दिशा में प्रोत्साहित करता है, को भी पोर्टल में स्थान किया गया है |
- नीति निर्माताओं, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, धारणीयता सलाहकारों, और शैक्षणिक समुदायों को इमारतों को अत्यधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए सभी प्रकार की जानकारी इस पोर्टल पर मिल जाएगी।

9.16. केन्द्र आर्द्रभूमि से संबंधित (वेटलैंड) सुरक्षा नियमों को कमजोर करने की तैयारी में

(Centre prepares to dilute wetland protection rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2010 के पुराने नियम को ड्राफ्ट(मसौदा) आर्द्रर्भूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016, से बदलने के लिए प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन में बहुत बाधाएं पैदा हो रही थीं और अभी भी कई राज्यों ने 2010 के नियमों के तहत आर्द्रभूमियों को अधिसूचित नहीं किया है।
- मसौदा 2016 के नियमानुसार, आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को विकेन्द्रीकृत किया जायेगा जिसमें राज्यों की प्रमुख भूमिका होगी तथा केंद्र के द्वारा सिर्फ 'विशेष मामलों" में हस्तक्षेप किया जायेगा।

2016 के मसौदे के नियमों की मुख्य विशेषताएं

- यह मसौदा, 2010 के नियम के तहत बनाये गये केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण (CWRA) को हटाने और इसको प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें आर्द्रभूमियों की

VISION IAS

पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की शक्तियाँ मुख्यमंत्री में निहित होंगी।

- मसौदे के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों से "आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश" तैयार करने तथा आर्द्रभूमियों और उन में निषिद्ध गतिविधियों की सूची की आवधिक समीक्षा करने के लिए कहा गया है।
- नए नियमों के तहत आर्द्रभूमियों की अधिसूचना के लिए समयबद्ध प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- इन स्थलों को पुनर्जीवंत करने वाली गतिविधियों के अतिरिक्त ऐसी सभी गतिविधियां जिनके लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती थी की सूची को समाप्त कर दिया गया है, और अब राज्य अपने विवेक से आर्द्रभूमियों के "विवेकपूर्ण उपयोग" वाली गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं।
- नए मसौदे के नियमों में से "एक दूसरे पर निर्भर आर्द्रभूमि क्षेत्रों (WETLAND COMPLEX) के लिए प्रावधान" को हटा दिया गया है, जोकि 2010 के नियम में शामिल था।
- नए नियमों के अनुसार आर्द्रभूमि में कोई गतिविधि शुरू करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की जरूरत नहीं है, जबकि यह 2010 के नियमों के तहत यह अनिवार्य था।
- पुराने नियमों के अंतर्गत राज्यों के द्वारा अधिशासित होने वाली आद्र्भूमियों का क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता था, जबकि नवीन व्यवस्था में उन आद्र्भूमियों को केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने संबंधी प्रावधान हैं ,क्षेत्रफल सम्बन्धी कोई सीमा आरोपित नहीं की गयी है।

मसौदे की आलोचना क्यों की जा रही है?

- 2010 के नियम को लागू करने में राज्यों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, कुछ का मानना है कि नए नियम आद्र्भूमियों के सुरक्षा मानकों को कमजोर बनायेंगे तथा सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं से हमारी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण आद्र्भूमियों के संरक्षण के लिए सक्षम नहीं होंगे।

9.17. स्मार्ट पेपर

(Smart Paper)

- वैज्ञानिकों ने स्मार्ट कागज विकसित किया है, जोकि संवेदन क्षमताओं (sensing capabilities) से युक्त एक उच्च तकनीक पालीप्रोपिलीन(high-tech polypropylene) सिंथेटिक कागज है। यह संकेत आदेशों (gesture command) का जवाब दे सकता है और डिजिटल दुनिया से जुड़ सकता है।
- यह विधि छोटे सस्ते रेडियो आवृत्ति (RFID) टैग पर निर्भर करती है, जोकि प्रभावी और हल्के विद्युत् परिपथ बनाने के लिए, कागज पर मुद्रित, अंकित या धंसे रहते हैं।
- ये विद्युत् परिपथ सेंसर में बदल जाते हैं, जोकि विशिष्ट गतियों की पहचान कर सकते हैं, और संकेत रुकावटों(signal interruption) को विशेष आदेश(command) के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।
- यह तकनीकि जिसे पेपर आईडी तकनीक के रूप में जाना जाता है पहले से तैयार RFID टैग के प्रयोग को बढ़ावा देगी। द्रष्टव्य है कि इस तकनीकी के प्रयोग के लिए बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु एक रीडर डिवाइस के प्रयोग के माध्यम से प्रयुक्त होने वाले टैग की पहचान की जा सके गी।
- इस तकनीक के माध्यम से पेपर एरोप्लेन तथा कक्षा सर्वेक्षण फॉर्म जैसे वास्तविक जगत की सामान्य वस्तुओं को इन्टरनेट जैसे माध्यम से जोड़ा जा सकेगा
- यह नई तकनीक कागज पर उपयोग करने तक सीमित नहीं है। यह सुरक्षा टैग, मेनू(menu), आवरण (cover), चार्ट, नियमावली(manual) और सामान में प्रयोग किये जाने वाले टैग के लिए आदर्श है।

9.18. दुनिया का पहला होलोग्राफिक (त्रिविमीय चित्र आधारित) लचीला स्मार्टफोन

(World's first holographic flexible smartphone)

- वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला होलोग्राफिक लचीला स्मार्टफोन होलोफ्लेक्स(HoloFlex) विकसित करने का दावा किया है। यह उपयोगकर्ताओं को बिना किसी हेडगिअर, चश्मे या इसी तरह के अन्य किसी उपकरण के बिना 3D वीडियो / फ़ोटो देखने की सुविधा देता है।
- होलोफ्लेक्स(HoloFlex), एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के लिए गति लंबन(Motion Parallax) और stereoscopy के साथ 3D फ़ोटो का प्रदर्शन करने में सक्षम है। पूर्ण एचडी(HD)लचीला कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड (FOLED) आधारित टचस्क्रीन डिस्प्ले इसकी विशेषता है।
- फ़ोटो के 12-पिक्सेल विस्तृत वृत्तीय सांचे (wide circular blocks) में प्रदर्शन से एक विशेष प्रेक्षण बिंदु (viewpoint) से 3D वस्तु का पूर्ण प्रेक्षण (full view) किया जा सकता है।
- होलोफ्लेक्स (HoloFlex) एक बेंड सेंसर (bend sensor) से सुसज्जित है, जोकि उपयोगकर्ता को टचस्क्रीन की x और y-अक्ष

की सामान्य स्वाइप के साथ फोन को डिस्प्ले के Z-अक्ष के सापेक्ष मोड़ने (bend) की सुविधा देता है।

- कैमरा मध्य में लगे होने से उपयोगकर्ता होलोग्राफिक वीडियो संवाद भी कर सकते हैं।

9.19. सौर अध्ययन के लिए आदित्य-एल 1 उपग्रह

(Aditya-L1 satellite for solar study)

- इसरो सौर अध्ययन के लिए आदित्य-एल1 उपग्रह लांच करने की तैयारी कर रहा है जो आदित्य1 मिशन का उन्नत रूप है, आदित्य1 को सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए 800 KM की पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित करने की कल्पना की गई थी।
- सूर्य-पृथ्वी तंत्र के लागरेंजियन बिंदु L1 (एल 1) के आस-पास स्थित हेलो कक्षा (halo-orbit) में उपग्रह को स्थापित करने का सबसे बड़ा लाभ बिना किसी भी ग्रहण के सूर्य का लगातार निरीक्षण कर पाना है ।
- इसलिए, आदित्य -1 मिशन को अब "आदित्य-एल 1 मिशन" में संशोधित किया गया है और इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एल 1 के समीप हेलो कक्षा(halo-orbit) में प्रक्षेपित किया जाएगा।
- सौर कोरोना(प्रभामंडल)का अध्ययन,सौर कोरोना (प्रभामंडल) को तप्त करने वाली भौतिक प्रक्रियाओं की बुनियादी समझ प्राप्त करना, तीव्र सौर तरंगे और कोरोना(प्रभामंडल) पुंज उत्क्षेपण(कोरोनल मॉस इजेक्शन) की उत्पत्ति का अध्ययन इसके प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्यों में शामिल हैं।
- इस प्रकार परिष्कृत आदित्य-एल 1 परियोजना सूर्य की सक्रिय प्रक्रियाओं की एक व्यापक समझ को विकसित करने में सक्षम होगा और सौर भौतिकी के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट समस्याओं को व्याख्यायित करेगा।

9.20. हैकिंग के भय से स्मार्टफोन संबंधी नियम

(Hacking scare leads to norms for smartphones)

- पड़ोसी देशों से बार-बार आने वाले मालवेयर(Malware) ख़तरे को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील जानकारी के साथ काम करने वाले अधिकारियों के लिए एक स्मार्टफोन नीति की परिकल्पना की गई है।
- पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां टॉप गन (Game App), ऍमपीजंकी (Music App), वीडीजंकी (Video App) जैसे मालवेयर(Malware) मोबाइल ऐप्लिकेशन के रूप में भेजकर भारतीय सुरक्षा बलों की जासूसी कर रही थीं।
- हर दिन, सरकारी कंप्यूटर हैक करने के कई प्रयास होते हैं तथा डिवाइस पर विविध एप्लीकेशन के डाउनलोड के माध्यम से स्मार्टफ़ोन प्रयोक्ता अनजाने मे हैकिंग में सहायक सिद्ध होते हैं।
- व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए (साथ में अनुमोदन को दर्शाने वाले दस्तावेज भी आवश्यक होने चाहिए)। इन दस्तावेजों में अधिकारी का नाम, अनुमोदित डिवाइस और डिवाइस के प्रकार की जानकारी शामिल होनी चाहिए।
- इन डिवाइस को किसी भी प्रतिष्ठान के कंप्यूटर नेटवर्क से या अकेले कंप्यूटर से नहीं जुड़ा होना चाहिए, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में इन्हें कंप्यूटर से चार्ज करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।
- संवेदनशील बैठकों या ब्रीफिंग के दौरान स्मार्ट उपकरणों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- ऐसे चित्र और वीडियो न तो लिए जाने चाहिए और न ही सोशल मीडिया पर डाले जाने चाहिए जिससे कि गुप्त (संवेदनशील) परिसम्पत्तियों की सुरक्षा का जोखिम उत्पन्न हो।

9.21. सी हैरियर

(Sea Harriers)

- भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन 300 (INAS 300), अब पुराने सी हैरियर लड़ाकू विमानों को बाहर कर नई पीढ़ी के मिग -29 K / KUB लड़ाकू विमानों को शामिल करने के लिए तैयार है।
- सी हैरियर ब्रिटिश एयरोस्पेस द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया नौसेना का कम दूरी / ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग (VSTOL)में सक्षम जेट, टोही और लड़ाकू विमान है।
- ऊर्ध्वाधर टेकऑफ़ और लैंडिंग की क्षमता इस लड़ाकू विमान की सबसे अनूठी विशेषता है।
- ये लड़ाकू विमानहवा हवा में ईंधन भरने की सुविधा से युक्त होने की वजह से लम्बी दूरी तक उड़ान भर सकने में सक्षम थे।
- सबसोनिक सी हैरियर की प्रमुख भूमिका विमान वाहक पोत से परिचालित होकर नौसेना के बेड़े को वायु सुरक्षा प्रदान करना था। यह एंटी शिप मिसाइल समुद्र ईगल से युक्त था।
- ये 1982 के फ़ॉकलैंड युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए एक निर्णायक भूमिका में थे और वर्ष1983 में भारतीय नौसेना में शामिल किये गए।

9.22. भारत वेनेजुएला की भुगतान समस्या का समाधान कर सकता है

(India may solve Venezuelan defaults)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वाणिज्य मंत्रालय ने वेनेजुएला के आयातकों द्वारा भारतीय निर्यातकों को देय राशि का भुगतान न करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव रखा है, जो अभी वेनेजुएला द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

VISION IAS

क्यों इस जरूरत थी?

- वेनेजुएला की मुद्रा के ऐतिहासिक अवमूल्यन और डॉलर की बढ़ती हुयी मांग के साथ तेल की कीमतों में तेज गिरावट ने वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसने भारतीय निर्यातकों के भुगतान पाने की समस्या में वृद्धि हुई है।

- भुगतान तंत्र के तहत, जब भारतीय आयातक वेनेजुएला से तेल और अन्य आयातों के लिए भुगतान करेंगे तब भुगतान का एक निश्चित भाग(लगभग 30%) वेनेजुएला में एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा सुरक्षित रूप से जमा कर लिया जाएगा।
- फिर एक वोस्ट्रो(Vostro) खाते के माध्यम से यह पैसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) की स्थानीय शाखा में रखा जाएगा और भारतीय रुपए में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- इस सन्दर्भ में एक (Vostro) खाता होने का अर्थ है वेनेजुएला का धन जमा रखने वाला खाता।
- वेनेजुएला के खरीददार (आयातक) प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने माल(goods) प्राप्त कर लिया है और संबंधित भारतीय निर्यातकों को भुगतान जारी करने के लिए सम्बंधित वेनेजुएला के बैंक को सूचित कर देंगे।
- यह निर्देश एसबीआई वेनेजुएला को हस्तांतरित हो जाएगा और उसके बाद एसबीआई-मुंबई को।
- अंत में, एसबीआई-मुंबई वोस्ट्रो(Vostro) खाते से डेबिट करके भारतीय निर्यातकों को भुगतान जारी कर देगा।
- चीनी प्रतियोगियों के हाथों वेनेजुएला के बाजार को खोने के डर के कारण, भारतीय दवा निर्यातक अभी भी भुगतान के मुद्दों के बावजूद व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं।

प्रस्तावित प्रक्रिया में चुनौतियां

- यदि वेनेजुएला से 10 अरब डॉलर (वार्षिक) के आयात के भुगतान (10 अरब डॉलर पिछले 5 वर्षों का औसत है) का 30 फीसदी भी वोस्ट्रो (Vostro) खाते में रखा जाता है, तो भी यह वेनेज़ुएला को वार्षिक भारतीय निर्यात 260 मिलियन डॉलर की तुलना में बहुत बढ़ी राशि होगी।
- अगर कुछ वर्षों के बाद वेनेजुएला एक ही बार में शेष राशि वापस(भारत के निर्यात का भुगतान करने के बाद) ले लेता है, तो इसका भारतीय रुपये पर गहरा असर पड़ सकता है।

9.23. समुद्र में जल के सोपान/सीढियाँ(STAIRCASE)

(Water Staircases in Sea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के अध्ययनों से असमान घनत्व के सोपानीकृत जल की उपस्थिति का पता चला है, जो आर्कटिक बर्फ के पिघलने में भूमिका निभाता है।

सोपानीकृत जल

- हवा और पानी के मिलने से महासागर की सतह पर उत्पन्न होने वाली लहरों के समान, विभिन्न घनत्व वाली पानी की दो परतों के मिलन बिंदु पर आंतरिक लहर विकसित हो सकती है।
- आर्कटिक क्षेत्र में, प्रशांत महासागर का पानी, ठंडा और कम खारा है, जबकि अटलांटिक महासागर का पानी गर्म है लेकिन उच्च लवणता की वजह से भारी है और इसलिए नीचे बैठ जाता है।
- आर्कटिक महासागर में, किसी तूफान से इन आंतरिक तरंगों के नीचे की तरफ जाने और गर्म जल की बड़ी जलराशि में हलचल पैदा करने के कारण यह गर्म जलराशि ऊपर सतह की ओर गतिमान होकर समुद्री बर्फ को पिघला सकती है।
- आतंरिक तरंगें केवल उर्ध्वाधर यात्रा कर सकती हैं साथ ही जिस माध्यम में ये यात्रा कर रही हैं अगर उस जल के घनत्व में निरंतर परिवर्तन होता है और यदि अचानक ये लहरें किसी भिन्न घनत्व की मोटी परत से टकरा जाती हैं तो ऊपर की तरफ वापस लौट जाती हैं।
- आर्कटिक में, भिन्न घनत्व की जल की परतें, जिन्हें घनत्व सोपान कहा जाता है, इन आतंरिक लहरों के समक्ष शक्तिशाली अवरोध उत्पन्न करती हैं और समुद्र की निचली सतह के लिए तब तक ढाल का काम करती है जब तक की तूफ़ान बहुत शक्तिशाली न हो।
- हालांकि सोपानीकृत संरचना में एक स्तर में घनत्व स्थिर रहता है, परन्तु एक स्तर से दूसरे स्तर के घनत्व में अंतर रहता है।

9.24. ई-गवर्नेंस की जागरूकता के बारे में डिजिटल वैन

(Digital Vans for Awareness about E- Governance)

- भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत मार्च 2017 तक इंटरनेट और दृश्य-श्रव्य सुविधाओं से लैस 66 डिजिटल वैन, 657 जिलों तक पहुँच कर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है, और इसे राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं के बारे में लोगों के मध्य, विशेष रूप से युवाओं के मध्य जागरूकता फ़ैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
- MyGov, डिजिटल लॉकर, आधार कार्ड और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए 10 लाख से अधिक नागरिकों तक पहुँच बनाने और 1.5 लाख से अधिक ग्रामीण नागरिकों का नामांकन करने के लिए इसे शुरू किया गया है।

VISION IAS

VISION IAS

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION
CSE 2013
CSE 2014
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
Foundation Course
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog